खण्ड–492, अंक–9
बुधवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1936
(11 मार्च, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 492 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
लखनऊ में वकीलों पर हुए लाठी चार्ज में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग	7
आज की कार्य–सूची के नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न...	7–9
प्रश्नोत्तर	9–101
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	101–102
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवारका अन्तर्गत ग्राम देवला से टोपरी तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	102–103
उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में सीधी भर्ती द्वारा की गई नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	103–104
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत आने वाली नगर पंचायत जलालाबाद में व्याप्त लो–वोल्टेज की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	104
वाराणसी नगर में व्याप्त भीषण गन्दगी को दृष्टिगत रखते हुए विशेष सफाई अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	104–105
जनपद रामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग–87 स्थित तहसील बिलासपुर में जाम की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद लखनऊ में प्रस्तावित मेट्रो ट्रेन का विस्तार कर बाराबंकी तक किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	105–106
जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर अन्तर्गत राजू नगर से महुआबारी इण्टर कालेज तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के सिरसिया में स्थित 132 के0वी0ए0 विद्युत सब–स्टेशन पर लगे 20–20 एम0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाकर 40–40 एम0वी0ए0 किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	106–107

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत निगोही–तिलहर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 107

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद सहारनपुर अन्तर्गत सहारनपुर मण्डी से चिलकाना के मध्य स्थित पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	107–108
जनपद बस्ती में बन्द पड़ी बजाज ग्रुप की नई यूनिट फेनिल शुगर्स मिल लि0 को पुनः चलाये जाने एवं कर्मचारियों के वेतन व अन्य बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	108–109
विशिष्ट बी0टी0सी0 चयन प्रक्रिया द्वारा नई पेंशन नीति लागू होने से पहले चयनित प्रशिक्षित शिक्षकों को पुरानी पेंशन नीति से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद मऊ में रिंग बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	109–110
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी की कतिपय ग्राम पंचायतों को पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद मुजफ्फरनगर निवासिनी एशियाई खेल विजेता को घोषणा के अनुरूप प्रोत्साहन राशि दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	110–111
जनपद लखनऊ में कुर्सी रोड से सीतापुर रोड को जोड़ने वाले नहरिया मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	111
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	111
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	112
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नथुआपुर एवं ग्राम पंचायत बरौरा के मध्य वारा नाला पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विजय वर्मा आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)...	112
जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत निगोही तिलहर मार्ग पर गर्रा नदी पुल के आगे सड़क एवं पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	112
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत बीसलपुर	112–113

शाहजहांपुर मार्ग पर गुरुगवां से पराझरसा होते हुए बरैचा तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के विकास खण्ड डुमरियागंज में मोतीगंज–औसानकुइयां मार्ग से रीवा होते कुसुम्ही गांव के पी0एम0जी0एस0वाई0 तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत एवं विकास खण्ड मिठवल के बस्ती बासी मार्ग के करही चौराहे से गौरागढ़ होते हुए तिगोड़वा तक 8 किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मो0 आमिर आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	113
जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तिलैथा कोलवा धुधुवा फुटेरा (बरूवा सागर) गौरामछिया तैदौल धुधुवा के मजरों पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री बलवीर यादव आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	113
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	113–115
वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	115
नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी कु0 ललिता बोस द्वारा दायर रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2013 को पारित आदेशों के अनुपालन में फैजाबाद निवासी रहे गुमनामी बाबा उर्फ भगवन जी के सम्बन्ध में आयोग का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कु0 कौशल सिंह आदि सदस्यगण विधान सभा द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन	115
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	116
जनपद प्रतापगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटनी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य ...	116–117
कानपुर नगर के यशोदा नगर, गोपाल नगर, गांधी ग्राम में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत पीने के पानी की लाइन	117–118

चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
प्रदेश में 2011–2012 के समस्त बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र भड़ाना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	119
जनपद बरेली के ग्राम महमूदपुर एवं चकरपुर के बीच अरिल नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	120
जनपद मऊ में स्थित प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की पिछले दो वर्षों की छात्रवृत्ति का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	120–121
जनपद बलिया के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय अजनेरा में हत्याभियुक्त एवं माननीय न्यायालय से पाये आजीवन कारावास की सजा के उपरान्त भी डा0 श्रीप्रकाश सिंह की तैनाती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदयलाल मौर्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	121–122
जनपद अलीगढ़ मण्डल में मान्यता प्राप्त एक नया विश्वविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	123–124
जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत क्षेत्रीय किसानों की सिंचाई की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पम्प कैनाल हेतु विद्युत कनेक्शन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	124–125
जनपद मेरठ में स्थित श्री प्यारेलाल शर्मा राजकीय चिकित्सालय के भवन का स्थानान्तरण अन्यत्र किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	125–126
जनपद चित्रकूट के अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0 द्वारा अम्बेडकर ग्राम सम्पर्क मार्गों के निर्माण में की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान सिंह पटेल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	126–128

नत्थियां ... ... 129—139

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2015 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–297

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री बरेली
10. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
11. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
12. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
13. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
14. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
15. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
19. अमित गौरव यादव, श्री एटा
20. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
21. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
22. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती प्रतापगढ़
23. अरूण कुमार, डा0 बरेली
24. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
25. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
26. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
27. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
28. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
29. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
30. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
31. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
32. आलमबदी, श्री आजमगढ़
33. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
34. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
35. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
36. आशीष यादव, श्री बदायूं
37. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
38. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
39. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
40. इकबाल, श्री बिजनौर
41. इकबाल महमूद, श्री संभल
42. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
43. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
44. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
45. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
46. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
47. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
48. उदयराज, श्री उन्नाव
49. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
50. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
51. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
52. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
53. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
54. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
55. कमाल युसुफ मलिक, श्रीसिद्धार्थनगर
56. काली चरन सुमन, श्री आगरा

57. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
58. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
59. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
60. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
61. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
62. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
63. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
64. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
65. गजराज सिंह, श्री हापुड़
66. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
67. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
68. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
69. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
70. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
71. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
72. गोमती यादव, श्री लखनऊ
73. गोरख पासवान, श्री बलिया
74. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
75. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
76. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
77. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
78. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
79. जगपाल, श्री सहारनपुर
80. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
81. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
82. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
83. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
84. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
85. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
86. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
87. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
88. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
89. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
90. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
91. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
92. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
93. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
94. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
95. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
96. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
97. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
98. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
99. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
100. धर्मराज, श्री बाराबंकी
101. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
102. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
103. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
104. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
105. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
106. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
107. नवाजिश आलम खान, श्रीमुजफ्फरनगर
108. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
109. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
110. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
111. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
112. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
113. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
114. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
115. पीतमराम, श्री पीलीभीत
116. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
117. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
118. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
119. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
120. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
121. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ

122. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
123. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
124. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
125. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
126. फेरन लाल, श्री ललितपुर
127. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
128. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
129. बदलू खां, श्री उन्नाव
130. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
131. बाबूलाल, श्री गोण्डा
132. बावन सिंह, श्री गोण्डा
133. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
134. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
135. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
136. बैजनाथ, श्री मऊ
137. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
138. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
139. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
140. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
141. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
142. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
143. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
144. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
145. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
146. मनबोध, श्री देवरिया
147. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
148. मनीष रावत, श्री सीतापुर
149. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
150. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
151. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
152. महबूब अली, श्री अमरोहा
153. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
154. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
155. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
156. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
157. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
158. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
159. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
160. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
161. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
162. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
163. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
164. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
165. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
166. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
167. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
168. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
169. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
170. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
171. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
172. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
173. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
174. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
175. यासर शाह, श्री बहराइच
176. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
177. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
178. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
179. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
180. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
181. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
182. रणजीत सुमन, श्री एटा
183. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
184. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
185. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
186. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर

187. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
188. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
189. रवि शर्मा, श्री झांसी
190. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
191. 'राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
192. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
193. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
194. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
195. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
196. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
197. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
198. 'राजिव, श्री सहारनपुर
199. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
200. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
201. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
202. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
203. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
204. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
205. राधे श्याम, श्री अमेठी
206. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
207. राम करन आर्य, श्री बस्ती
208. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
209. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
210. राम गोविन्द, श्री बलिया
211. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
212. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
213. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
214. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
215. राम मगन, श्री बाराबंकी
216. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
217. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
218. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
219. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
220. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
221. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
222. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
223. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
224. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
225. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
226. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
227. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
228. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
229. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
230. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
231. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
232. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
233. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
234. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
235. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
236. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
237. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
238. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
239. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
240. विजय सिंह, श्री रामपुर
241. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
242. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
243. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
244. वीरपाल राठी, श्री बागपत
245. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
246. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
247. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
248. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
249. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
250. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
251. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद

252. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
253. शाकिर अली, श्री देवरिया
254. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
255. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
256. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
257. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
258. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
259. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
260. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
261. संजय कपूर, श्री रामपुर
262. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
263. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
264. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबुद्ध नगर
265. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
266. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
267. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
268. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
269. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
270. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
271. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
272. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
273. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
274. सियाराम सागर, डा0 बरेली
275. सीमा, श्रीमती जौनपुर
276. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
277. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
278. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
279. सुधाकर, श्री मऊ
280. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
281. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
282. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
283. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
284. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
285. सुरेश राणा, श्री शामली
286. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
287. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
288. सुल्तान बेग, श्री बरेली
289. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
290. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
291. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
292. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
293. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
294. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
295. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
296. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
297. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :– पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00, लखनऊ में वकीलों पर हुए लाठी चार्ज में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

(सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, लखनऊ में वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ जिसमें तमाम वकील चोटिल हैं और तमाम वकीलों की हालत खराब है। इस लोकतंत्र व्यवस्था में स्थानीय प्रशासन द्वारा जिस तरह से वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है वह निन्दनीय है। व्यवस्था अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इस तरह से रास्ता निकाला जाना चाहिए था न कि वकीलों पर लाठीचार्ज किया जाना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष–

यह क्या आप लोगों ने रोज सीख लिया है कि हर बार खड़े होकर बोलेंगे। बैठिए। आपको इसे नियमों में देना चाहिए। इसको लिखा नहीं जायेगा। बैठिए। (तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर)

आज की कार्य–सूची के नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

यह जीरो ऑवर में व्यवस्था उठेगी। अब प्रश्न उठ गया तो कैसे इसे ले लें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर इसी प्रश्न के बारे में हमारी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

इसमें नहीं उठता है। आप तो स्वयं होशियार हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर इसी प्रश्न के बारे में है किसी और विषय से नहीं है। आप सुन लीजिए आपको लगेगा कि इसी विषय से है।

श्री अध्यक्ष–

जब प्रश्न ऑवर खत्म हो जाता तब आप इस विषय को उठाते।

(श्री प्रदीप माथुर एवं श्री अनुग्रह नारायण सिंह सहित कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान जारी)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी मैं जो बात कह रहा हूँ यह एक संवैधानिक विषय है।

श्री अध्यक्ष–

डा0 साहब यह प्रश्न खत्म हो जाए तब आप व्यवस्था की बात उठाएँ अभी प्रश्न शुरू नहीं हुआ आपने व्यवस्था की बात उठा दी। जब प्रश्न खत्म हो तब व्यवस्था की बात उठाएं। उस पर पूरी व्यवस्था सुनी जायेगी तुरन्त नहीं होता है। यह निन्दनीय है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर अगर आप प्रश्न को हील पर नहीं लेंगे तो फिर हमारे कहने का मतलब ही क्या होगा। आप पहले हमारी बात तो सुनें और उसके बाद निर्णय लें ले।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मा0 माथुर साहब यह क्या व्यवस्था है ? आप बताएँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी आज की कार्यसूची में जो पहला प्रश्न लगा हुआ है उस प्रश्न का कोई औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि वह अध्यादेश अब रहा नहीं। जिस अध्यादेश के बारे में यह प्रश्न किया गया है, वह अध्यादेश अब रहा नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अगवाल–

मान्यवर, यह प्रश्न जिसके बारे में आया है वह अध्यादेश है ही नहीं, वह समाप्त हो चुका है। उसकी जगह पर बिल आ चुका है। बिल लोकसभा में पारित हो चुका है। जब एक बार कोई बिल लोक सभा में पारित हो चुका तब आप उसके बारे में चर्चा कैसे करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मा0 माथुर साहब शांत हो जाएं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अब हो गया, अपनी सीटों पर चलें। अपनी सीट पर जाइये। माननीय माथुर साहब इन लोगों को बुलाइये। अरे क्या कर रहे हैं आप पांच लोग। इतने लोग मिलकर विधान सभा को हाईजैक न करिये। चलिये अपनी सीट पर।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुन लिया। आपका यह कहना है कि यह बिल चूंकि पारित हो चुका है इसलिए इस प्रश्न पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन डाक्टर साहब यह बिल पारित हुआ है अभी अधिनियम नहीं बना है। जब अधिनियम बन जाएगा तब चर्चा नहीं होगी। अभी अधिनियम नहीं बना है इसलिए इस पर प्रश्न चल सकता है। चलिये। माथुर साहब बैठिये।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये।)

प्रश्नोत्तर

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

किसानों की भूमि अधिग्रहण करने के पूर्ववर्ती अधिनियम में किये गये संशोधन की जानकारी

'01–श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने 31 दिसम्बर, 2014 द राइट टू फेयर कम्पनसेशन एण्ड ट्रान्सपेरेन्सी इन लैण्ड एक्यूजिशन, द हैबिलीटेशन एण्ड रिसिटिल मेंण्ट (संशोधन) आर्डीनेन्स, 2014 को जारी कर दिया है ? यदि हां, तो किसानों के भूमि अधिग्रहण करने के पूर्ववर्ती अधिनियम में क्या संशोधन किये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश सरकार की सहमति के लिये यह अध्यादेश केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या इस पर कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

जी हां।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 31–12–2014 द्वारा 'द राइट टू फेयर कम्पनसेशन एण्ड ट्रान्सपेरेन्सी इन लैण्ड एक्यूजीशन, रिहेबिलीटेशन एण्ड रिसेटेलमेण्ट (एमेण्डमेण्ट) आर्डीनेन्स, 2014 प्रख्यापित कर दिया गया है।

उपरोक्त अध्यादेश, 2014 की छायाप्रति संलग्न† है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 129-132 पर)

माननीय अध्यक्ष जी, भारत की 70 प्रतिशत आबादी किसानों की है और प्राचीन काल से भारत का मुख्य उद्योग कृषि ही रहा है। उसी के सहारे आज तक हम लोग जिंदा हैं। जब यहां पर अंग्रेज आये तो वह यहां पर नई–नई कम्पनियॉ, फैक्ट्रियां लगाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने भू अधिग्रहण अधिनियम 1894 बनाया। जैसा चाहते थे करते थे उनका साम्राज्य था। फिर उसके बाद हम आजाद हुये। समय–समय पर आजादी के बाद 17 बार इसमें संशोधन किया गया और फिर चूंकि जनता की भी मांग थी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसानों का एक अलग योगदान है। इसलिए 13 सितम्बर, 2011 को यू0पी0ए0 की कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण विकास सम्बंधी स्थायी समिति, यह 07 सितम्बर को भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2011, लोक सभा में पेश किया गया और पेश करने के बाद 07 सितम्बर, 2011 को ग्रामीण विकास सम्बंधी स्थायी समिति जिसकी अध्यक्ष इस समय वर्तमान पार्लियामेंट की स्पीकर महोदया थीं। उनके सुपुर्द कर दिया गया। दो वर्ष लगे उसमें वार्ता करने में। विलम्ब हो रहा था। आखिर में मा0 राहुल गांधी जी सब एक–एक सदस्यों के यहॉ गये कि यह किसानों से संबंधित बिल है इसलिए आप इसको जल्दी पेश करें। फिर बहुत प्रयास के बाद भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम यह 2013 में पारित किया गया। इसमें किसानों के लिए जितनी भी उनकी शिकायतें थीं। समिति ने, जो 29 प्रस्ताव आये उसमें से 27 प्रस्ताव मान लिये गये और यह अधिनियम 2013 में बन गये। 2013 में अधिनियम बनने के बाद नियमावली बन गयी थी यहां पर भी आना था, हम लोगों के बीच इसकी चर्चा करनी थी लेकिन नहीं आ पाया। इस बीच कल डा0 राधा मोहन जी अपने बजट भाषण में कह रहे थे कि देश नये आर्थिक क्रान्ति से गुजर रहा है तो वह नयी आर्थिक क्रान्ति मान्यवर दिखाई पड़ी कि इसमें चुनाव के पहले किसानों का बड़ा रोना रोया गया। धरती का सीना चीर कर किसान अनाज उत्पन्न करता है, हमको खिलाता है और वह भूखा रहता है। किसानों ने तो विश्वास किया और विश्वास करने के बाद मान्यवर गद्दी मिली और आज किसानों का सीना चीरा जा रहा है। चूंकि मान्यवर जो मुझे आज उत्तर मिला है जो आदेश की कापी आज मिली है, मैं यही कहूंगा कि अंग्रेजी में है, हिन्दी में होना चाहिए लेकिन चलिये अंग्रेजी में है तो थोड़ा बहुत जानते हैं इसलिए इसको पढ़ लिये हैं। मान्यवर जो लोग आज किसानों का सीना चीर रहे हैं। उनके लिए एक आदेश हुआ इत्तफाक से 25 जनवरी को यह भारत देश में कभी नहीं हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति आकर हमारे यहां मुख्य अतिथि बने।

श्री अध्यक्ष–

आप किस्सा क्यों सुना रहे हैं, आप प्रश्न पूछिये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर जब 25 जनवरी 2015 को ओबामा को भारत आना था। उनको दिखाने के लिए जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गये थे तो उन्होने कहा था,

श्री अध्यक्ष–

इससे क्या मतलब कि प्रधानमंत्री कहां गये, राष्ट्रपति कहां गये और क्या कहा ? पूरा इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। आप प्रश्न पूछिये। अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हम प्रश्न संख्या–2 ले रहे हैं।

माननीय सदस्य गण, माननीय खन्ना साहब देखिये, माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल का कहना है कि नया विधेयक, तथा बिल कल पार्लियामेन्ट में पारित हो गया तो आज इस सवाल का औचित्य नहीं है। मेरा यह कहना है कि वह बिल पारित हुआ है अभी अधिनियम नहीं बना है इसलिए उस पर यहां बात की जा सकती है क्यांकि वहां से जो आर्डिनेन्स आया आपको देखने के लिए उसमें कुछ करने के लिए तो उसको रोका नहीं जा सकता लेकिन आप जो बता रहे हैं वह इतिहास है आप सीधे सवाल पूछ लीजिये और आगे बढ़ा जाये।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अगर आप अनुपूरक नहीं पूछेंगे तो हम दूसरा प्रश्न ले लेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, इस प्रश्न में डा0 धर्मपाल सिंह जी का भी नाम है, लेकिन न तो आपने उनका नाम सम्बोधित किया, न तो उन्हें अनुपूरक करने का मौका दिया और आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सदन को व्यवस्थित करा कर इसका उत्तर दिलाने का कष्ट करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल तथा भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यगण सदन के वेल में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे व्यवधान की स्थिति जारी रही।)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यह कानून 31 दिसम्बर, 2014 को इसलिए लाया गया कि यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाया जा रहा था, उनको भारत को खुला बाजार दिखाने के लिए यह कानून लाया गया है। मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एक ऐसा कानून जो विदेशी शक्तियों को, साम्राज्यवादी ताकतों को दिखाने के लिए यह आर्डीनेन्स जारी किया गया है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसको रिजेक्ट करेगी। मा0 अध्यक्ष जी, यह कानून विदेशी कम्पनियों को, साम्राज्यवादी ताकतों को भारतवर्ष में किसानों की हत्या करके, किसानों की लाश बिछाकर उस पर रेड कारपेट बिछाकर उनको बुलाया जा रहा है। मान्यवर, यह कानून केवल किसान विरोधी नहीं है, यह पूरा भारत विरोधी है। मान्यवर, अगस्त, 1942 में कहा गया था, ''अंग्रेजो भारत छोड़ो'', आज हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के लोगों को, उन विदेशी ताकतों को जो भारत के खिलाफ

साजिश करते हैं, उनको लाभ देने के लिए साम्राज्य खत्म करने के लिए बुला रही है। मान्यवर, इस बिल का, इस आर्डीनेन्स का मैं विरोध करता हूं और हमारी कांग्रेस पार्टी विरोधी करती है, संसद में भी इसका विरोध किया और यहां पर भी इसका विरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपनी–अपनी सीटों पर चलिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आपको राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त कहती है, आज उसके द्वारा पूरे देश को साम्राज्यवादी ताकतों के हाथों में सौंपने का काम किया जा रहा है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य डा0 राधामोहन दास अग्रवाल ने सदन के वेल में उपस्थिति होकर कहा– मान्यवर, प्रश्न के उत्तर के साथ आर्डीनेन्स की जो कापी लगी हुई है वह अंग्रेजी भाषा में है, इस सदन की भाषा हिन्दी है, इसलिए अंग्रेजी भाषा में कोई कार्यवाही नहीं होगी, अतः पहले आप इसकी हिन्दी भाषा में कापी दिलवायें, तब इस पर विचार हो।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पहले हिन्दी में इसका उत्तर आना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपनी–अपनी सीटों पर चलें, प्रश्न का उत्तर आने दीजिए।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यगण अपनी–अपनी सीट पर वापस चले गये, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण सदन के वेल में ही बैठ गये और नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग वेल में बैठने के बजाय, अपनी–अपनी सीटों पर जाकर बैठें। मैं दस मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी, 11 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिये बढ़ा दिया है।)

(11 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण वेल से नारे लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान की स्थिति बनी रही)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इसका उत्तर नहीं आने देना चाहते हैं, जो किसान विरोधी कृत्य को जाहिर करता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस तरीके से किसानों का गला घोटने के लिए कानून बन रहा है, भूमि अधिग्रहण करके बड़े–बड़े पूंजीपतियों को उपकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, आज यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आने में व्यवधान डालने का काम कर रही है, इससे इनका मिलीभगत का चेहरा नजर आ रहा है। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूॅ कि इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। डा0 धर्मपाल सिंह जी का भी मान्यवर, इस पर प्रश्न है और इसका उत्तर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

हां, हां, मुझे याद है कि वह पूछेंगे। वह है, मुझे याद है, जब इसमें लिखा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सदन को मान्यवर, व्यवस्थित कराइये, माननीय धर्मपाल जी इसके प्रश्नकर्ता हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं जानता हूं, मैं उन्हें अवसर दूंगा, क्यों आप इसके लिए परेशान हैं ? मैं जानता हूॅ कि सूची में उनका नाम है, वे प्रश्नकर्ता हैं। अब सब नहीं पढ़ा गया केवल एक पढ़ दिया गया है तो क्या इसके मायने यह तो नहीं कि उनका नाम नहीं है।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' तथा श्री पंकज कुमार मलिक के वेल में खड़े होकर अपनी बात रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग अपनी सीटों पर चलिए। अब और सदस्य निकले तो आप दो आ गए। आप लोग चलिए अपनी सीटों पर चलिए। अब आप अपनी सीटों पर चलिए। अब बहुत हो गया आपने अपना विरोध प्रकट कर दिया। जहॉ लड़ना था वहॉ तो लड़ नहीं पा रहे हो, यहॉ आकर लड़ रहे हो, चलिए अपनी सीटों पर।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अध्यक्ष जी, मत विभाजन करा लीजिए, स्पष्ट हो जायेगा कि कौन बिल के समर्थन में है और कौन विरोध में है। (वेल से)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग चलिए, अपनी सीटों पर चलिए।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा वेल से नारे लगाये जाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

यह क्या है, यहॉ नारा लगाने की जगह नहीं है। आप लोग अपनी सीटों पर चलिए। आप लोग चलें अपनी सीटों पर, यह नहीं चलेगा। अब बहुत हल्ला न करो, चलो अपनी सीटों पर। यह क्या तरीका है भाई। ये आप क्या हल्ला कर रहे हैं, उनसे क्या मतलब है, उनका नाम लेने की क्या जरूरत है ? चलें यहॉ से, चलिए आप लोग अपनी

सीट पर चलें। अगर आप इन्हें नहीं ले जाएंगे तो आज आप अवांछित दिक्कत पैदा कर रहे हैं। आप लोग अपनी सीटों पर चलिए। यह क्या तरीका है कि आप दस लोग मिलकर हल्ला मचायें। आप लोग चलें अपनी सीटों पर। आप यहॉ से अपनी सीटों पर चलें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, यह गला घोटू कानून आज पूरे किसानों पर मुसीबत का पहाड़ बनकर के गिर रहा है और यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रश्न का उत्तर इस सदन में आने से बार–बार व्यवधान डालकर रोकने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं चाहता हूं कि सदन को व्यवस्थित कराकर उस प्रश्न का उत्तर दिलवाने का कष्ट करें।

(सदन में घोर व्यवधान बना रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य सदन के वेल से नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

आप चलिये न अपनी–अपनी जगहों पर यह क्या है ? देखिये अब उस परम्परा को हम नहीं चलाना चाहते जिस परम्परा को आप चाहते हैं, इसलिये आप अपनी सीटों पर चले। आप ऐसा न करें कि फिर हमें मजबूर होना पड़े। आप अपनी सीटों पर चलें। चलिये अपनी सीटों पर। चलिये।

(सदन में घोर व्यवधान)

माननीय सदस्यगण आप अपनी सीटों पर चले। ऐसा न करें कि हम बाध्य हो जाये कोई कार्यवाही करने पर। आप जाईये, माननीय माथुर साहब आप इन्हें बुलाईये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, मात्र इतना विवाद है कि प्रश्नकर्ता अपनी बात कितने समय में कह लें। मेरे ख्याल से हम सब निवेदन करें अनुग्रह नारायण जी से कि वह अब अपना प्रश्न कर लें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का जवाब हिन्दी में आ जाये, तो मैं अपना प्रश्न कर लूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

देखिये। जो पार्लियामेण्ट से जिस भाषा में आया है उसी भाषा में पेश किया गया है, पार्लियामेण्ट ने यह जरूरी नहीं समझा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की भाषा हिन्दी है, लिहाजा हिन्दी में भेजा जाये, अंग्रेजी में भेजा है, जो भेजा है उसकी मूलप्रति है, यही आया है पार्लियामेण्ट से।

श्री अध्यक्ष–

आप चलिये तो अपनी सीट पर। आप लोग अपनी जगह पर चलिये। आप चलिये तो अपनी जगह पर चलिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात हो सकती है कि इन्हें हिन्दी में मिला हो या अंग्रेजी में। लेकिन हमें यह अंग्रेजी में मिला है और भारतीय जनता पार्टी के 80 प्रतिशत लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। यह लोग अंग्रेजी के समर्थक हैं और प्रधानमंत्री मोदी जो पहले हिन्दी के प्रचारक थे वह अब खुलेआम कह रहे हैं ''मेक इन इण्डिया, मेड इन इण्डिया,''। इस तरह जो यह हिन्दी के समर्थक थे वह अब अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अनुग्रह नारायण सिंह जी, जो जवाब आया है, उस पर आप प्रश्न करिये। आप चलिये तो अपनी सीटों पर।

(घोर व्यवधान के मध्य भाजपा के डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री सतीश महाना, श्री मनीष असीजा, श्री उपेन्द्र तिवारी, श्री धर्मपाल सिंह सदन के वेल में आ गये और मोदी के पक्ष में अपनी बात कहने लगे) (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य नारे लगाने लगे)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, अवरोध उत्पन्न करने के लिए यह सारी बातें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ मिलकर इस देश को लूटने की साजिश कर रहे हैं। यह बातें उत्तर प्रदेश विधान सभा में न आने पाये इसलिये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

इनके प्रधानमंत्री मेक इन इण्डिया की बात करते हैं, इनके प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भाषण करते हैं। अटल बिहारी बाजपेई जी विदेश में हिन्दी में भाषण देते थे और वह देश में भी हिन्दी में भाषण देते थे, लेकिन इनके जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्हें अंग्रेजी में भाषण देने का शौक उत्पन्न हो गया है। अब वो अंग्रेजी बोल रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपने–अपने स्थानों पर बैठ जाये। इनको चिल्लाने दीजिये। आप लोग चले तो अपनी जगह पर। उन्हें प्रश्न तो पूछने दीजिये और उत्तर तो आने दीजिये। आप अपनी सीटों पर तो जाईये, यह हल्ला करने से क्या फायदा। आप लोग मुझे कार्यवाही करने पर बाध्य न करें।

(सदन के वेल में आये हुए सदस्य अपनी अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे तथा कुछ सदस्य नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपनी जगह पर चले जब वह प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उन्हें प्रश्न पूछने तो दीजिए उत्तर तो आने दीजिए आप अपनी सीटों पर जाइये हल्ला करने से क्या फायदा।

आप लोग अपनी सीटों पर जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह किसान विरोधी कानून का उत्तर आने से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग मिलकर व्यवधान डालकर रोकने की साजिश कर रहे हैं इससे उनका किसान विरोधी चेहरा उजागर हो रहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग चलिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह भाजपा और कांग्रेस के लोग मिलकर पूरे प्रदेश के किसानों पर मुसीबत का कहर बनकर आ रहे हैं। मान्यवर, मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नीयत इसका उत्तर न आने देना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें जिससे सारी बाते सदन के पटल पर आ सकें।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न का उत्तर आ जाने दीजिए फिर आगे बढ़ा जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, कांग्रेस और सपा की यह नूराकुश्ती है इसलिए यह किसानों के हित में चर्चा कराने की मांग करता हूं। जिससे सारी की सारी बाते सदन के पटल पर आ जाय।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग चलिये।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, केन्द्र की सरकार और प्रदेश की सरकार की मिलीभगत है भा0ज0पा0 और स0पा0 की मिलीभगत से इसका उत्तर नहीं आ रहा है मैं इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी, 12 बजकर 10 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थान 10 मिनट के लिये बढ़ा दिया है।)

प्रदेश में स्टेट हाइवेज व जिलों की खराब सड़कों की हालत की जानकारी तथा सड़कों को ठीक कराने की नीति की जानकारी

'02–श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री उपेन्द्र तिवारी, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य तथा श्री मनीष असीजा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्टेट हाइवेज व जिलों की सड़कों की हालत बहुत खराब होने की जानकारी उन्हें है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सड़कों की मरम्मत की कोई नीति बनाई है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सड़कों की कब तक मरम्मत हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

प्रदेश में स्टेट हाइवेज व जिलों की सड़कों की हालत संतोषजनक है।

जी हां।

मार्गों पर दाग बनना व उनकी मरम्मत किया जाना सतत् प्रक्रिया है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार मरम्मत का कार्य सदैव किया जाता रहता है। मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता† पर निर्भर करती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती मंहगाई तथा मंहगी बिजली के कारण गरीब जनता, किसान एवं मजदूर के जीवन–यापन की गम्भीर समस्या को दृष्टिगत करते हुए बिजली दरों को आधी करने की मांग

'03–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई तथा मंहगी हो रही बिजली के कारण प्रदेश की गरीब जनता, किसान एवं मजदूर के सामने जीवन–यापन की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार देश के अन्य राज्यों की भांति घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं, गरीब किसानों आदि के लिए वर्तमान बिजली की दरों को आधी करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (अखिलेश यादव)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 133 पर)

नत्थी 'ख'

'01–श्री सतीश महाना–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में 17 मई, 2014 से अगस्त, 14 तक खरीदी गई बिजली की दरों की जानकारी

प्रदेश को विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरकार की योजना

'02–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 17 मई, 2014 से अगस्त, 14 तक कितनी–कितनी बिजली किससे–किससे किस दर पर खरीदी गयी ? क्या 377 मेगावाट बिजली जो केन्द्र सरकार से प्राप्त होनी थी, मई–जून, 2014 में सरकार द्वारा प्राप्त की गयी ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार प्रदेश को विद्युत के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनने के लिये कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उपक्रम का नाम	क्रीत ऊर्जा (मि0 यूनिट)	समेकित दर (रु0 प्रति यूनिट)
एन0टी0पी0सी0	7780.14	3.19
एन0एच0पी0सी0	1670.95	2.87
एन0पी0सी0आई0एल0	629.55	2.91
टी0एच0डी0सी0	711.46	3.72
एस0जे0वी0एन0एल0	716.33	2.31
रा0वि0उ0नि0लि0	6369.81	3.74
जल वि0नि0लि0	412.15	0.65
को जनेरेटर्स	204.29	4.48
माइक्रोहाइडिल	2.64	2.25
आई0पी0पी0	7021.82	4.37
सी0पी0पी0	46.41	4.35

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार माह मई, 2014 में केन्द्र द्वारा प्रदेश का औसत आवंटन अंश 6153 मे0वा0 था। जिसके सापेक्ष औसतन 4421 मे0वा0 विद्युत उपलब्ध हुई। इसी प्रकार माह जून, 2014 में केन्द्र द्वारा प्रदेश को औसत आवंटन अंश 6687 मे0वा0 था। जिसके सापेक्ष औसतन 4971 मे0वा0 विद्युत उपलब्ध हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डार्क एरिया घोषित क्षेत्रों में कृषि सिंचाई के लिये वैकल्पिक व्यवस्था

'03–श्री मनीष असीजा–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसी क्षेत्र को डार्क एरिया घोषित करने पर उस क्षेत्र में किये जाने वाले कृषि कार्यों की सिंचाई हेतु निजी नलकूपों को विद्युत संयोजन नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी क्षेत्र को डार्क एरिया घोषित करने पर एक निश्चित समय–सीमा के अन्दर उस क्षेत्र के किसानों को कृषि सिंचाई के लिये वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

जी हां।

कृषि सिंचाई के लिये वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कि सतही नहर प्रणाली, तालाब/बन्धियों की पुनर्स्थापना आदि की साध्यता का अध्ययन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

'04–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

ख्विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त,

'05–डा0 धर्मपाल सिंह–

ख्ाले शुक्रवार के तारा0प्र0सं0–8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

'6–श्री सुरेश राणा–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश के प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला अस्पतालों में दवायें, डाक्टर तथा पैरामेडिकल स्टाफ

'07–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला अस्पतालों में दवा, डाक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है ? क्या यह सही है कि स्टाफ की संवेदनहीनता के कारण जिला अस्पताल बागपत में दिनांक 09 सितम्बर, 2014 को भर्ती एक प्रसूता द्वारा अस्पताल के शौचालय में जने नवजात बच्चे की सरिया द्वारा शौचालय की सीट के अन्दर ढकेल दिये जाने से मृत्यु हो गयी जिसे सुबह सफाई कर्मचारी द्वारा शौचालय में नवजात शिशु का सिर फंसा देख उसे निकाला गया ? यदि हां, तो क्या सरकार अस्पतालों में दवा एवं समुचित स्टाफ की व्यवस्था करने एवं संवेदनहीनता की पराकाष्ठा जनित उक्त हृदय विदारक घटना के दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)–

प्रदेश के प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नलिखित है :–

चिकित्सक

कुल स्वीकृत पद	कार्यरत	कुल रिक्त पद
16284	11920	4364

पैरामेडिकल स्टाफ

क्र0सं0	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत	कुल रिक्त पद
1	चीफ फार्मासिस्ट	1385	1133	252
2	प्रभारी अधिकारी फार्मेसी	82	41	41
3	फार्मासिस्ट	5527	5433	94
4	'वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिक	2591	1872	719
5	''एक्स–रे टेक्नीशियन	934	531	403

'वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिक के रिक्त 719 पदों पर प्रोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

''एक्स–रे टेक्नीशियन के कुल 934 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 531 पद भरे हैं एवं 403 पद रिक्त हैं, उक्त रिक्त पदों में से 287 पदों पर चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जी नहीं।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा की गयी है। जांच में यह पाया गया है कि दिनांक 09–9–2014 को जिला संयुक्त चिकित्सालय, बागपत में एक माह से बुखार के उपचार हेतु महिला रोगी को सांय भर्ती कराया गया। भर्ती के समय रोगी के पेट में 07 माह का गर्भ था जिसकी धड़कन रिकार्ड नहीं थी। रोगी के बुखार का उपचार किया गया। रोगी शौच एवं लघुशंका के लिये शौचालय गयी जहां गर्भपात हो गया और फीटस टायलेट सीट में फंस गया, जिसको सुबह मृत अवस्था में निकाला गया।

जांच में डा0 अंजु बाला, स्त्री रोग, विशेषज्ञ, डा0 वसीम, फिजिशियन एवं डा0 बी0एल0 कुशवाहा, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त चिकित्सालय, बागपत को अपेक्षित सजगता न बरतने का उत्तरदायी पाया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट के क्रम में महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्र संख्या–444, दिनांक 20–02–2015

द्वारा डा0 वसीम, फिजीशियन (संविदा) आयुष चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागपत को निर्देशित किया गया है। डा0 अंजु बाला, स्त्री रोग विशेष एवं डा0 बी0एल0 कुशवाहा तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो कि लेवर–4 के डाक्टर हैं, के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। साथ ही ड्यूटी पर तैनात ए0एन0एम0 श्रीमती वर्षा का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्सेफिलाइटिस ज्वर से बच्चों की मौतों को रोकने हेतु किये गये उपाय की जानकारी

'08–श्री जय प्रकाश निषाद, श्री दीपक पटेल, श्री अजय कुमार 'लल्लू' तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्सेफिलाइटिस ज्वर से बड़े पैमाने पर बच्चों की लगातार मौतें हो रही हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इसे रोकने हेतु क्या–क्या उपाय किये गये हैं ? क्या सरकार हैजा, प्लेग व बड़ी माता (चेचक) की भांति उक्त ज्वर पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु कोई तकनीकि विकसित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बस्ती, आजमगढ़, देवीपाटन एवं वाराणसी मण्डल के जनपदों में एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिण्ड्रोम रोग से विगत 03 वर्षों 2012, 2013 एवं 2014 में क्रमशः 555, 606 एवं 632 मृतक हुये हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिण्ड्रोम (ए0ई0एस0)/जापानी इन्सेफ्लाइटिस (जे0ई0) रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु निम्नवत् कार्यवाहियां की गई हैं :–

निरोधात्मक कार्यवाहियों के अन्तर्गत :–

- वर्ष 2006 से प्रदेश में जे0ई0 टीकाकरण आरम्भ किया गया।
- वर्तमान में प्रदेश में 36 जनपदों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत जे0ई0 टीकाकरण किया जा रहा है।
- जे0ई0 रोग से प्रभावित जनपदों में मच्छरों पर नियंत्रण के लिये कीटनाशक से फॉगिंग की व्यवस्था की गई है।
- जलजनित ए0ई0एस0 से बचाव हेतु शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के समस्त जनपदों में इण्डिया मार्क–प हैण्डपम्प, टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट (टी0टी0एस0पी0) एवं मिनी पब्लिक वाटर सप्लाई (एम0पी0डब्लू0एस0) स्थापित किये गये हैं।

- वातावरणीय स्वच्छता के सुनिश्चित करने के लिये ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित एवं संवेदनशील चिन्हित 20 जनपदों में घरों में वाटर सील्ड स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया गया है।
- सूकर–मच्छर एवं मच्छर–मनुष्य सम्पर्क से बचाव, पीने के लिये इण्डिया मार्क–प्प हैण्डपम्पों, टी0टी0एस0पी0 अथवा एम0पी0डब्लू0एस0 से प्राप्त शुद्ध पेयजल के प्रयोग, स्वच्छ शौचालयों का उपयोग तथा व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार–प्रसार किया गया है।

उपचारात्मक कार्यवाहियों के अन्तर्गत :–

- ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकता/आशा के द्वारा फीवर ट्रैकिंग का कार्य किया जाना।
- ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगियों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के लिये गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के समस्त जनपदों में ब्लाक स्तर पर कुल 104 इन्सेफ्लाइटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर (ई0टी0सी0) की स्थापना की गई है।
- जनपद स्तर पर उच्च स्तरीय उपचार व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग से अतिप्रभावित गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के 8 चिकित्सालयों एवं जनपद बहराइच के जिला के जिला चिकित्सालय में पीडियाट्रिक आई0सी0यू0 की स्थापना।
- रोगियों को उपचार केन्द्र पहुंचाने हेतु निःशुल्क एम्बुलेन्स एवं प्रशिक्षित एम्बुलेन्स कर्मियों की व्यवस्था।
- निःशुल्क प्रयोगशाला जांच की व्यवस्था।

ए0ई0एस0 रोग उत्पन्न करने वाले जे0ई0 एवं एण्ट्रोवायरस विषाणु के अतिरिक्त अन्य कारकों की पहचान एवं रोग नियंत्रण के लिये विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संस्थाओं जैसे सी0डी0सी0 अटलान्टा, एन0सी0डी0सी0, आई0सी0एम0आर0, एस0जी0पी0जी0आई, लखनऊ, के0जी0एम0यू0 लखनऊ, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए अध्ययन एवं शोध का कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों की कमजोर आर्थिक स्थिति आय–व्ययक में व्यवस्था

'09–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कर्मचारियों एवं अधिकारियों को समय से वेतन मिलने में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु कोई कारगर उपाय करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

जी हां।

जी हां।

कमजोर आर्थिक स्थिति वाली 2500 पैक्स को प्रति पैक्स रु0 5.00 लाख की दर से कुल रु0 125.00 करोड़ की आर्थिक सहायता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी है। गैर लाइसेन्स 16 जिला सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार हेतु भारत सरकार द्वारा एक योजना अनुमोदित की गई है, जिसके अनुसार भारत सरकार का अंश रु0 401.17 करोड़, नाबार्ड का अंश 163.97 करोड़ एवं राज्य सरकार का अंश 1123.06 करोड़ है। राज्य सरकार के अंश में से वर्ष 2014–15 में रु0 610.00 करोड़ के आय–व्ययक का प्राविधान उपलब्ध है। शेष के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण लाखों एकड़ भूमि के जलमग्न होने व फसलों की बर्बादी की समस्या निदान हेतु जनपदवार बाढ़ एवं जल निकास योजनाएं

'10–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रतिवर्ष नदियों में बाढ़ आने से लाखों एकड़ भूमि पर खड़ी फसलें बर्बाद होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिये कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

उक्त समस्या के निदान हेतु प्रदेश में जनपदवार इन्टीग्रेटेड एवं काम्प्रीहेन्सिव बाढ़ तथा जल निकास की योजनायें तैयार की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को लागू किया जाना

'11–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिये सरकार ने क्या–क्या उपाय किये हैं और क्या सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को प्रदेश में लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु प्रदेश में भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंक चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 उत्तर प्रदेश में भी प्रभावी रूप से लागू है।

जी हां। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 10 चयनित जनपदों (बागपत, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, आगरा, मुजफ्फरनगर, हाथरस, झांसी व मथुरा) में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना फसल की उत्पादकता को बढ़ाने हेतु सरकार की नीति

'12—डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना फसल की उत्पादकता में वृद्धि हेतु शासन ने क्या कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

प्रदेश के गन्ना कृषकों के हित में गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के सहयोग से वर्तमान में योजनायें चलायी जा रही हैं। जिसके फलस्वरूप गन्ना फसल की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। वर्तमान में संचालित योजनाओं का स्वरूप निम्न प्रकार है :—

सघन गन्ना विकास (जिला योजना)—

यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित है :—

(1) आधार पौधशाला बीज वितरण

(2) प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण

(3) अभिजनक गन्ना बीज यातायात

(4) आधार बीज यातायात कार्यक्रम

(5) बीज एवं भूमि उपचार

(6) पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रम

(7) जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—

यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित हैं :—

(1) अभिजनक गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम

(2) आधार पौधशाला बीज वितरण

(3) प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण

(4) गन्ना बीज यातायात कार्यक्रम

(5) क्षेत्र प्रदर्शन

(6) कृषि यंत्र वितरण

(7) माईक्रोन्यूट्रियन्ट वितरण

(8) किसान मेला/गोष्ठी

(9) कृषक/कर्मचारी प्रशिक्षण

(10) उत्पादकता पुरस्कार

(11) एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम

उपरोक्त के अतिरिक्त चार वर्षीय बीज बदलाव योजना के अन्तर्गत अभिजनक गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम संचालित किया जाना भी प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार वर्तमान में संचालित योजनाओं के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों के फलस्वरूप प्रदेश के गन्ने की औसत उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

गन्ने की औसत उपज (टन/हे0)	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14
	59.35	61.63	62.74

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चल रहे अवैध शराब कारोबार रोकने को सरकारी उपाय

'13–श्री पंकज गुप्ता–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश में चल रहे अवैध शराब के कारोबार एवं कारोबारियों को रोकने के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

आबकारी अपराधों के शमन कार्य हेतु प्रत्येक जनपद को आवश्यकतानुसार अपराध निरोधक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें आबकारी निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं। इनके पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद में जिला आबकारी अधिकारी, मण्डल में उप आबकारी आयुक्त व जोन स्तर पर संयुक्त आबकारी आयुक्त नियुक्त हैं।

उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक मण्डल में सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन) के अधीन अ02 आबकारी निरीक्षक, 02 हेड कान्सटेबल एवं 10 कान्सटेबल को सम्मिलित कर 01 प्रवर्तन इकाई गठित है, जो मुख्यालय स्तर पर स्थापित आबकारी अभिसूचना ब्यूरो के अधीन कार्य करती है। आबकारी अभिसूचना ब्यूरो (ई0आई0बी0) का नियंत्रण संयुक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी अभिसूचना ब्यूरो (ई0आई0बी0) के अधीन है, जिनके सहायतार्थ 05 उप आबकारी आयुक्त, 01 सहायक आबकारी आयुक्त, 06 आबकारी निरीक्षक एवं 12 आबकारी सिपाही नियुक्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में आबकारी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स की 47 इकाइयां गठित की गई हैं।

ई0आई0बी0 एवं उसके अधीन कार्यरत प्रवर्तन इकाइयों तथा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स द्वारा आबकारी अपराधों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करना, आबकारी अपराधियों एवं तस्करों की स्वयं पकड़–धकड़ करने विभिन्न जनपदों एवं देश के विभिन्न राज्यों के आबकारी विभाग एवं पुलिस से समन्वय एवं आबकारी अपराधों से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान–प्रदान करते हुए आबकारी अपराधों पर रोक हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा भी आबकारी अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

शराब के अवैध कारोबार एवं कारोबारियों को रोकने हेतु समय–समय पर विशेष प्रवर्तन अभियान भी चलाये जाते हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में समस्त विभागीय अधिकारियों को वर्ष में कम से कम 04 विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

वर्ष के महत्वपूर्ण अवसरों पर चलाये जाने वाले विशेष प्रवर्तन अभियानों का विवरण निम्नवत् है :–

1–प्रथम अभियान–25 मई से।

2–द्वितीय अभियान–दीपावली त्योहार के 10 दिन पूर्व से

3–तृतीय अभियान–नव वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व 20 दिसम्बर से

4–चतुर्थ अभियान–होली के त्योहार के 10 दिन पूर्व से।

प्रदेश में अवैध मदिरा के निर्माण/बिक्री पर नियंत्रण स्थापित करने में विफल रहने पर विभागीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाती है।

आबकारी अपराधों में कठोर दण्ड के दृष्टिगत अवैध मद्य निष्कर्षण व अवैध कच्ची शराब में नशा बढ़ाकर बेचने के उद्देश्य से हानिकारक पदार्थों का अपमिश्रण किये जाने के मामले में आबकारी अधिनियम की धारा–60 के अतिरिक्त भा0दं0सं0 की धारा–272/273 के अन्तर्गत कार्यवाही के साथ ही ऐसे प्रकरणों में गैंगेस्टर अधिनियम की धारा–2/3 में भी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव के अन्तर्गत नवीनगर से भदफर तक क्षतिग्रस्त मार्ग का चौड़ीकरण तथा निर्माण कराने विषयक

01–श्री रामहेत भारती–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव के अन्तर्गत नवीनगर से भदफर मार्ग जो अत्यन्त क्षतिग्रस्त है, के नवीनीकरण व चौड़ीकरण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग के कि0मी0 1, 3, 4, 9 व 12 में नवीनीकरण का कार्य माह सितम्बर/अक्टूबर, 2014 में चक्रानुसार करा दिया गया है। शेष कि0मी0 में मार्ग गड्ढामुक्त एवं पैचलेस कर दिया गया है। मार्ग सुगम यातायात हेतु सुलभ है। यातायात घनत्व के अनुसार मार्ग के चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के परिवार कल्याण केन्द्रों/उपकेन्द्रों पर मानक के अनुरूप ए0एन0एम0/कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करवाया जाना

02–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के परिवार कल्याण केन्द्रों/उपकेन्द्रों पर ए0एन0एम0 व अन्य स्टाफ की कमी होने के कारण ग्रामीण अंचलों में विशेष कर महिलाओं को चिकित्सकीय लाभ, टीकाकरण आदि की सुविधा नहीं मिल पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परिवार केन्द्रों/उपकेन्द्रों पर मानक के अनुरूप ए0एन0एम0/कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

महानिदेशक, परिवार कल्याण द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी में 81 ए0एन0एम0 की तैनाती की गयी है। विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में कुल 29 उपकेन्द्र हैं, जिसमें सभी उपकेन्द्रों पर ए0एन0एम0 की तैनाती कर दी गई है एवं सभी उपकेन्द्र क्रियाशील है। ग्रामीण अंचलों की समस्त महिलाओं को चिकित्सीय लाभ तथा टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है।

जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी कस्बा के बरबर मार्ग हाइ–वे जोड़ने वाला मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से निर्माण की मांग

03–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी कस्बा के बरबर मार्ग हाइ–वे जोड़ने वाला मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां, आंशिक रूप से।

मार्ग का क्षतिग्रस्त होना एवं उसकी मरम्मत का सतत् प्रक्रिया है। मरम्मत का कार्य प्रगति में है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद खीरी के एरिया मिल खमरिया से नवनिर्मित पुल सरैया व नवरंगपुर पुल होते हुए वाया रामपुर–ईसानगर पम्प तक क्षतिग्रस्त गन्ना मिल मार्ग की मरम्मत

04–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के एरिया मिल खमरिया से नवनिर्मित पुल सरैया व नवरंगपुर पुल से होते हुए वाया रामपुर–ईसानगर पम्प तक गन्ना मिल मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग वर्तमान में पैच रहित है तथा मार्ग पर यातायात सुगम हैं।

जनपद खीरी की तहसील मोहम्मदी में जर्जर तार व कम क्षमता के ट्रान्सफार्मरों के कारण विद्युत सप्लाई में हो रही कठिनाई को देखते हुए तारों व ट्रान्सफार्मरों को ठीक कराया जाना

05–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहम्मदी, जनपद खीरी में जर्जर तार व कम क्षमता के ट्रान्सफार्मर के कारण एवं निर्धारित सप्लाई न आने से धान, गन्ना आदि फसलें सूख रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अत्यधिक क्षमता वाला ट्रान्सफार्मर लगा कर जर्जर तारों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

बिजनेस प्लान वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत चयनित जर्जर तार एवं परीक्षणोपरान्त अतिभारित परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि की जा रही है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। तहसील स्तर की विद्युत आपूर्ति निर्धारित रोस्टर के अनुसार की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

बिजनेस प्लान वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत उक्त हेतु अनुमोदित कार्य जून, 2015 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी की तहसील मोहम्मदी में किसानों द्वारा ट्यूबवेल कनेक्शन की औपचारिकतायें पूर्ण करने के बावजूद किसानों को कनेक्शन न देने के कारणों की जानकारी

06—श्री अवस्थी बाला प्रसाद

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहम्मदी, जनपद खीरी में किसानों द्वारा ट्यूबवेल कनेक्शन की समस्त औपचारिकतायें पूरी कर निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद भी उन्हें कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को कनेक्शन दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

जिन आवेदकों ने समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है, प्राथमिकता के आधार पर उनके ट्यूबवेलों का ऊर्जीकरण कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत मीरानपुर कटरा उखरी आदि सम्पर्क मार्गों को जलभराव से निजात दिलाने एवं सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

07—श्री रोशन लाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मीरानपुर कटरा उखरी सम्पर्क मार्ग से विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम पिपरी होते हुए ग्राम ईश्वरा तक क्षतिग्रस्त मार्ग पर जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड पुवायां में शाहजहांपुर, पुवायां रोड से नवलपुर तक कच्चा क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

08—श्री रोशन लाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड पुवायां में शाहजहांपुर, पुवायां रोड से नवलपुर तक कच्चा क्षतिग्रस्त मार्ग में बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

क्षेत्रीय जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत विभाग के स्वामित्व का है, जो सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर में शेरगढ़ होते हुए फतेहपुर बुजुर्ग तक तथा राजनपुर रोड से फतेहपुर बुजुर्ग तक कच्चा मार्ग की मरम्मत व डामरीकृत करवाया जाना

09—श्री रोशन लाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर में शेरगढ़ होते हुए फतेहपुर बुजुर्ग तक तथा राजनपुर रोड से फतेहपुर बुजुर्ग (मोहदीनपुर तक) कच्चा क्षतिग्रस्त मार्ग होने से बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

क्षेत्रीय जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

जी नहीं। ग्राम शेरगढ़ को लेपित मार्ग से जोड़ने हेतु जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ग्राम राजनपुर पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा फतेहपुर बुजुर्ग (मोहदीनपुर) को जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र तिलहर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत तिलहर निगोही मार्ग पर गर्रा नदी पुल के पास बाढ़ से सड़क बह जाने के कारण तालाब का रूप ले चुकी सड़क का निर्माण करवाया जाना

10—श्री रोशन लाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत तिलहर निगोही मार्ग पर गर्रा नदी पुल के समीप बाढ़ में सड़क बह जाने के कारण उक्त मार्ग ने एक बड़े तालाब का रूप ले लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क एवं पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में राजनपुर मार्ग से खिरिया भाल तक पक्का क्षतिग्रस्त मार्ग में पानी भरने के कारण खराब सड़क का मरम्मत कराया जाना

11—श्री रोशन लाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर में राजनपुर मार्ग से खिरिया भाल तक पक्का क्षतिग्रस्त मार्ग होने से बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

12—श्री राजेश त्रिपाठी—

ख्मा0 न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी पर रकहट ग्राम के पास स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य पूरा कराया जाना

13—श्री राजेश त्रिपाठी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के राप्ती नदी पर रकहट ग्राम के पास लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत पुल का निर्माण वर्तमान में रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे पुल का निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

कार्य रोका नहीं गया है, अपितु धनाभाव के कारण कार्य बाधित है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद गोरखपुर के असवनपार में राप्ती नदी पर एक बड़े अर्धनिर्मित पुल के बन्द पड़े निर्माण कार्य को पूरा किया जाना

14—श्री राजेश त्रिपाठी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के असवनपार में राप्ती नदी पर एक बड़े अर्धनिर्मित पुल का निर्माण काफी दिनों से बन्द है

? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद गोरखपुर के गोला तहसील अन्तर्गत मैभरा गांव के पास कवितापुर नाले पर निर्मित एक पुल का एप्रोच रोड बनवाये जाने की मांग

15–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के गोला तहसील अन्तर्गत मैभरा गांव के पास कवितापुर नाले पर निर्मित एक पुल का एप्रोच रोड नहीं बना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का एप्रोच रोड बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी हां, पुल का एप्रोच रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

माह मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ–इलाहाबाद राजमार्ग का कार्य पूरा करवाया जाना

16–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ–इलाहाबाद राजमार्ग का पिछले दो वर्षों से चल रहा निर्माण कार्य अभी तक एक तिहाई भाग भी पूर्ण नहीं हो पाया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इसके निर्माण की कोई समय–सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह समय–सीमा क्या है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आख्यानुसार लखनऊ–इलाहाबाद राजमार्ग निर्माण कार्य दो भाग में लखनऊ–रायबरेली एवं रायबरेली–इलाहाबाद के अन्तर्गत किया जा रहा है। लखनऊ–रायबरेली खण्ड का चार लेन चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इलाहाबाद–रायबरेली खण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–24बी के कि0मी0 82.700 से कि0मी0 188.600 तक का कार्य प्रगति पर है एवं उक्त खण्ड में 45 कि0मी0 सड़क का नया निर्माण किया जा चुका है। शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है।

सम्पूर्ण कार्य माह दिसम्बर, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में सड़कों के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

17—श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर जनपद बहराइच में सड़कों के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0—ख—5 नं0/148463, दिनांक 19—8—2014 पर मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र सं0—503707/14 दिनांक 28—8—2014 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर दिसम्बर, 2014 तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 19—08—2014 में वर्णित 07 सम्पर्क मार्गों में से क्र0सं0—7 पर अंकित मार्ग पूर्व से ही सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। क्र0सं0—1 से 6 तक नवनिर्माण सम्प्रति लो0नि0वि0 की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच—बलरामपुर एवं श्रावस्ती में बाढ़ की विभीषिका से क्षतिग्रस्त हो गये अस्पतालों के मरम्मत हेतु अधीक्षण अभियन्ता, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन, लखनऊ द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृतियों पर बजट आवंटन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

18—श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप—

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच—बलरामपुर एवं श्रावस्ती में बाढ़ की विभीषिका से क्षतिग्रस्त हो गये अस्पतालों के मरम्मत हेतु अधीक्षण अभियन्ता, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन, लखनऊ द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृतियों पर बजट आवंटन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0—ख—5 नं0/148838, दिनांक 01—10—2014 मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज विशेष सचिव, मुख्य मंत्री अमित गुप्ता के निर्देश दिनांक 2—10—2014 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0 प्र0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर दिसम्बर, 2014 तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन—

जी हां।

चिकित्सालयों के भवन अनुरक्षण हेतु तकनीकी स्वीकृतियां के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए इन तीन जनपदों के चिकित्सालय के लिये रु0 3.29 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की जा चुकी है। बजट का आवंटन माह दिसम्बर, 2014 को किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर से सड़कों के मरम्मत कराये जाने सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

19—श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर, जनपद बहराइच से सड़कों के मरम्मत कराये जाने सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0—क—5 नं0/232404, दिनांक 19—8—2014 पर मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र सं0—503666/ 2014 दिनांक 28—8—2014, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर दिसम्बर, 2014 तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

मा0 विधायक जी के पत्र दिनांक 19—08—14 में वर्णित 8 सम्पर्क मार्गों में से 02 मार्ग (क्रमांक—2 व 8 पर अंकित मार्ग) के उच्चीकरण का कार्य स्वीकृत है। शेष 06 मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एन0एम0 चिकित्सालय एवं क्षय रोग आश्रम फिरोजाबाद में सेन्ट्रल आक्सीजन यूनिट विद शक्सन न होने के कारण मरीजों को हो रही परेशानी के निवारण हेतु व्यवस्था किया जाना

20—श्री मनीष असीजा—

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0एम0 चिकित्सालय एवं क्षय रोग आश्रम फिरोजाबाद में सेन्ट्रल आक्सीजन यूनिट विद शक्सन न होने के कारण मरीजों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार मरीजों के बेहतर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद की इमरजेंसी प्रत्येक वार्ड ओ0टी0, क्षय रोग वार्ड में सेन्ट्रल अक्सीजन यूनिट विद शक्सन की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

यथावश्यकता मरीजों को आक्सीजन उपलब्ध कराने की पर्याप्त व्यवस्था है तथा प्रत्येक वार्ड में सक्शन मशीन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है।

जनपद—मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र तहसील कांठ से मिश्रीपुर—करनपुर होकर तहसील ठाकुरद्वारा मार्ग पर रामगंगा नदी पर पुल न होने के कारण आवागमन हेतु पुल का निर्माण कराया जाना

21—श्री अनीसुर्ररहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद—मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र में तहसील कांठ से मिश्रीपुर—करनपुर होकर तहसील ठाकुरद्वारा मार्ग पर रामगंगा नदी पर पुल न होने के कारण जनता को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हेतु धन स्वीकृत कर पुल निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

जी हां।

सेतु की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या—10/2015/95आ0/ 23—10—14—18(सेतु)/14, दिनांक 19—02—15 द्वारा रु0 2401.43 लाख की प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में बनी सड़कों के रख—रखाव एवं पुनर्निर्माण की सरकार की नीति

22—डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में बनी सड़कों के रख—रखाव एवं पुनर्निर्माण के बारे में सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस नीति के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में बनी सड़कों के रख—रखाव एवं पुनर्निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति 2013 बनाई गई है।

'उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति 2013 की छायाप्रति संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद—फिरोजाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों की नियुक्तियां किया जाना

23—श्री मनीष असीजा—

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद—फिरोजाबाद में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जिन पर डक्टरों की नियुक्तियां नहीं की गयी हैं ? क्या सरकार द्वारा उक्त केन्द्रों पर मानक के अनुसार डाक्टरों की नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(देखिये नत्थी ''ग'' आगे पृष्ठ 134—139 पर)

श्री अहमद हसन—

जनपद फिरोजाबाद में 07 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। उक्त केन्द्रों पर चिकित्सक तैनात हैं।

चिकित्सकों की तैनाती एवं सतत् प्रक्रिया है। लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की संस्तुति प्राप्त होने पर उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने विषयक

24—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भगवान परशुराम की जन्मस्थली पर पूर्व वर्षों में पर्यटन विकास का कार्य कराया गया है। वर्तमान में स्थल पर विकास हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है।

जनपद बरेली तथा शाहजहांपुर में कार्यरत पात्र नलकूप मिस्त्रियों को द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने का प्रकरण

25—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0—वे0आ0—2—560/दस—45(एम)/99, दिनांक 02—12—2000 के अन्तर्गत इलाहाबाद, बनारस, बांदा तथा सीतापुर जिलों में नलकूप मिस्त्रियों के लिये द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जा चुका है ? यदि हां, तो शेष जनपदों मुख्यतया बरेली, शाहजहांपुर में काम करने वाले नलकूप मिस्त्रियों को अभी तक द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार वंचितों को भी उक्त लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां। शासनादेश सं0—वे0आ0—2—560/दस—45(एम)/99, दिनांक 02—12—2000 के अन्तर्गत इलाहाबाद, वाराणसी, बांदा तथा सीतापुर जिलों में पात्र नलकूप मिस्त्रियों को द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जा चुका है।

जनपद—बरेली तथा शाहजहांपुर में कार्यरत पात्र नलकूप मिस्त्रियों को द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है।

कोई पात्र नलकूप मिस्त्री वंचित नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की सड़कों की जर्जर हालत को देखते हुए सभी जनपदों के लिये जिला योजनान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा बजट की सम्पूर्ण धनराशि जिला मुख्यालय को भेजे जाने की मांग

26—श्री सुरेश राणा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जनपदों के लिये जिला योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा मांगी गयी राशि का कितना प्रतिशत जिलों को भेजा गया है ? क्या सरकार प्रदेश की सड़कों की जर्जर हालत को देखते हुए उक्त बजट की सम्पूर्ण धनराशि जिला मुख्यालयों पर भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

वर्ष 2014—15 के प्रारम्भ में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत/चालू कार्यों में रु0 262.07 करोड़ की धनराशि आवंटन हेतु अवशेष थी। जनपदों से प्राप्त मांग के सापेक्ष बजट में प्राविधानित रु0 252.00 करोड़ की सम्पूर्ण धनराशि (100 प्रतिशत) जनपदों को भेजी जा चुकी है।

स्वीकृत बजट के सापेक्ष पूर्ण धनराशि जनपदों को निर्गत की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत कटौती से मुक्त रखने के आधार जनपद शाहजहांपुर की पुवायां तहसील गेहूं व धान की पैदावार को प्रोत्साहन देने हेतु विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाना

27—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कितने जनपद विद्युत कटौती से मुक्त हैं तथा उसका आधार क्या है ? क्या सरकार कृषि की अधिक पैदावार करने वाले जनपदों को भी उक्त श्रेणी में रखने पर विचार करेगी ? क्या यह सही है कि शाहजहांपुर जनपद की पुवायां तहसील गेहूं व धान की पैदावार में अग्रणी है ? यदि हां, तो प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जनपद शाहजहांपुर को भी विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

वर्तमान में जनपद आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, लखनऊ एवं वाराणसी नगर, कानपुर नगर, मेरठ नगर, चित्रकूट नगर, रामपुर नगर, नोएडा, गाजियाबाद नगर, देवबन्द विद्युत कटौती से मुक्त हैं। जिलों एवं नगरों की संवेदनशीलता, कानून—व्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्र, ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र (मा0 उच्चतम

न्यायालय के आदेशानुसार) इत्यादि को ध्यान में रखते हुए कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

विद्युत आपूर्ति रोस्टर के अनुसार की जा रही है। विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में बढ़ोत्तरी न होने के कारण अधिक विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश के नगरों, महानगरों एवं गांवों के करीब से गुजरने वाली नदियों के प्रदूषित जल का उपयोग करने से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिये सरकार की कारगर नीति

28–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरों, महानगरों एवं गांवों के करीब से गुजरने वाली नदियों के प्रदूषित जल का उपयोग करने से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिये सरकार कोई कारगर नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां। जनसंख्या और नित्य नये तकनीकों के प्रयोग से उपजे दबाव के कारण प्रदेश के नगरों, महानगरों एवं गांव से गुजरने वाली नदियों की परिस्थिति की प्रभावित होने के कारण नदियों का जल प्रदूषण होने की सम्भावना हो सकती है। नदियों के प्रदूषण के रोकथाम हेतु पर्यावरण विभाग एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानकों का निर्धारण किया जाता है तथा सम्बन्धित कार्यवाहियों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जाता है। प्रदूषण से हो रही बीमारियों के इलाज के लिये प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, संयुक्त/जिला चिकित्सालय, मेडिकल कालेज एवं संजय गांधी परास्नातक संस्थान स्थापित हैं जिनमें प्रदूषण जनित बीमारियों के इलाज की उचित व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत खजुराहा रेलवे स्टेशन से रामपुर तक व सिमरावारी नहर से मखड़याऊ तक तथा ग्राम–भानपुर से ललितपुर फोर लेन तक लगभग 1.5 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराया जाना

29–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत खजुराहा रेलवे स्टेशन से रामपुर तक व सिमरावारी नहर से मखड़याऊ तक तथा ग्राम–भानपुर से ललितपुर फोर लेन तक लगभग 1.5 कि0मी0 सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है

? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीणों की सुविधा हेतु उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

जी नहीं।

1–खजुराहा रेलवे स्टेशन से रामपुर तक 2.00 कि0मी0 कच्चा रास्ता है परन्तु ग्राम रामपुर की आबादी 90 है।

2–सिमरावारी नहर से मखड़याऊ तक नहर पटरी लम्बाई 2.10 कि0मी0 है जो वर्तमान में नहर का पटरी भाग है एवं कच्चा है। ग्राम सिमरावारी एवं मखड़याऊ पूर्व से ही लेपित मार्गों से जुड़े हैं।

3–ग्राम भानपुर से ललितपुर फोर लेन तक 1.70 कि0मी0 लम्बाई का मार्ग जो वर्तमान में कच्चा है। ग्राम भानपुर पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़ा है।

इस प्रकार प्रश्नगत मार्गों का निर्माण कार्य सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के ललितपुर फोर लेन (भानपुर मण्डी) से कारीटोरन, मटियारी होते हुए रसीना तक सड़क का निर्माण कराया जाना

30–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के ललितपुर फोर लेन (भानपुर मण्डी) से कारीटोरन, मटियारी होते हुए रसीना तक सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को मण्डी का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

जी नहीं। जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बबीना के ग्राम मानपुर के मजरा कारीटोकन (आबादी 50) एवं ग्राम रसीना का मजरा मटियारी (आबादी 75) सम्पर्क मार्ग से नहीं जुड़े हैं। ललितपुर फोर लेन (मानपुर मण्डी) से कारीटोकन, मटियारी होते हुए रसीना तक कच्चा रास्ता जाता है, जिसकी कुल लम्बाई 2. 60 कि0मी0 है। ग्राम रसीना बबीना सिमरिया मार्ग के कि0मी0 3 से जुड़ा हुआ है। प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड–बबीना अन्तर्गत ग्राम ठकुरपुरा से राजगढ़ तक सड़क न होने के कारण सड़क का निर्माण कराया जाना

31–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड–बबीना अन्तर्गत ग्राम ठकुरपुरा से राजगढ़ तक सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

जी नहीं। जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत ग्राम ठकुरपुरा, बबीना सिमरिया से सुकवां वाया गनेशपुरा मार्ग के कि0मी0 7 में स्थित है एवं मजरा राजगढ़ (आबादी 195) हेतु इसी मार्ग के कि0मी0 5 से खड़न्जा मार्ग जाता है, जिसकी लम्बाई 100 मीटर है। प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड–चिरगांव के अन्तर्गत ग्राम रामनगर से दपरा बुजुर्ग से देदर तक कच्चे मार्ग का निर्माण करवाया जाना

32–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड–चिरगांव के अन्तर्गत ग्राम रामनगर से दपरा बुजुर्ग होते हुए देवल देदर तक सम्पर्क मार्ग कच्चा होने के कारण बरसात में किसानों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कच्चे मार्ग को पक्का बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम रामनगर से दपरा बुजुर्ग तक लो0नि0वि0 का लेपित मार्ग है, इसकी दशा संतोषजनक है। दपरा बुजुर्ग से देदर तक कच्चा रास्ता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम राम नगर, दपरा बुजुर्ग व देवल देदर पूर्व से ही सम्पर्क मार्ग से संतृप्त हैं। अतः इन्हें परस्पर आपस में जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद झांसी के विकास खण्ड–चिरगांव में ग्राम रामनगर रोड से करगुवां तक पूर्व क्षतिग्रस्त रोड का निर्माण कराया जाना

33–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड–चिरगांव में ग्राम रामनगर रोड से करगुवां तक 30 वर्ष पूर्व बनी रोड क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क को पुनः बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के कस्बा रामपुरा में शव विच्छेदन गृह को स्थापित करना

34–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के कस्बा रामपुरा टाउन एरिया जो शव विच्छेदन गृह उरई से लगभग 60 कि0मी0 दूरी पर होने के कारण लोगों को शव पोस्टमार्टम हेतु उरई ले जाने में असुविधा एवं देरी से पहुंचने में शव खराब हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रामपुरा में शव विच्छेदन गृह की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के कस्बा कुठौद में स्वीकृत अस्पताल के निर्माण में हो रही अड़चनों को दूर करके निर्माण कराने विषयक

35–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के कस्बा कुठौद में 50 शैय्या के स्वीकृत अस्पताल का निर्माण भूमि विवाद के कारण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि विवाद का निस्तारण कराकर अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं। जनपद जालौन के कस्बा कुठौद में 50 शैय्या का अस्पताल स्वीकृत नहीं है, अपितु साम0 स्वा0 केन्द्र (30 शैय्या) का भवन निर्माण स्वीकृत हुआ है, जिसका भवन निर्माण कार्य मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के स्थगनादेश के कारण बाधित है।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित अन्तिम आदेश पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के कुठौद ब्लाक के विजुआपुर ग्राम में प्रा0 पाठशाला विजुआपुर दिवारा से शमशान घाट तक के मार्ग का निर्माण कराने विषयक

36—श्री सन्तराम कुशवाहा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के कुठौद ब्लाक के विजुआपुर ग्राम में प्रा0 पाठशाला विजुआपुर दिवारा से शमशान घाट तक ल0 450 मीटर सी0सी0 या इन्टरलाकिंग न होने के कारण जमालीपुर, कुठीला, निजामपुर, हाजीपुर मिटौल, ईगुई कुठौर, गोरासुरावली बावली के ग्रामवासियों के शमशान घाट तक जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में सी0सी0 या इन्टरलाकिंग रोड बनवायेगी ? यदि नहीं, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विजुआपुर ग्राम में प्राइमरी पाठशाला विजुआपुर दिवारा से शमशान घाट तक लम्बाई 450 मीटर सी0सी0 या इण्टर लॉकिंग की मांग की गयी है, वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में शमशान घाट जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में कोंच नदी गांव मुख्य मार्ग से सदपुर होते हुए सोनी, तजपुरा, बुढ़ावली तक डामर रोड बनाने विषयक

37—श्री सन्तराम कुशवाहा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में कोंच नदी गांव मुख्य मार्ग से सदपुर होते हुए सोनी, तजपुरा, बुढ़ावली तक डामर रोड 3.50 कि0मी0 क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड का निर्माण/मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के ब्लाक कुठौंद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विजुआपुर के मजरा तिरावली तक के मार्ग का लेपन स्तर तक बनाया जाना

38–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के ब्लाक कुठौंद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विजुआपुर के मजरा तिरावली तक लगभग 3 कि0मी0 कच्चा बीहण पट्टी यमुना किनारे के ग्राम में मार्ग न होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रास्ते को शून्य से लेपन तक मार्ग बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम विजुआपुर एवं मजरा तिरावली पूर्व से ही पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं। बीहड़ पट्टी में कोई आबादी नहीं है। अतः इसका निर्माण कार्य सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

लखनऊ गाजियाबाद एवं नोयडा प्राधिकरणों में मा0 विधायकों को प्लाट की सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार की योजना

39–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की बसपा सरकार द्वारा मा0 सदस्यों (एम0एल0ए0/एम0एल0सी0) को गाजियाबाद में प्लाट उपलब्ध कराये गये थे ? यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार भी अवशेष मा0 सदस्यों (एम0एल0ए0/ एम0एल0सी0) को लखनऊ, गाजियाबाद तथा नोयडा में प्लाट की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

लखनऊ गाजियाबाद एवं नोयडा प्राधिकरणों में मा0 विधायकगणों को प्लाट उपलब्ध कराये जाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में वन विभाग को शासन द्वारा एवं जिला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 में स्वीकृत धनराशि एवं अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण

40–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में वन विभाग को शासन द्वारा एवं जिला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012–2013 व 2013–2014 में स्वीकृत धनराशि में से कितना धन वन विभाग को प्राप्त हुआ तथा कितना धन अवशेष है ? क्या सरकार शेष धनराशि से माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर कार्य करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद इलाहाबाद में वन विभाग को शासन द्वारा एवं जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 एवं 2013–14 में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि एवं अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(धनराशि रु0 लाख में)

वर्ष	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
2012–13	55.98	55.98	0.00
2013–14	65.95	65.95	0.00

कोई धनराशि अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा शुल्क में प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा 2014–15 में शुल्क वृद्धि को खत्म करने का सरकार का विचार

41–श्री दीपक पटेल–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा शुल्क में प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा 2014–15 में कई गुना वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शुल्क वृद्धि को खत्म करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (प्रो0 शिवाकान्त ओझा)–

उत्तर प्रदेश के प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा परीक्षा संचालन व्यय, प्रश्न पत्रों की तैयारी, उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण एवं मूल्यांकन इत्यादि मदों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के फलस्वरूप शैक्षिक सत्र 2014–15 से परीक्षा शुल्क रु0 1500.00 के स्थान पर रु0 2500.00 प्रति सेमेस्टर किया गया है।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में मलेरिया के प्रकोप से प्रतिवर्ष काफी मौतें होने से बीमारी को स्थाई रूप से उन्मूलन करने की योजना

42–श्री दीपक पटेल–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मलेरिया के प्रकोप से प्रतिवर्ष काफी मौतें होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त

बीमारी के स्थाई रूप से उल्मूलन हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

कार्य योजना बनायी गयी है।

वर्ष 2014–15 के मलेरिया रोग से बचाव एवं नियंत्रण की कार्य योजना तैयार कर प्रदेश के समस्त जनपदों को आवश्यकतानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों के निजी नलकूपों के बिजली ट्रान्सफार्मर फुंकने/खराब होने पर किसानों को स्वयं वितरण कम्पनी तक लाना, पहुंचाना न करना पड़े बल्कि कम्पनी की जिम्मेदारी होना

43–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के निजी नलकूपों के बिजली ट्रान्सफार्मर फुंकने/खराब होने पर किसानों को स्वयं वितरण कम्पनी के भण्डार गृह तक पहुंचाना व लाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसान हित में इस व्यवस्था को परिवर्तित कर खराब ट्रान्सफार्मर को लाने व ले जाने की जिम्मेदारी वितरण कम्पनी की तय करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के द्वारा जले हुए परिवर्तकों को भण्डार गृह तक ले जाने व मरम्मतशुदा परिवर्तकों को क्षेत्र तक ले जाने का व्यय किसानों द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़–इगलास मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से मार्ग की मरम्मत कराया जाना

44–श्री दलवीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़–इगलास मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महराजगंज के नौतनवां ब्लाक अन्तर्गत रोहिन नहर प्रणाली के टूटे बैराज का निर्माण कराया जाना

45–कुंवर कौशल सिंह–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज जनपद के नौतनवां ब्लाक अन्तर्गत रोहिन नहर प्रणाली के टूटे बैराज निर्माण हेतु तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव द्वारा शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो दिसम्बर, 2014 तक बैराज निर्माण पूर्ण न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार को जानकारी है कि बैराज निर्माण के दौरान निर्मित पाये टेढ़े हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

महाराजगंज के नौतनवां तहसील के अन्तर्गत ग्राम–मिश्रौलिया के समीप रोहिन बैराज का निर्माण कराया जा रहा था। निर्माणाधीन बैराज 2008 में रोहिन नदी की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया।

जी हां।

बैराज के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद शासन के निर्देश पर प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा गठित जांच समिति की आख्या के आधार पर अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के क्षेत्र पंचायत नौतनवां में रोहिन नहर प्रणाली का मुख्य बैराज लगभग 10 वर्षों टूटा होने के कारण मरम्मत कराया जाना

46–कुंवर कौशल सिंह–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के क्षेत्र पंचायत नौतनवां में रोहिन नहर प्रणाली का मुख्य बैराज पिछले लगभग 10 वर्षों से टूटा है ? यदि हां, तो उक्त बैराज की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रोहिन नगर प्रणाली में जलापूर्ति हेतु बैराज निर्माण के लिये विस्तृत सर्वेक्षण एवं परिकल्पन के आधार पर नये सिरे से परियोजना तैयार की जा रही है। परिकल्पन का कार्य अप्रैल, 2015 से कराया जाना प्रस्तावित है।

डा0 घनश्याम कुंवर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौतनवां को 30 शैय्या से (60) साठ शैय्या में परिवर्तित किये जाने की मांग

47—कुंवर कौशल सिंह—

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 जनवरी, सन् 1995 को तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव ने नौतनवां की जनसभा में डा0 घनश्याम कुंवर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौतनवां को 30 शैय्या से (60) साठ शैय्या में परिवर्तित करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घोषणा पूरी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन—

जी हां, किन्तु मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 16—01—1995 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम स्व0 डा0 कुंवर घनश्याम के नाम पर रखे जाने तथा इसे 30 शैय्या से 50 शैय्या में परिवर्तित करने की घोषणा की गयी थी।

नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

महराजगंज के नौतनवां विधान सभा क्षेत्र के नौतनवां उपमार्ग में लोक निर्माण विभाग की जमीन गाटा नं0—519 को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का शिकायती—पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

48—कुंवर कौशल सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के नौतनवां विधान सभा क्षेत्र के नौतनवां उपमार्ग में लोक निर्माण विभाग की जमीन गाटा नं0—519 को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता के शिकायती—पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 18—05—2012 को निष्पक्ष जांच कराकर न्यायोचित कार्यवाही करने का आदेश प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच पूर्ण हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

गोरखपुर—वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बड़हलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए ट्रामा सेन्टर बनाये जाने विषयक

49—श्री राजेश त्रिपाठी—

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर–वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बड़हलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए क्या सरकार उक्त स्थान पर ट्रामा सेन्टर बनवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर–वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित बड़हलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण हेतु वर्तमान में भूमि उपलब्ध नहीं है। ट्रामा सेन्टर को स्थापित किया जाना विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, अन्य तकनीकी स्टाफ एवं प्रदेश सरकार की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

पूर्वांचल क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये पूर्वांचल विकास निधि का बढ़ाया जाना

50–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश की धनराशि बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत जिलांश की धनराशि को बढ़ाया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर, आजमगढ़ व बस्ती मण्डल में फैले मस्तिष्क ज्वर जैसी महामारी बीमारी को रोकने का सरकार का उपाय

51–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, आजमगढ़ व बस्ती मण्डल में फैले मस्तिष्क ज्वर जैसी महामारी से नागरिकों को बचाने हेतु क्या सरकार इस वर्ष भी टीकाकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत गोरखपुर, आजमगढ़ एवं बस्ती मण्डल के समस्त जनपदों में जे0ई0 वैक्सीन की प्रथम डोज 09 से 12 माह पर एवं द्वितीय डोज 16 से 24 माह की आयु पर देते हुए जे0ई0 टीकाकरण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत जे0ई0 टीकाकरण का कार्य निरन्तर किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा क्षेत्र में व्याप्त विद्युत समस्या के निदान हेतु जनहित में सब विद्युत पावर स्टेशन स्थापित कराने विषयक

52—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला—उन्नाव के ब्लाक असोहा क्षेत्र में व्याप्त विद्युत समस्या के निदान हेतु जनहित में सब विद्युत पावर स्टेशन को स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा में दसवीं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मे0 ए0बी0बी0 लि0 द्वारा एक 33/11 के0वी0 उपसंस्थान क्षमता 1ग5 एम0वी0ए0 का निर्माण कराया जा रहा था। फर्म द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ देने के पश्चात् कार्य के साथ वाद मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन था। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित आर्बिट्रेशन पैनल द्वारा दिनांक 31—01—2015 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मे0 ए0बी0बी0 लि0 द्वारा उपसंस्थान व सम्बन्धित लाइनों सहित विभाग को हस्तान्तरित किया जाना प्रक्रियाधीन है तथा कार्य मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी की तहसील मोहम्मदी के ग्राम बचिगवां से बहादुरपुर, लालपुर व रसूलपुर में विद्युत लाइन के खम्भे व तार दिनांक 12—06—2011 को भीषण आंधी, तूफान से टूट जाने से ठीक करवाया जाना

53—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहम्मदी, जनपद खीरी के ग्राम बचिगवां से बहादुरपुर, लालपुर व रसूलपुर में विद्युत लाइन के खम्भे व तार दिनांक 12—06—2011 को भीषण आंधी, तूफान में टूट गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

जून, 2012 में उक्त ग्राम के टूटे खम्भे एवं तार को बदलकर विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड पसगवां के अन्तर्गत ग्राम—पिपरोला से ट्रालीटोकेन सड़क से ग्राम बसारा की हद तक क्षतिग्रस्त सड़क व पुलिया का निर्माण कराया जाना

54—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड पसगवां के अन्तर्गत ग्राम–पिपरोला से ट्रालीटोकेन सड़क से ग्राम बसारा की हद तक लम्बाई 2.0 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़क व पुलिया नहीं बनी है, जिससे गन्ना किसानों को बेहद परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत व पुलिया निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

गन्ना किसानों को परेशानी होती है।

जी नहीं। ग्राम पिपरौला तथा ग्राम बसारा के मध्य कच्चा/खड़न्जा मार्ग है। पिपरौला तथा बसारा दोनों ही ग्राम पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़े हैं। ग्रामों को आपस में जोड़ना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम सहजना से वाया खन्देवरा तक क्षतिग्रस्त सड़क गन्ना किसानों के आवागमन हेतु मरम्मत कराने विषयक

55–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम सहजना से वाया खन्देवरा होते हुए लम्बाई 3.0 कि0मी0 तक सड़क क्षतिग्रस्त होने से गन्ना किसानों को आवागमन में बेहद परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी हां। ग्राम सहजना (सहिजना) से खन्देवरा मार्ग का नवनिर्माण श्री रामशरण दास ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत अखमराजपुर से पिपरी तक बेहद खराब सड़क का निर्माण कराया जाना

56–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत अखमराजपुर से पिपरी

तक लम्बाई 1.5 कि0मी0 लेपन स्तर तक सड़क नहीं बनी है, जिससे गन्ना किसानों को बेहद परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

गन्ना किसानों को मार्ग ठीक न होने के कारण परेशानी होती है।

जी नहीं। अखमराजपुर (अखमराजपुर) पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा है एवं पिपरी ग्राम हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मार्ग निर्माणाधीन है। अतः इन्हें आपस में जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत हरनाजाट से भुडिया चूरामणि गांव की पुलिया तथा सड़क का निर्माण कराया जाना

57–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत हरनाजाट से भुडिया चूरामणि गांव की पुलिया तक लम्बाई 600 मी0 लेपन स्तर तक सड़क नहीं बनी है, जिससे गन्ना किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम हरनाजाट पूर्व से ही लेपित मार्ग द्वारा संतृप्त है एवं मुडिया चूरामणि सम्पर्क मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन है। अतः इन्हें आपस में जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का प्रस्ताव होने के कारण स्टेडियम के निर्माण की मांग

58–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रस्ताव विचाराधीन है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा विकास प्राधिकरण की कालिन्दी विहार योजना की सभी सड़कों पर डाली गयी सीवर लाइन को ठीक कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

59–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण की कालिन्दी विहार हेतु जिन ग्रामों की भूमि अर्जित की गई है, में सीवर चोक की समस्या का विवरण उपलब्ध कराये जाने एवं 100 फुट मार्ग पर गहरे गड्ढों को भरने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 16–12–2013 उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

मा0 सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 16–12–2014 प्राप्त हुआ है जो कालिन्दी विहार योजना की समस्याओं तथा 100 फुट मार्ग पर गहरे गड्ढों को भरने से सम्बन्धित है।

आगरा विकास प्राधिकरण की कालिन्दी विहार योजना में सभी ब्लाकों में डाली गयी सीवर लाइन को मुख्य लाइन से सी0 एण्ड डी0एस0, जल निगम विभाग द्वारा जोड़ी जा चुकी हैं। चोक सीवर लाइन को खुलवाने/सफाई करवाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। कालिन्दी विहार की 100 फुट रोड पर गहरे गड्ढों को भरवा कर सड़क एवं डिवाइडर की मरम्मत के कार्य हेतु आगणन स्वीकृति उपरान्त निविदा प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

60–श्री दलवीर सिंह–

खदिनांक 19–2–2015 को अता0प्र0सं0–52 द्वारा उत्तरित,

जनपद अलीगढ़ में सोमना से खैर, दौरऊ से चण्डौस पिसावा व छेरत जवां से कासिमपुर मार्ग की मरम्मत हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये जाने विषयक

61–श्री दलवीर सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2014 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–141 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में सोमना से खैर, दौरऊ से चण्डौस पिसावा व छेरत जवां से कासिमपुर मार्ग की मरम्मत हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो गये हैं ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी शहर को आर0ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट–सी योजना में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप कार्य सम्पन्न कराया जाना

62–श्री रवि शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी शहर को आर0ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट–सी योजना में सम्मिलित करते हुए रु0 237 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त योजना का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है, जिससे निर्धारित समयावधि में उक्त योजना पूर्ण होकर इसका लाभ झांसी नगर के उपभोक्ताओं को प्राप्त नहीं हो सकेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां

उक्त योजना का कार्य दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के अन्तर्गत अनुबन्ध सं0–2010 झांसी शहर के लिये आर0ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट–बी का कार्य फर्म ने दिनांक 20–06–2014 से प्रारम्भ कर दिया है।

अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित अवधि 18 माह है। सितम्बर, 2015 तक कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

63–श्री रोशन लाल वर्मा–

ख्2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0–30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद शाहजहांपुर में तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सिंधौली में शाहजहांपुर पुवायां रोड से गन्धरपुर तक पक्का क्षतिग्रस्त मार्ग पर जलभराव की समस्या के निदान हेतु डामरीकरण/मरम्मत कार्य करवाया जाना

64–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सिंधौली में शाहजहांपुर पुवायां रोड से गन्धरपुर तक पक्के क्षतिग्रस्त मार्ग पर जल भराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग की डामरीकरण/मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर के ग्राम मोहनपुर परसेली से जिक्रीपुर होते हुए विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम ईश्वरा तक कच्चे क्षतिग्रस्त तथा जलभराव वाली सड़क का निर्माण कराया जाना

65–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर के ग्राम मोहनपुर परसेली से जिक्रीपुर होते हुए विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम ईश्वरा तक कच्चे क्षतिग्रस्त मार्ग पर जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

क्षेत्रीय जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

जी नहीं। ग्राम मोहनपुर परसैली से जिक्रीपुर होते हुए ग्राम ईश्वरा तक कच्चा मार्ग है। ग्राम मोहनपुर परसैली एवं ग्राम ईश्वरा सिंगिल कनेक्टिविटी के आधार पर लेपित मार्गों से जुड़े हैं। जिक्रीपुर ग्राम की कुल आबादी 251 एवं एस0सी0/एस0टी0 की आबादी 52 होने के कारण इन्हें आपस में जोड़ना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड तिलहर के ग्राम डभौरा तिराहे से ग्राम समधाना तक बनी गड्ढायुक्त, जलभराव वाली सड़क का निर्माण कराया जाना

66–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड तिलहर के ग्राम डभौरा तिराहे से ग्राम समधाना तक बनी हुई पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने से सड़क पर जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत चमरुआ चौराहे से ऊन कला तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

67—श्री रोशन लाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत चमरुआ चौराहे से ऊन कला तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी को डार्क एरिया घोषित किये जाने के कारण इस क्षेत्र में कोई वैकल्पिक सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु नहर का निर्माण करवाया जाना

68—श्री मनीष असीजा—

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी को डार्क एरिया घोषित करने के कारण सिंचाई हेतु निजी नलकूपों को विद्युत संयोजन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र में कोई वैकल्पिक सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था हेतु नहर निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी में 54.86 कि0मी0 राजवाहे एवं अल्पिकायें निर्मित हैं, जिनके द्वारा 15110.00 हेक्टेयर सी0सी0ए0 हेतु सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है।

जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में रिक्त चल रहे आकस्मिक चिकित्साधिकारी (ई0एम0ओ0) चिकित्सकों, फार्मेसिस्ट, स्टाफ नर्स, वार्ड ब्वाय, वार्ड आया आदि अन्य सहायक के रिक्त पदों को भरा जाना

69—श्री मनीष असीजा—

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0एम0 चिकित्सालय एवं क्षय रोग आश्रम, फिरोजाबाद में जब यह तहसील स्तरीय चिकित्सालय था, उस समय के स्वीकृत स्टाफ से भी कम स्टाफ वर्तमान में कार्यरत होने के कारण जनपद के रोगियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में रिक्त चल रहे आकस्मिक चिकित्साधिकारी (ई0एम0ओ0) चिकित्सकों, फार्मेसिस्ट, स्टाफ नर्स, वार्ड ब्वाय, वार्ड आया आदि अन्य सहायक के रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन—

जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में 29 चिकित्साधिकारी के पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 21 कार्यरत, फार्मेसिस्ट के 03 पद के सापेक्ष 03 कार्यरत, स्टाफ नर्स के 25 पद के सापेक्ष 07 कार्यरत, वार्ड ब्वाय/वार्ड आया के 44 पद के सापेक्ष 22 कार्यरत हैं। चिकित्सालय में जनसामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रिक्त पदों पर संविदा के माध्यम से चिकित्सक, फार्मेसिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदत्त सफाई कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है।

चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में की जाती है, जो सतत् प्रक्रिया है। स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित है। अन्य कार्मिक उपलब्धता के आधार पर तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

70—श्री मनीष असीजा—

ख्ाले शुक्रवार के अता0प्र0सं0—42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक पसगवां के अन्तर्गत शंकरपुर जंगबहादुरपुर से छपौरा भूड़ा मार्ग पर काफी समय से पत्थर पड़े रहने से दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सड़क का निर्माण लेपन स्तर तक कराया जाना

71—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक पसगवां के अन्तर्गत शंकरपुर जंगबहादुरपुर से छपौरा भूड़ा मार्ग पर काफी दिनों से पत्थर पड़ा है, जिससे आये दिन उस मार्ग पर दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को लेपन स्तर तक बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां। जनपद लखीमपुर खीरी में शंकरपुर जंगबहादुरपुर से छपौरा भूड़ा मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत फेज–10 विश्व बैंक आर0आर0पी0–2 द्वारा वित्त पोषित पैकेज सं0–यू0पी0–4478 के अन्तर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

72–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्2रे गुरुवार के अता0प्र0सं0–27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

शाहजहांपुर से निगोही रोड सादड पर ग्राम शामदगंज गौटिया, सतवां खुर्द, सतवां बुजुर्ग, रोशननगर, मदवामई, बलेली, उदयपुर, कटैइया गुरुगवां तथा टिकरी के बीच ग्राम पंचायत टिकरी पी0एच0सी0 खुलवाया जाना

73–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर से निगोही रोड सादड पर ग्राम शामदगंज गौटिया, सतवां खुर्द, सतवां बुजुर्ग, रोशननगर, मदवामई, बलेली, उदयपुर, कटैइया गुरुगवां तथा टिकरी के बीच एक भी पी0एच0सी0 नहीं है, जिससे स्थानीय जन सामान्य को अत्यन्त असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत टिकरी में पी0एच0सी0 खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

प्रस्ताव के औचित्य का परीक्षण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगर के विभिन्न मोहल्लों की गलियों में बिना खम्भों के पेड़ पर दीवार आदि के सहारे अव्यवस्थित रूप से लटक रहे तारों को व्यवस्थित करवाया जाना

74–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जो टूटे तार के गुच्छे लाइनों में लटक रहे हैं, को सेट राइट (व्यवस्थित) करने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार शाहजहांपुर नगर के विभिन्न मोहल्लों की गलियों में बिना खम्भों के पेड़ पर दीवार आदि के सहारे अव्यवस्थित रूप से लटके तारों को व्यवस्थित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु आर0पी0डी0आर0पी0 (पार्ट–बी) योजना के अन्तर्गत इस तरह के कार्य कराये जाने की व्यवस्था है।

जी हां।

शाजहांपुर नगर के विभिन्न मोहल्ले की गलियों में उपरोक्त योजनान्तर्गत कार्य मार्च, 2015 तक पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

सड़क निर्माण नीति के विवरण को सदन के पटल पर रखने विषयक

75–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कोई सड़क नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ? क्या सरकार सड़क नीति के अन्तर्गत बनाई गई सड़कों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले समस्त मार्गों पर आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा निर्धारित तकनीकी विशिष्टियों एवं इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्माण/मरम्मत/नवीनीकरण के कार्य कराये जाते हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

चक गंजरिया क्षेत्र लखनऊ की कुल पशुपालन विभाग हेतु ली गई भूमि पर कौन–कौन योजनायें प्रस्तावित हैं तथा भूमि किस रेट पर दी जा रही आदि के विवरण की जानकारी

76–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चक गंजरिया क्षेत्र लखनऊ की कुल कितनी भूमि पशुपालन विभाग से ली गई है तथा उक्त भूमि पर कौन–कौन सी योजनायें बनाई जानी प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त भूमि में से कुछ भूमि निजी क्षेत्र को किस रेट पर दी जानी प्रस्तावित है ? क्या सरकार पूरा ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

चक गंजरिया क्षेत्र लखनऊ की कुल 748.30 एकड़ भूमि पशुपालन विभाग से ली गई है। उक्त भूमि पर आई0टी0 सिटी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, विश्व स्तरीय कैंसर संस्थान व अन्य चिकित्सा सुविधायुक्त मेडीसिटी, पी0पी0पी0 मोड पर सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल/कार्डियोलॉजी सेन्टर, आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लान्ट, उ0 प्र0 प्रशासनिक एकेडमी तथा आवासीय व व्यवसायिक उपयोग हेतु भूमि विकास की योजनायें प्रस्तावित हैं।

निजी क्षेत्र को भूमि दिया जाना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

77—डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

ख्मा0 न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

जनपद जालौन के वंचित ग्रामों एवं मजरों का विद्युतीकरण करवाये जाने की मांग

78—श्री सन्तराम कुशवाहा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद—जालौन में कितने ग्रामों एवं मजरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? क्या सरकार 2014—15 में उक्त क्षेत्र के विद्युतीकरण से वंचित शेष ग्राम मजरों में विद्युतीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जनपद जालौन में कुल 55 नं0 बसावटों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

जी हां।

इनका विद्युतीकरण 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रस्तावित है, जिसका कार्यादेश दिनांक सितम्बर, 2014 में जारी कर दिया गया है। विद्युतीकरण का कार्य सितम्बर, 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद—जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुदारी के मजरा जमुनानगर की आबादी में राजीव गांधी योजना अथवा अन्य किसी योजना से विद्युतीकरण कराया जाना

79—श्री सन्तराम कुशवाहा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद—जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुदारी के मजरा जमुनानगर की आबादी लगभग 600 है परन्तु उक्त का अभी तक विद्युतीकरण न होने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार 2014—15 में राजीव गांधी योजना अथवा अन्य किसी योजना से उक्त मजरा जमुनानगर का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

जी हां।

जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुदारी के मजरा जमुनानगर जनगणना के सेन्सस कोड 2011 के अनुसार बसावटों की तालिका में सम्मिलित न होने के कारण भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण (12वीं योजना) में सम्मिलित नहीं हो पाया है।

भविष्य में किसी अन्य योजना में चयनित होने एवं धन की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम अमखेड़ा से चाकी औरेखी होते हुए परबई तक क्षतिग्रस्त रोड का निर्माण कराया जाना

80–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम अमखेड़ा से चाकी औरेखी होते हुए परबई तक लगभग 6 किमी0 रोड पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–जालौन के माधौगढ़ सहित प्रदेश के झोलाछाप डाक्टरों को रोकने के उपाय

81–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जालौन के माधौगढ़ सहित प्रदेश के झोलाछाप डाक्टरों को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जनपद जालौन के ब्लाक माधौगढ़ में समय–समय पर औचक निरीक्षण कर अवैध रूप से संचालित हो रही क्लीनिकों के संचालकों को बन्द करने हेतु नोटिस जारी किया गया है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। भविष्य में यदि कोई क्लीनिक अवैध रूप से संचालित होते हुए पायी जाती है, तो उसे बन्द कराते हुए उसके संचालक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उक्त के साथ ही यह अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या–820/02 श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम ए0पी0 वर्मा व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या–1368/सेक–5–पांच–2012–205/12, दिनांक 08–06–2012 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध इण्डियन मेडिकल कौंसिल एक्ट, 1956 (102)/1956 तथा ड्रग एण्ड कास्मेटिक रूल्स, 1945 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–जालौन के माधौगढ़ टाउन एरिया में स्थापित चीनी मिल जिसे 15 वर्ष पूर्व नीलाम किया गया था, किसानों के हित में पुनः चीनी मिल स्थापित करने सम्बन्धी

82–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जालौन के माधौगढ़ टाउन एरिया में चीनी मिल को लगभग 15 वर्ष पहले नीलाम किया गया जिससे माधौगढ़ के गन्ना किसानों को अपनी फसल का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार की किसानों के हित के लिये उक्त क्षेत्र में पुनः चीनी मिल स्थापित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद जालौन के माधौगढ़ टाउन एरिया में कोई चीनी मिल स्थापित नहीं हुई है। अतः नीलामी का प्रश्न नहीं होता है।

वर्तमान में यहां चीनी मिल स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जनपद–झांसी, विकास खण्ड चिरगांव में ग्रा0 देवरा से निवी तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराया जाना

83–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी, वि0खण्ड–चिरगांव में ग्रा0 देवरा से निवी तक सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त रोड (सड़क) की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–झांसी, विकास खण्ड चिरगांव में ग्राम मोड खुर्द से बेहटासन्त तक सड़क का निर्माण करवाया जाना

84–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी, वि0खण्ड–चिरगांव में ग्राम मोड खुर्द से बेहटासन्त तक सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को आने–जाने में बहुत कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को आने–जाने में कठिनाई होती है।

जी नहीं। जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–27 के किमी0 132 से मोड खुर्द तक लेपित मार्ग निर्मित है। इसी प्रकार चिरगांव–भाण्डेर (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 4 के बांयी ओर ग्राम बेहटासन्त सी0सी0 मार्ग से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार दोनों ग्राम अलग–अलग लेपित मार्ग से जुड़े हैं। प्रश्नगत ग्रामों को परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव में ग्राम पचार से सिगथरी तक सड़क न होने के कारण सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक

85–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी, विकास खण्ड–चिरगांव में ग्राम पचार से सिगथरी तक सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को आने–जाने में भारी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को आने–जाने में परेशानी हो रही है।

जी नहीं। जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–27 के कि0मी0 128 से बांयी ओर मियापुर होते हुए ग्राम पचार व छिरौना–सिगथरी मार्ग पूर्व से निर्मित है। इस प्रकार दोनों ग्राम अलग–अलग लेपित मार्ग से जुड़े हैं। प्रश्नगत ग्रामों को आपस में लेपित मार्ग से जोड़ा जाना लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–झांसी, विकास खण्ड चिरगांव में ग्राम परल से सुल्तानपुरा तक सम्पर्क मार्ग न होने से निर्माण करवाया जाना

86–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी वि0 खण्ड–चिरगांव में ग्रा0 परल से सुल्तानपुरा तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग को बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बरल तथा ग्राम सुल्तानपुरा अलग–अलग लेपित मार्ग से जुड़े हैं। ग्रामों को परस्पर जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद–झांसी, विकास खण्ड–बबीना में ग्राम पंचायत–वैदौरा के कबूतरन के डेरा से गडरियापुरा होते हुये पहुंज नदी अमरपुर रोड तक सड़क न होने के कारण सड़क का निर्माण कराया जाना

87–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी, विकास खण्ड–बबीना में ग्राम पंचायत–वैदौरा के कबूतरन के डेरा से गडरियापुरा होते हुये पहुंज नदी अमरपुर रोड तक सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को आने–जाने में बहुत कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को आने–जाने में कठिनाई होती है।

जी नहीं। ग्राम पंचायत वैदौरा, कबूतरन के डेरा से पूर्व से सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। ग्राम कबूतरन के डेरा से गडरियापुरा होते हुए अमरपुर रोड तक का निर्माण कार्य सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–बलिया की तहसील बिल्थरा रोड अन्तर्गत अखोप माईनर से जाने वाली नहर की पटरी सोनाडीह मार्ग तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण करवाया जाना

88–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बलिया की तह0 बिल्थरा रोड अन्तर्गत अखोप माईनर से जाने वाली नहर की पटरी सोनाडीह मार्ग तक क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र एवं तहसील बिल्थरा रोड अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़क सोनाडीह मार्ग से कुण्डैल, ग्राम तरछापार तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

89—श्री भीम प्रसाद सोनकर—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र एवं तहसील बिल्थरा रोड अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़क जो सोनाडीह मार्ग से कुण्डैल, ग्राम तरछापार तक जाती है, क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद—लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत गगौली रोड से बौटीकला देवेन्द्र वर्मा उर्फ बब्लू प्रधान के मकान तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

90—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद—लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत गगौली रोड से बौटीकला देवेन्द्र वर्मा उर्फ बब्लू प्रधान के मकान तक, लम्बाई 600 मी0 लेपन स्तर तक सड़क नहीं बनी है जिससे गन्ना किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

जी नहीं। प्रश्न में वर्णित ग्राम बौधीकला (बौधीखुर्द) पूर्व से ही लेपित मार्ग से संतृप्त है एवं देवेन्द्र वर्मा उर्फ बब्लू प्रधान के मकान तक ग्राम की आन्तरिक गली है। अतः इसका निर्माण सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद—लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत पसगवां रोड से कन्धरापुर गांव प्रदीप वर्मा के मकान होते हुए यज्ञशाला तक मार्ग का निर्माण

91—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद—लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत पसगवां रोड से कन्धरापुर गांव प्रदीप वर्मा के मकान होते हुए यज्ञशाला तक, लम्बाई 880 मी0 लेपन स्तर तक सड़क नहीं बनी है जिससे गन्ना किसानों को मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण बेहद परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्ग की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

गन्ना किसानों को मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण परेशानी होती है।

जी नहीं। पसगवां मार्ग से ग्राम कन्धरापुर लेपित मार्ग से संतृप्त है तथा प्रदीप वर्मा के मकान तक सी0सी0 रोड अन्य विभाग द्वारा निर्मित है एवं यज्ञशाला तक 250 मीटर लम्बाई में खड़न्जा ग्राम पंचायत का है। अतः इनका निर्माण सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद—लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी—बरबर रोड नरेन्द्र ब्रिक फील्ड के पास से होते हुए अलीनगर सड़क तक तथा इस्लामाबाद पेन्टेड सड़क से अलीनगर तथा ग्राम पकरिया से फतुहाबाद तक मार्ग का निर्माण

92—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद—लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत मोहम्मदी—बरबर रोड से नरेन्द्र ब्रिक फील्ड के पास से होते हुए अलीनगर सड़क तक तथा इस्लामाबाद पेन्टेड सड़क से अलीनगर (लम्बाई 3.0 कि0मी0), तक तथा ग्राम पकरिया से फतुहाबाद (लम्बाई 2.5 किमी0) तक लेपन स्तर तक सड़क नहीं बनी है जिससे गन्ना किसानों को मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण बेहद परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्ग की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

गन्ना किसानों को मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण परेशानी होती है।

जी नहीं। मोहम्मदी—बरबर रोड से अलीनगर मार्ग का निर्माण कार्य गन्ना विभाग द्वारा प्रस्तावित है एवं इस्लामाबाद पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा अलीनगर गन्ना विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग से जुड़ जायेगा। अतः इन्हें आपस में जोड़ा जाना तथा ग्राम पकरिया से फतुहाबाद (आबादी 96) का निर्माण कार्य सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत मियापुर से रघौला मार्ग का निर्माण

93–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत मियापुर से रघौला मार्ग तक लेपन स्तर तक सड़क नहीं बनी है जिससे गन्ना किसानों को मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण बेहद परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्ग की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

गन्ना किसानों को मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण परेशानी होती है।

जी नहीं। ग्राम मियापुर व रधौला पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़े हैं। अतः इन्हें आपस में जोड़ना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–खीरी की शारदा नदी में नेपाल देश के पानी से भीषण बाढ़ द्वारा तबाही से कटान रोकने एवं बन्धे के सुदृढ़ीकरण तथा ठोकर आदि बनवाने की मांग

94–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–खीरी की शारदा नदी में नेपाल देश के पानी से भीषण बाढ़ द्वारा तबाही होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कटान को रोकने एवं बंधें के सुदृढ़ीकरण एवं ठोकर आदि बनवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी की बाढ़ एवं कटान से स्थाई समाधान हेतु पूर्व में तैयार किये गये इन्टीग्रेटेड एवं काम्प्रीहेन्सिव प्लान को पुनरीक्षित किया जा रहा है।

इन्टीग्रेटेड एवं काम्प्रीहेन्सिव प्लान के साध्य पाए जाने पर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अग्निपीड़ितों को अहेतुक सहायता राशि बढ़ाये जाने की मांग

95–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अग्निपीड़ितों को दिया जाने वाला अहैतुक सहायता प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अहेतुक सहायता राशि को बढ़ाने पर विचार करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

दैवी आपदा से होने वाली क्षति के सापेक्ष देय अहेतुक सहायता की मानकों/दरों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा स्वतः किया जाता है। तद्नुसार ही राज्य सरकार द्वारा अहेतुक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–शाहजहांपुर में तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सिंधौली में सिसइया से पटवा तक कच्चा क्षतिग्रस्त मार्ग में बरसात में जलभराव की समस्या के निदान हेतु मरम्मत करवाया जाना

96–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सिंधौली में सिसइया से पटवा तक कच्चा क्षतिग्रस्त मार्ग में बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

क्षेत्रीय जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

जी नहीं। प्रश्न में वर्णित ग्राम सिसइया एवं पटवा अलग–अलग सिंगिल कनेक्टिविटी के आधार पर जुड़े हैं, अतः इन्हें आपस में जोड़ना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत स्थित ग्राम रटी में गर्रा नदी से उक्त गांव एवं उसकी भूमि में भीषण कटान की रोकथाम हेतु ठोकर, पत्थर आदि का निर्माण कार्य

97–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत स्थित ग्राम रटी में गर्रा नदी से उक्त गांव एवं उसकी भूमि में भीषण कटान हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार

जनहित में उक्त ग्राम की कटान को रोकने हेतु नदी में ठोकर पत्थर निर्माण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

परियोजना तैयार की जा रही है। परियोजना के तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–पीलीभीत के गन्ना उत्पादकों का गन्ना मूल्य किस–किस चीनी मिल पर कब–कब का बकाया है, से सम्बन्धित गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान करवाया जाना

98–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–पीलीभीत के गन्ना उत्पादकों का गन्ना मूल्य किस–किस चीनी मिल पर कितना–कितना कब–कब से बकाया है ? क्या सरकार बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

पीलीभीत जनपद में कुल 04 चीनी मिलें संचालित हैं जिसमें से 02 सहकारी क्षेत्र की तथा 02 निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं। दिनांक 25–02–2015 तक की स्थिति के अनुसार इन चीनी मिलों पर पेराई सत्र, 2012–13 व पूर्व के वर्षों का कोई गन्ना मूल्य अवशेष नहीं है। पेराई सत्र, 2013–14 में उपर्युक्त चीनी मिलों पर रु0 56175.77 लाख रुपये गन्ना मूल्य देय हुआ जिसका शत–प्रतिशत भुगतान कराया जा चुका है। चीनी मिलवार भुगतान का विवरण इस प्रकार है–

धनराशि (लाख रु0 में)

नाम चीनी मिल	देय	भुगतान	अवशेष
पीलीभीत	26424.76	26424.76	0.00
बरखेड़ा	16808.52	16808.52	0.00
बीसलपुर	7066.40	7066.40	0.00
पूरनपुर	5876.09	5876.09	0.00
योग :	**56175.77**	**56175.77**	**0.00**

पेराई सत्र, 2014–15 में दिनांक 25–2–2015 तक की स्थिति के अनुसार उक्त चीनी मिलों द्वारा 176.82 लाख कुन्तल गन्ना खरीदा गया जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त में

240 रु0/कुं0 की दर से 14 दिन पूर्व तक के देय गन्ना मूल्य रु0 351486.54 लाख के सापेक्ष रु0 24875.64 लाख का भुगतान सुनिश्चित किया जा चुका है जो देय का 70.70 प्रतिशत है। उक्त तिथि तक रु0 10310.90 लाख का अवशेष है। चीनी मिलवार भुगतान एवं अवशेष का विवरण इस प्रकार है–

धनराशि (लाख रु0 में)

नाम चीनी मिल	एस0ए0पी0 से 40 रु0/कुं0 कम की दर से 14 दिन पूर्व का देय	भुगतान	भुगतान प्रतिशत	अवशेष	अवशेष पर ब्याज
पीलीभीत	18408.79	19360.24	105.17	951.45	1.24
बरखेड़ा	10062.40	1514.40	15.05	8548.00	99.08
बीसलपुर	3568.95	2116.31	59.30	1452.64	19.87
पूरनपुर	3146.40	1884.69	59.90	1261.71	14.13
योग :	**35186.54**	**24875.64**	**70.70**	**10310.90**	**134.32**

इस पेराई सत्र में गन्ना मूल्य का भुगतान विलम्बित करने वाली उपरोक्त चीनी मिलों पर दिनांक 25–02–2015 तक नियमानुसार देय ब्याज रुपया 134.32 लाख आरोपित किया जा चुका है। राज्य सरकार कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने हेतु कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–अलीगढ़ में वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 में राज्य आरोग्य निधि के अन्तर्गत कितने लोगों को उपचार कराया गया तथा अब तक लम्बित आवेदन के निस्तारण सम्बन्धी प्रकरण

99–श्री दलवीर सिंह–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–अलीगढ़ में वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 में राज्य आरोग्य निधि के अन्तर्गत कितने लोगों को उपचार कराया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अब तक कितने आवेदन लम्बित हैं तथा इनका निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जनपद अलीगढ़ में राज्य आरोग्य निधि के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में किसी भी रोगी को सहायता प्रदान नहीं की गयी है। वर्ष 2012–13 में 01 रोगी को सहायता प्रदान की गयी है तथा वर्ष 2013–14 में 07 रोगियों को सहायता प्रदान की गयी है।

उक्त जनपद में आरोग्य निधि से सम्बन्धित कोई आवेदन सम्प्रति निस्तारण हेतु लम्बित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आवागमन के दृष्टि से महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

100–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आवागमन के दृष्टि से महत्वपूर्ण संपर्क मार्गों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0– 10475560/2014, प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र सं0–सी0एम0/वि0को0/एम–1/पी0जी0–10475660/2014 प्राप्त हुआ है, जिसमें जनपद बहराइच के 07 मार्गों के विशेष मरम्मत की अपेक्षा की गयी है।

पत्र के क्रमांक–1 पर अंकित मार्ग का आंशिक भाग एवं क्रमांक–6 पर अंकित मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई में उच्चीकरण हेतु स्वीकृत है। क्रमांक–1 का शेष भाग व अन्य मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत हुजूरपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

101–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत हुजूरपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र

संख्या–सी0एम0/वि0को0 /एम0/ पी0जी0– 10475636/2014, प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

पत्र में वर्णित दोनों मार्ग खड़न्जा स्तर के हैं जिस पर जिला पंचायत का स्वामित्व है। अतः प्रश्नगत मार्गों का निर्माण सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ठोरिया, वि0ख0 विशेश्वरगंज में ठोरिया मोड़ पर श्रीघपुरवा के पास नहर पर एक पुलिया/कदम पुलिया का निर्माण कार्य शीघ्र कराने हेतु पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

102–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ठोरिया वि0ख0 विशेश्वरगंज में ठोरिया मोड पर श्रीघपुरवा के पास नहर पर एक पुलिया/कदम पुलिया का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0– 10475581/2014, प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम दिगितपुरवां के मजरा देवानपुरवा कोरीपुरवा तथा भारतपुरवा में रा0गा0ग्रा0वि0यो0 फेज–2 में स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने विषयक पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

103–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम दिगितपुरवा के मजरा देवानपुरवा कोरीपुरवा तथा भारतपुरवा में रा0गा0ग्रा0वि0यो0 फेज–2 में स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में

दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0–10475792/2014, प्रमुख सचिव ऊर्जा उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत वि0 ख0 विशेश्वरगंज के ग्राम दिगितपुरवा के मजरा देवानपुरवा कोरीपुरवा तथा भारतपुरवा की आबादी मानकानुरूप न होने के करण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में चयनित नहीं है।

उपरोक्त मजरों की आबादी 300 से कम होने के कारण विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं किये गये हैं। भविष्य में विद्युतीकरण की किसी योजना में चयनित होने पर विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

वर्तमान में 2001 की जनगणना के अनुसार जिन ग्रामों/मजरों की आबादी 300 या उससे अधिक है, उन ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण रा0गा0ग्रा0वि0यो0 के द्वितीय चरण में किया जा रहा है।

जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम पयागपुर के मजरा सहसरांवा मिश्रनपुरवा तथा पल्टनपुरवा में बिजनेस प्लान 2013–14 में स्वीकृत विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

104–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम पयागपुर के मजरा सहसरांवा मिश्रनपुरवा तथा पल्टनपुरवा में बिजनेस प्लान 2013–14 में स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र संख्या–सी0 एम0/वि0 को0/एम0/ पी0जी0–10475732/2014, प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न के सन्दर्भ में जो मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र संख्या–सी0 एम0/वि0 को0/एम0/ पी0जी0–10475732/2014 पर दर्ज है, प्राप्त हुआ है।

जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम पयागपुर के मजरा सहसरांवा मिश्रनपुरवा में बिजनेस प्लान 2013–14

के अन्तर्गत स्वीकृत लाइन निर्माण एवं परिवर्तक स्थापना व ए0बी0 केबिल लगाने का कार्य पूर्ण हो गया है, वर्तमान में ग्राम की विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से हो रही है तथा मजरा पलटनपुरवा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 11वीं योजना में चयनित है। विद्युतीकरण का कार्य सितम्बर, 2015 तक किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिव प्रसाद गुप्त, मण्डलीय जिला चिकित्सालय, वाराणसी में हीमोफीलिक मरीजों के इलाज हेतु फैक्टर 8 एवं 9 का इंजेक्शन उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रकरण

105–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हीमोफीलिक बच्चों के इलाज हेतु फैक्टर 8 एवं 9 का इंजेक्शन वाराणसी के मण्डलीय अस्पताल में आवश्यक मात्रा में उपलब्ध न होने से गरीब बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मण्डलीय अस्पताल को पुनः पर्याप्त मात्रा में उक्त इंजेक्शन उपलब्ध कराकर निरन्तरता बनाये रखने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

श्री शिव प्रसाद गुप्त, मण्डलीय जिला चिकित्सालय, वाराणसी में हीमोफीलिक मरीजों के इलाज हेतु फैक्टर 8 एवं 9 का इंजेक्शन उपलब्ध है तथा दवा के अभाव में किसी भी गरीब बच्चे को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

दिनांक 12 अक्टूबर, 2014 को आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्यों में हुदहुद चक्रवात से प्रभावित उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों लखनऊ में हुई जनधन तथा फसलों की हानि का सर्वेक्षण कराकर प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाया जाना

106–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 12 अक्टूबर, 2014 को आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्यों में हुदहुद चक्रवात आया था, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों एवं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रदेश के प्रभावित जिलों में जनधन एवं फसलों की हानि का कोई सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

हुदहुद के फलस्वरूप कुल 26 जनहानि तथा 17 पशु हानि हुई है। सामान्य रूप से फसलों की क्षति 50 प्रतिशत से कम हुई है।

जी हां।

प्रदेश में संचालित संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित फसलों की क्षति का आंकलन अधिसूचित क्षेत्र में मौसम के अन्त में निर्धारित संख्या में कराये जाने का प्राविधान है। फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर फसलों की ग्राम पंचायतवार उपज का आंकलन कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर बीमित कृषकों को नियमानुसार देय क्षतिपूर्ति का आंकलन कराकर भुगतान जनपद स्तर पर कार्यरत बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0डी0पी0एल0 के कर्मचारियों के 34 माह के बकाये वेतन एवं प्रोविडेन्ट फण्ड के भुगतान एवं कम्पनी में लगातार की जा रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच बाहरी उच्च स्तरीय एजेन्सी से कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

107—डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0डी0पी0एल0 के कर्मचारियों के 34 माह के बकाये वेतन एवं प्रोविडेन्ट फण्ड के भुगतान एवं कम्पनी में लगातार की जा रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच बाहरी उच्च स्तरीय एजेन्सी से कराये जाने के सम्बन्ध में यू0पी0डी0पी0एल0 संयुक्त संघर्ष समिति के महामंत्री का पत्र संख्या यू0पी0डी0पी0एल0/ सं0/2014/57, दिनांक 13—10—2014 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन—

जी हां।

(1) कम्पनी की विगत कई वर्षों से आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कर्मचारियों को लगभग 26 माह का वेतन बकाया चल रहा है। वर्तमान में विगत माह अक्टूबर, 2013 से अद्यतन वेतन का भुगतान किया जा रहा है। बकाया वेतन के भुगतान एवं अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु उच्च स्तरीय बैठक में कार्य योजना बनाई गई है।

(2) प्रोविडेन्ट फण्ड में लगभग रु0 1.5 करोड़ की धनराशि इस वित्तीय वर्ष में जमा किया जा चुका है एवं कर्मचारियों को जो वर्तमान में वेतन भुगतान किया जा रहा है उसमें प्रोविडेन्ट फण्ड की धनराशि भी जमा की जा रही है।

(3) कम्पनी की वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की जांच की जा रही है। शीघ्र ही यह जांच पूरी कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के चक गंजरिया में मेदान्ता सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल की स्थापना निजी क्षेत्र विकासकर्ता अंशल ए0पी0आई0 द्वारा आवंटित भूमि पर स्थापना की जानकारी

108–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के चक गंजरिया प्रक्षेत्र में मेदान्ता सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल की स्थापना की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अस्पताल सरकारी क्षेत्र का या निजी क्षेत्र का या पी0पी0पी0 माडल पर बनेगा प्रस्तावित है ? क्या सरकार उक्त से संबंधित समस्त विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं। मेदान्ता सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल की स्थापना चक गंजरिया प्रक्षेत्र में नहीं अपितु निजी क्षेत्र में विकासकर्ता अंशल ए0पी0आई0 द्वारा आवंटित भूमि पर की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद में राजा का ताल स्थित पुराने एन0एच0–2 मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क भाग के निर्माण हेतु पी0डब्लू0डी0 निर्माण खण्ड शाखा द्वारा स्वीकृत इस्टीमेट शासन से प्राप्त तथा की गई कार्यवाही की जानकारी

109–श्री मनीष असीजा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद में राजा का ताल स्थित पुराने एन0एच0–2 मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क भाग के निर्माण हेतु पी0डब्लू0डी0 निर्माण खण्ड शाखा द्वारा रु0 5.50 करोड़ का इस्टीमेट शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग हेतु रु0 314.46 लाख का इस्टीमेट शासन को प्राप्त हुआ है।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बिजनौर की तहसील धामपुर, परगना स्योहारा, ग्राम याकूबपुर, पोस्ट सहसपुर, ग्राम सभा के कतिपय भू–खण्डों में लगे पेड़ों की कटान करके पशु वधशाला बनाये जाने के कारण दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना

110–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बिजनौर, तहसील–धामपुर परगना स्योहारा ग्राम याकूबपुर, पोस्ट सहसपुर के भू–खण्ड सं0 47,52 व 54 तथा 40, 45, 56, 54, 57, 46, 48, 49, 50, 70, 75, व 101, 102 तथा 112 पर लगे आम व अमरूद के फलदार बागों, वृक्षों को काटकर उक्त भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा पशु

वधशाला का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त हेतु पूर्वानुमति प्राप्त की गयी है ? यदि हां, तो कब एवं उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जनपद–बिजनौर, तहसील–धामपुर, परगना स्योहारा, ग्राम याकूबपुर, पोस्ट सहसपुर के ग्राम सभा में वर्णित खसरा सं0–47, 52 व 54 तथा 40, 45, 56, 54, 57, 46, 48, 49, 50, 70, 75, व 101, 102 तथा 112 में वर्तमान में किसी भी प्रजाति के वृक्ष का न तो कटान हुआ है और न ही पशु वधशाला का निर्माण।

वर्ष 2009 में खसरा संख्या–47 में स्थित पेड़ों में से 15 पेड़ आम का पातन मौ0 शेखान सहसपुर, तहसील धामपुर द्वारा बिना पातन परमिट के करने पर वन अपराध केस संख्या–23/धामपुर/2009–10 पंजीकृत किया गया। सम्बन्धित अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार करने पर रु0 15,000.00 प्रतिकर ई–3 रसीद संख्या–50/288 दिनांक 21–11–2009 से प्राप्त कर केस प्रशमित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ शहर में मोदीपुरम तिराहे के पास निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माणकर्ता ठेकेदार/ फर्म का अनुभव प्रमाण–पत्र का सत्यापन कराकर फर्जी ठेकेदारों के प्रमाण–पत्र के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना

111–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त मेरठ शहर में मोदीपुरम तिराहे के पास निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माणकर्ता ठेकेदार/फर्म का अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मेरठ शहर में मोदीपुरम तिराहे के पास निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माणकर्ता ठेकेदार/फर्म के अनुभव प्रमाण–पत्र का सत्यापन नहीं कराया गया है।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा निदेशक, एन0के0जी0 इन्फ्रा0 लि0, गाजियाबाद को निर्माणकर्ता ठेकेदार/फर्म के अनुभव प्रमाण–पत्र के सत्यापन हेतु दिनांक 06–02–2015 को पत्र भेजा गया है। प्रमाण–पत्र के सत्यापन के पश्चात् फर्जी पाये जाने

की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को निर्देशित कर दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ की निर्माणाधीन आउटर एवं इनर रिंग रोड को पूर्ण कराया जाना

112—श्री रविन्द्र भडाना—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ की निर्माणाधीन आउटर एवं इन रिंग रोड कब तक पूर्ण करा दी जायेगी ? क्या सरकार बतायेगी कि अब तक पूर्ण न कराये जाने का कारण क्या है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

प्रश्नगत कार्य लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित नहीं है बल्कि महायोजना—2021 के अन्तर्गत जनपद मेरठ में इनर रिंग रोड तथा आउटर रिंग रोड का निर्माण मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की 247 विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड सदर में भुवालपुर और ग्राम मझिलड़ा के बीच सई नदी पर देवघाट पुल वर्ष 2010—11 में बनकर तैयार होने के बाद एप्रोच रोड का निर्माण कराया जाना

113—श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0के0 वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद—प्रतापगढ़ की 247, विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड सदर में भुवालपुर और ग्राम मझिलड़ा के बीच सई नदी पर देवघाट पुल वर्ष 2010—11 में बनकर तैयार हुआ किन्तु एप्रोच रोड नहीं बनी है ? यदि हां, तो एप्रोच रोड का निर्माण सरकार कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जिला फैजाबाद के ग्राम कुट्टी, मजरा ललुवापुर ब्लाक, परगना व तहसील रूदौली का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 11वीं योजना में चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाना

114—श्री रामचन्द्र यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कुट्टी, मजरा ललुवापुर ब्लाक, परगना व तहसील रूदौली जिला फैजाबाद में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या—पी0जी0—10526425, पत्र संख्या—सी0एम0/वि0को0/एम0/ पीजी0—10526425/2014 दिनांक 08—10—2014

प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

ग्राम कुट्टी, मजरा ललुवापुर ब्लाक, परगना व तहसील रूदौली, जिला फैजाबाद का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 11वीं योजना में चयनित है एवं कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राज शेखर तत्कालीन चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामसेनहीघाट जनपद बाराबंकी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती–पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

115–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामसेनहीघाट जिला बाराबंकी में तैनात डा0 राज शेखर के विरुद्ध बिन्दुवार शिकायतों का उल्लेख करते हुये निलम्बन करके स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के अनुरोध पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या पीजी–10270938 पर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0–10270938/2013 दिनांक 21–5–2013 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

डा0 राज शेखर तत्कालीन चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामसेनहीघाट जनपद बाराबंकी के विरुद्ध मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 10–05–2013 के साथ संलग्न पत्रों में अंकित शिकायतों की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद से करायी गई। जांच आख्या शासन में प्राप्त हो गयी है, जो परीक्षणाधीन है। डा0 राज शेखर को माह जुलाई, 2013 में मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामसनेहीघाट से स्थानान्तरित करके अन्यत्र तैनात किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में दक्षिण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत के कतिपय ग्रामों की जर्जर स्थिति को देखते हुए उन मार्गों की मरम्मत कराया जाना

116–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बहद्दपुर से सोलाना होकर अछरोडा मार्ग, परतापुर से महरौली मार्ग,

फफूण्डा से बिजली मार्ग, भूड बराल से बहद्दपुर मार्ग बाई पास से बजोट होता हुआ पुनः बाई पास मिलाने वाला मार्ग, जुर्रानपुर फाटक से नरहेड़ा होकर हापुड़ रोड मिलाने वाला मार्ग, जुर्रानपुर फाटक से ग्राम गगोल मार्ग एवं गगोल से ततीनासानी नरहडा मार्ग अत्यन्त जीर्णशीर्ण हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के दक्षिण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत फफूडा–अल्लीपुर–पिपलीखेड़ा, फफूडा के 69 सरकारी ट्यूबवेल से पिपलीखेड़ा हापुड़ रोड से अलीपुर कुढला और गगोल तीर्थ से गगोल बाई पास तक क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करना

117–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत फफूडा–अल्लीपुर–पिपलीखेड़ा, फफूडा के 69 सरकारी ट्यूबवेल से पिपलीखेड़ा हापुड़ रोड से अलीपुर कुढला और गगोल तीर्थ से गगोल बाई पास तक के मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ की दक्षिण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मार्ग गगोल तीर्थ से चांदसारा होकर हापुड़ रोड नौगजापीर को मिलाने वाला सम्पर्क मार्गों तथा अन्य सम्पर्क मार्गों की जर्जर स्थिति को देखते हुए मरम्मत किया जाना

118–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मार्ग गगोल तीर्थ से चांदसारा होकर हापुड़ रोड नौगजापीर को मिलाने वाला सम्पर्क मार्ग, कताई मिल से इटायरा मार्ग, भूडबराल से उपलहड़ा होकर छज्जूपुर मार्ग, छज्जूपुर से मोहद्दीनपुर मार्ग व मोहद्दीनपुर से गांवड़ी मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आवंला जनपद बरेली स्थित पान्चाल क्षेत्र रामनगर स्थित द्रौपदी थीम पार्क के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराया जाना

119—श्री धर्मपाल सिंह—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवंला जनपद बरेली स्थित पान्चाल क्षेत्र रामनगर स्थित द्रौपदी थीम पार्क का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

आंवला विधान सभा क्षेत्र स्थित रामनगर अहिच्छत्र के महाभारत कालीन महत्व के दृष्टिगत थीम पार्क के निर्माण की योजना वर्ष 2008—09 में स्वीकृत की गयी थी, जिसके लिये रु0 182.35 लाख की धनराशि फरवरी, 2009 में अवमुक्त की गयी थी। योजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि रु0 182.35 लाख के अन्तर्गत स्वीकृत सभी कार्य आगणन के अनुरूप वर्ष 2012 में पूरे कराकर योजना हस्तान्तरित की जा चुकी है। थीम पार्क का नवम्बर, 2012 से पर्यटकों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

जनपद गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत हापुड़ रोड पर ग्राम गदाना से कलहीना रोड तक जीर्ण—शीर्ण बम्बे की पटरी एवं सड़क का मरम्मत कराया जाना

120—श्री सुदेश शर्मा—

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत हापुड़ रोड पर ग्राम गदाना से कलहीना रोड तक बम्बे की पटरी अत्यन्त जीर्ण—शीर्ण होने के कारण लगभग 20 गांवों के नागरिकों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बम्बे की पटरी का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत ब्लाक भोजपुर के ग्राम शाहजहांपुर से ग्राम भण्डौला होते हुये मौहीउद्दीनपुर खरखौदा रोड तक की अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण सड़क का मरम्मत किया जाना

121–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र–मोदीनगर, जनपद–गाजियाबाद के अन्तर्गत ब्लाक भोजपुर में ग्राम शाहजहांपुर से ग्राम भण्डौला होते हुये मौहीउद्दीनपुर खरखौदा रोड तक सड़क अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। यातायात सुचारु रूप से चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में सहकारिता विभाग की जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में कितना धन का आवंटन हुआ, की जानकारी

122–श्री दीपक पटेल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद इलाहाबाद में सहकारिता विभाग को जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में कितने धन का आवंटन किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त धनराशि से कितना खर्च किया गया तथा कितना शेष है ? क्या सरकार शेष धनराशि से जन प्रतिनिधियों के प्रस्तावों को लेकर कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

जनपद इलाहाबाद में सहकारिता को जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 में पूर्वांचल विकास निधि जिलांश योजना के अन्तर्गत कितना–कितना धन परियोजनाओं हेतु आवंटित किया गया, के विवरण की जानकारी

123–श्री दीपक पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 में पूर्वांचल विकास निधि जिलांश योजना के अन्तर्गत जनपद की किन–किन विधान सभा क्षेत्रों में कितना–कितना धन परियोजनाओं हेतु आवंटित किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना में प्रदत्त धन से सभी जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर धन का समान वितरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव, फाफामऊ, हण्डिया, झूंसी, शहर दक्षिणी, करछना, मेजा, कोरांव, शहर पश्चिमी, प्रतापपुर, शहर उत्तरी तथा बारा में प्रत्येक को सामान्य मद में रु0 26.32 लाख एवं एस0सी0पी0 मद में रु0 17.10 लाख का आवंटन तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपर्युक्त विधान सभा क्षेत्रों में प्रत्येक को सामान्य मद में रु0 38.06 लाख एवं एस0सी0पी0 मद में रु0 24.76 लाख का आवंटन किया गया।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में इलाहाबाद नारीबारी–प्रतापपुर मार्ग तथा गौहनियां करमा–करछना मार्ग क्षतिग्रस्त होने से मार्ग का निर्माण कराया जाना

124–श्री दीपक पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद इलाहाबाद में इलाहाबाद नारीबारी–प्रतापपुर मार्ग तथा गौहनियां करमा–करछना मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की तहसील बारा में विदेशी शराब की दुकानों का संचालन आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित स्थल पर न कराने के कारण निर्धारित स्थल पर स्थानान्तरित कराने विषयक

125—श्री दीपक पटेल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के तहसील बारा में विदेशी शराब की दुकान का संचालन आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित स्थल पर नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दुकान को निर्धारित स्थल पर स्थानान्तरित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं। जनपद इलाहाबाद के तहसील बारा में वर्ष 2014—15 में विदेशी शराब की कुल 12 दुकानें संचालित हैं। उपरोक्त सभी दुकानें उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रास्थिति/चौहद्दी पर संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद—झांसी राजमार्ग को चार लेन किये जाने की सरकार की कोई कार्य योजना की जानकारी

126—श्री दीपक पटेल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के इलाहाबाद—झांसी राजमार्ग को चार लेन किये जाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उक्त राजमार्ग पर कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत भाग, रा0मा0 सं0—76 का आंशिक भाग है, जिसका स्वामित्व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का है। मार्ग के इस भाग को वर्तमान में चार लेन में विकसित किये जाने की प्राथमिकता सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की नहीं है।

जनपद बस्ती में 310 विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के विकास खण्ड साउघाट के अन्तर्गत प्लास्टिक काम्पलेक्स चौराहे से मछिया होते हुये बेलसूही तक अत्यन्त जर्जर मार्ग का निर्माण कराया जाना

127—श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में 310 विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के विकास खण्ड साउघाट के अन्तर्गत प्लास्टिक काम्पलेक्स चौराहे से मछिया होते हुये बेलसूही तक लगभग 4 कि0मी0 पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढे होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना

करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड साउघाट के अन्तर्गत मकबूलगंज चौराहे से हरवा शुक्ल कसैला चौराहे होते हुये रामपुर तक लगभग 5 कि0मी0 तक की अत्यन्त जर्जर सड़क की मरम्मत कराना

128–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बस्ती के विकास खण्ड साउघाट के अन्तर्गत मकबूल गंज चौराहे से हरवा शुक्ल कसैला चौराहे होते हुये रामपुर तक लगभग 5 कि0मी0 पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढे होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड बनकटी के अन्तर्गत गोदवल बाजार से रामपुर तक ग्राम वरडाड से रामपुर तक एवं तुर्क वालिया चौराहे से केवटिया तक अत्यन्त जर्जर सड़क का निर्माण कराया जाना

129–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड बनकटी के अन्तर्गत गोदवल बाजार से रामपुर तक लगभग 3 कि0मी0 तक व ग्राम वरडाड से रामपुर तक लगभग 2 कि0मी0 तक एवं तुर्क वालिया चौराहे से केवटिया प्रधानमंत्री मार्ग तक लगभग 2 कि0मी0 तक पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढे होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड बनकटी के अन्तर्गत ग्राम–सिकरावरगाह से वैदा मार्ग की जर्जर, गड्ढायुक्त सड़क का निर्माण कराया जाना

130–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड बनकटी के अन्तर्गत ग्राम–सिकरावरगाह से वैदा मार्ग तक लगभग 2 कि0मी0 तक पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढा युक्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड साउघाट के अन्तर्गत शुगर मिल बस्ती के ग्रा0 मचखिरिया होते हुये लोहरी चौराहे तक तथा एन0एच0 28 पर साहज्जाय चौराहे से टेढ़ी गिमटी तक जर्जर एवं गड्ढायुक्त सड़क का निर्माण

131–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड साउघाट के अन्तर्गत शुगर मिल बस्ती के ग्रा0 मचखिरिया होते हुये लोहरी चौराहे तक लगभग 3 कि0मी0 तक तथा एन0एच0 28 परसाहज्जाय चौराहे से टेढ़ी गिमटी तक लगभग 3 कि0मी0 तक पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढा युक्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत वर्णित मार्गों के क्षतिग्रस्त भाग की विशेष मरम्मत का कार्य स्वीकृत है जिसे इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सरावन ग्राम पंचायत के मजरा खितौनी तक का मार्ग क्षतिग्रस्त होने से मरम्मत किया जाना

132—श्री सन्तराम कुशवाहा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सरावन ग्राम पंचायत के मजरा खितौनी तक आवागमन के लिये माईनर पर पक्का रोड लगभग 15 वर्ष पहले माइनर की पटरी पर लगभग 2 कि0मी0 बना था जो पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी नहीं। मार्ग की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य जून, 2014 में पूर्ण कराया जा चुका है। मार्ग वर्तमान में यातायात हेतु सुलभ है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी विकास खण्ड बबीना में ग्राम पंचायत बैदौरा के मजरा गड़रिया पुरा से पोटापुरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण का प्रकरण

133—श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी विकास खण्ड बबीना में ग्राम पंचायत बैदौरा के मजरा गड़रिया पुरा से पोटापुरा तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आने—जाने में भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

ग्रामीणों को आने—जाने में असुविधा होती है।

जी नहीं। ग्राम पोटापुरा पूर्व से सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है तथा गड़ेरिया (आबादी 40) तक मार्ग का निर्माण कार्य सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी विकास खण्ड चिरगांव में ग्राम मडगुवां से रनगुवां तक सड़क के क्षतिग्रस्त होने से निर्माण कराया जाना

134—श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी विकास खण्ड चिरगांव में ग्राम मडगुवां से रनगुवां तक सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीणों को आने–जाने में भारी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा आवागमन चालू है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–झांसी विकास खण्ड बबीना में ग्राम पंचायत डोमागोर से मजरा शंकरगढ़ तक सड़क न होने से सड़क का बनवाया जाना

135–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी विकास खण्ड बबीना में ग्राम पंचायत डोमागोर से मजरा शंकरगढ़ तक सड़क न होने के कारण मजरा के लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

जी नहीं। ग्राम डोमोगोर पूर्व से ही सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। मजरा शंकरगढ़ (आबादी 100) को लेपित मार्ग से जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–झांसी विकास खण्ड–बबीना में ग्राम पंचायत सिमरा से डोमागोर के राम जानकी मन्दिर तक सड़क का बनवाया जाना

136–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी विकास खण्ड–बबीना में ग्राम पंचायत सिमरा से डोमागोर के राम जानकी मन्दिर तक सड़क एवं सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को अधिक कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम सिमरा, अम्बावाय–गेवरा मार्ग के कि0मी0 7 से जुड़ा है। इस मार्ग के किमी0 10 से राम जानकी मन्दिर तक 1.30 कि0मी0 का कच्चा रास्ता है।

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–झांसी विकास खण्ड– चिरगांव में ग्रा0 भुइई–पिठरी रोड से मुस्तरा नदी तक सड़क न होने के कारण सड़क का निर्माण कराया जाना

137–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी विकास खण्ड–चिरगांव में ग्रा0 भुइई–पिठरी रोड से मुस्तरा नदी तक सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को आने–जाने में भारी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को आने–जाने में परेशानी हो रही है।

जी नहीं। जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव के अन्तर्गत छिरौना–अतपई मार्ग के कि0मी0 6 पर मुडई ग्राम स्थित है एवं मुडई–बिठरी तक 2.00 कि0मी0 तक लेपित मार्ग है। इस प्रकार दोनों ग्राम लेपित सम्पर्क मार्गों से जुड़े है। बिठरी से मुस्तरा नदी तक कच्चा रास्ता है, जिसका निर्माण कार्य सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–बदायूं के बिल्सी विधान सभा क्षेत्र में उझानी से बरामाल देव होकर अब्दुल्लागंज तक एवं रामपुर बुजुर्ग से सिद्धपुर चित्रसेन होकर रिसौली तक सम्पर्क मार्ग गड्ढा युक्त तथा जलभराव की समस्या दूर करने हेतु सड़क का निर्माण

138–श्री मुसर्रत अली बिट्टन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बदायूं के बिल्सी विधान सभा क्षेत्र में उझानी से बरामाल देव होकर अब्दुल्लागंज तक लगभग 2 कि0मी0 तक एवं रामपुर बुजुर्ग से सिद्धपुर चित्रसेन होकर रिसौली तक सम्पर्क मार्ग गड्ढा युक्त होने एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। यातायात चल रहा है।

मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–बदायूं के बिल्सी विधान सभा क्षेत्र में दिधौनी पेट्रोल पम्प से बैरमई खुर्द तक उझानी से भिहौना होकर रिसौलीतम तक हरदन्तपुर से जरीकपुर गढ़िया होकर सिरकवारी जामनी तक गड्ढायुक्त, जलभरावयुक्त सड़क का निर्माण

139–श्री मुसर्रत अली बिट्टन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बदायूं के बिल्सी विधान सभा क्षेत्र में दिधौनी पेट्रोल पम्प से बैरमई खुर्द तक लगभग 3 कि0मी0 तक उझानी से भिहौना होकर रिसौलीतम तक लगभग 5 कि0मी0 एवं हरदन्तपुर से जरीकपुर गढ़िया होकर सिरकवारी जामनी तक लगभग 6 कि0मी0 तक सम्पर्क मार्ग गड्ढायुक्त होने एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। यातायात चल रहा है।

मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रमीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत 300 की आबादी वाले मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने का प्रकरण

140–श्री मुसर्रत अली बिट्टन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बदायूं के विधान सभा क्षेत्र 114 बिल्सी के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रमीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत 300 की आबादी वाले मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत वितरण मण्डल द्वारा 18 अगस्त,2012 को मांगे जाने के उपरान्त आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है, जिससे

नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में विद्युतीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जनपद बदायूं में कार्यदायी संस्था द्वारा विद्युतीकरण के कार्य हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है। विद्युतीकरण का कार्य अगस्त, 2016 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी के सहसवान तहसील के तेलिया नगला रज्जू नगला, गिरधारी नगला आदि गांव में गंगा की बाढ़ से पूर्णतया नष्ट हो जाने से इन गांवों के वासिन्दों के पुनर्वास की योजना

141–श्री मुसर्रत अली बिट्टन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बदायूं के विधान सभा क्षेत्र 114 बिल्सी के सहसवान तहसील के तेलिया नगला, रज्जू नगला, गिरधारी नगला आदि गंगा की आयी बाढ़ में पूर्णतया समा गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों के वासिंदों के पुनर्वास हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

वर्ष 2012 में गंगा नदी में आयी बाढ़ से ग्राम तेलिया नगला, रज्जू नगला, आसे नगला एवं गिरधारी नगला मजरा खिरकवारी मानपुर पुख्ता की आबादी में बने 150 मकान कट गये थे।

बाढ़ से प्रभावित 150 परिवारों को ग्राम मूसेपुर परगना व तहसील सहसवान में आवासीय भूमि आवंटित कर बसाया गया है। राज्य आपदा मोचक निधि के अन्तर्गत गृह अनुदान मद में अनुमन्य धनराशि वितरित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बदायूं की विधान सभा क्षेत्र बिल्सी में गंगा की बाढ़ से प्रभावित जो गांव बाढ़ की कटान पर प्रभावित क्षेत्र में गंगाघाट पर बांध बनवाये जाने की सरकार की योजना

142–श्री मुसर्रत अली बिट्टन–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बदायूं के विधान सभा क्षेत्र 114 बिल्सी के अन्तर्गत क्षेत्र का एक हिस्सा गंगा की बाढ़ से प्रभावित है तथा सैकड़ों एकड़ जमीन बाढ़ से कट चुकी है नगर पंचायत कहला से सरोता

पूर्णतया बाढ़ के कटान पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार खजरा से सराय स्वाले कोटरा भेसोरा होते हुये नन्ना खेढ़ा तक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के बचाव हेतु जनहित में गंगा घाट पर बांध बनवाने का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद–बदायूं के विधान सभा क्षेत्र 114 बिल्सी के अन्तर्गत गंगा नदी के बांये तट पर कछला, सरौता एवं ननाखेड़ा ग्राम स्थित है। गंगा नदी विगत वर्ष से ग्राम सरौता के निकट कटान कर रही हैं। कछला और ननाखेड़ा ग्राम में कटान की कोई समस्या अभी तक प्रकाश में नहीं आई है।

सरौता आदि निकटस्थ ग्रामों को गंगा नदी की कटान से सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक योजना ''जनपद बदायूं में गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम सरौता, नूरगंज, चौसिंगा आदि ग्राम समूह की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा परियोजना'' धनराशि रु0 597.50 लाख की बनायी गयी है। उक्त के अतिरिक्त कछला, सरौता, खजरा, सराय स्वाले, कोटरा, भौसोरा एवं ननाखेड़ा आदि ग्रामों को गंगा नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु ''जनपद बदायूं में गंगा नदी के बांये तट पर 18.000 कि0मी0 लम्बाई के भवरौल तटबन्ध (कछला से खुरदारा) के निर्माण की एक परियोजना धनराशि रु0 5071.16 लाख'' बनायी गयी है।

परियोजनाओं के सक्षम स्तर से स्वीकृत होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम रफायट पर0 तहसील इगलास की करवन नदी पर पुल निर्माण की योजना

143–श्री त्रिलोकीराम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ग्राम रफायट पर0 तहसील इगलास की करवन नदी पर पुल निर्माण कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण सरकार द्वारा कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम–रफायतपुर के डाउनस्ट्रीम में लगभग 3.00 किमी0 तथा अपस्ट्रीम में लगभग 5.00 कि0मी0 की दूरी पर लघु सेतु निर्मित है। सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में 10.00 कि0मी0 अपस्ट्रीम अथवा डाउनस्ट्रीम में सेतु निर्मित होने की स्थिति में नये सेतु का निर्माण नहीं किया जाता है।

बरेली–पीलीभीत सड़क मार्ग को चार लेन का बनाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

144–डा0 अरूण कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में बरेली–पीलीभीत सड़क मार्ग को चार लेन का बनाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5–नं0–270520 दिनांक 30–09–2014 अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जनपद–बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बरेली के अधीन होने के कारण महाप्रबन्धक एवं परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बरेली से आख्या प्राप्त की गयी। राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–34 (30) बरेली से सितारगंज तक मार्ग को 10 मी0 चौड़ा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, जिस हेतु रु0 279.00 करोड़ का कान्ट्रेक्ट मै0 वी0आई0एल0 लि0 को दिया गया है। वर्तमान में परियोजना की प्रगति लगभग 4 प्रतिशत है तथा परियोजना का कार्य पूर्ण करने की तिथि 23–01–2016 निर्धारित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

145–श्री प्रदीप माथुर–

खदिनांक 09–03–2015 को अता0प्र0सं0–61 द्वारा उत्तरित,

जनपद मथुरा के मथुरा, गोवर्धन एवं वृन्दावन विकास खण्डों में कतिपय मार्गों के नवनिर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

146–श्री प्रदीप माथुर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के मथुरा, गोवर्धन एवं वृन्दावन विकास खण्डों में कतिपय मार्गों के नवनिर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5–नं0 312294 तथा 312448, दिनांक 27 जून, 2014 पर उनके द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को आगणन प्रस्तुत कर स्वीकृत करने के आदेश पारित किये गये थे ? यदि हां, तो पत्रों में वर्णित मार्गों के नवनिर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

पत्र संख्या–क–5, नं0–312294 में वर्णित समस्त ग्राम लेपित मार्ग से जुडे हैं, इन्हें आपस में जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। पत्र संख्या–क–5 नं0–312448 में वर्णित 07 मार्गों में से 04 मार्गों की दशा

संतोषजनक है तथा 02 मार्ग नगरपालिका परिषद् मथुरा के स्वामित्व में है। 01 मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

मथुरा–अलीगढ़ मार्ग पर यमुना नदी पर स्थित जर्जर पुल की मरम्मत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

147–श्री प्रदीप माथुर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा–अलीगढ़ मार्ग पर यमुना नदी पर स्थित जर्जर पुल की मरम्मत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 व 27 जून, 2014 उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त जर्जर पुल की मरम्मत के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

शासनादेश सं0–25आग/23–10–14–23 सेतु/14 दि0 28–10–14 द्वारा रु0 363.93 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा शहर में स्टेट बैंक चौराहे से टैक चौराहे के मध्य स्थित मुर्गा रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

148–श्री प्रदीप माथुर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा शहर में स्टेट बैंक चौराहे से टैक चौराहे के मध्य स्थित मुर्गा रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5 नं0 312447, दिनांक 27 जून, 2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ओवर ब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मथुरा शहर में स्टेट बैंक चौराहे से टैक चौराहे के मध्य स्थित मुर्गा रेलवे फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण हेतु महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को प्रस्ताव रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित करते हुए सहभागिता हेतु सहमति प्रदान करने के लिये प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड सैदपुर में बिहारीगंज डगरा से करमपुर होते हुए उंचौरी गांव को जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराया जाना

149–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड सैदपुर में बिहारीगंज डगरा से करमपुर होते हुए उंचौरी गांव को जाने वाली सड़क

क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन अवरुद्ध रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा आवागमन सुचारु रूप से हो रहा है।

मार्ग की कुल लम्बाई 9.500 कि0मी0 के सापेक्ष 2.000 कि0मी0 लम्बाई में विशेष मरम्मत का कार्य स्वीकृत है। कार्य प्रगति में है, शेष कि0मी0 में मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में पोषण पुनर्वास केन्द्र खोले जाने की मांग

150–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 5 साल तक के कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए उन्हें कुपोषण से बचाने एवं पुनर्वास हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्र खोले जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में कुल कितने पोषण पुनर्वास केन्द्र खोले गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जनपद सोनभद्र के जिला महिला चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

किसान सहकारी चीनी मिल लि0, धुरियापार (गोरखपुर) के बन्द होने से किसानों की अधिग्रहीत भूमि वापस किये जाने की मांग

151–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धुरियापार चीनी मिल, गोरखपुर को हमेशा के लिए बन्द कर दिये जाने के निर्णय के बाद उक्त भूमि जो किसानों से ली गयी थी उसे उन्हें वापस करने या उसे अन्य किसी उपयोग में लाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

किसान सहकारी चीनी मिल लि0 धुरियापार (गोरखपुर) उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम–1965 के अन्तर्गत एक पंजीकृत समिति है। धुरियापार मिल समिति का

विधिवत समापन और विघटन नहीं हुआ है तथा मिल स्थल पर प्लान्ट एवं मशीनरी के अतिरिक्त शीरा टैंक, चीनी गोदाम, कार्यालय एवं आवासीय भवन अभी स्थापित है।

जिला अस्पताल लखीमपुर में मानक के अनुसार सुविधायें, डाक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ तैनात कर पर्याप्त संसाधनों से मरीजों का उपचार कराने विषयक

152–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल, लखीमपुर को 300 शैय्याओं का बनाया जाना प्रस्तावित है ? क्या यह सही है कि सुविधा के अभाव में गंभीर बीमारी या गंभीर एक्सीडेन्टल मरीजों की अक्सर मौतें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला अस्पताल, लखीमपुर में मानक के अनुरूप सुविधायें, डाक्टर्स व पैरा मेडिकल स्टाफ तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं। जिला चिकित्सालय में उपलब्ध पर्याप्त संसाधनों में मरीजों का उपचार किया जाता है। यथावश्यकता गंभीर मरीजों को राजकीय एम्बुलेन्स से निकटस्य जनपद लखनऊ स्थित राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा विश्वविद्यालय को संदर्भित कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी मे गोला रोड रेहनिया से मझगवां होते हुए उमरपुर व मूडा निजाम ग्राम तक क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण किया जाना

153–अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में गोला रोड रेहरिया से मझगवां होते हुए उमरपुर व मूडा निजाम ग्राम तक सड़क क्षतिग्रस्त है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग पर आंशिक पैच है, परन्तु आवागमन सुचारू से हो रहा है।

मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जिला खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी फीडर पर क्षमता से अधिक भार होने से उसकी क्षमता वृद्धि करने विषयक

154—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में मोहम्मदी फीडर पर क्षमता से अधिक भार है ? यदि हां, तो क्या सरकार भार के अनुरूप इसकी क्षमता में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जिला लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी कस्बे में तहसील मुख्यालय पर एक नया 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्मित हो चुका है। जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी कस्बे में कोई फीडर अतिभारित नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर में तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर में खडकारी से सन्तोषपुर झौआना तक कच्चा मार्ग व पुलिया का निर्माण कराया जाना

155—श्री रोशन लाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर में खडकरी से सन्तोषपुर झौआना तक कच्चा मार्ग व उक्त मार्ग के गरई नाला पर बड़ी पुलिया न होने से जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

क्षेत्रीय जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

जी नहीं। प्रश्न में वर्णित ग्राम खड़करी, संतोषपुर एवं झौआना अलग—अलग लेपित मार्ग से जुड़े हैं, अतः इन्हें आपस में जोड़ना, सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर में रूजवारी पुरायूं रोड से अल्हादपुर गौटिया तक कच्चे मार्ग का निर्माण

156—श्री रोशन लाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर में रूजवारी पुरायूं रोड से अल्हादपुर गौटिया तक कच्चे क्षतिग्रस्त मार्ग पर जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय

जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। किन्तु मार्ग निर्माणाधीन है। मार्ग पर टापकोट का कार्य पूर्ण है।

मार्ग का निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। निर्माण कार्य प्रगति में है।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर में मोहल्ला मुस्तफाबाद शेरगढ़ हरमानपुर चांदपुर होते हुए नरसा नगला तक क्षतिग्रस्त कच्चे मार्ग का निर्माण

157–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर में मोहल्ला मुस्तफाबाद शेरगढ़ हरभानपुर चांदपुर होते हुए नरसा नगला तक कच्चे क्षतिग्रस्त मार्ग पर जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/ मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

क्षेत्रीय जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

जी नहीं। मो0 मुस्तफाबाद पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा है। ग्राम शेरगढ़ को जोड़ने हेतु जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित किया गया है तथा हरभानपुर पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्माणाधीन मार्ग बिलहरी से धर्मपुर कन्जा के अन्तर्गत लेपित मार्ग से जुड़ जायेगा। ग्राम चांदपुर को लेपित मार्ग से जोड़ने हेतु जिला योजना वर्ष 2015–16 में प्रस्तावित किया जा रहा है तथा ग्राम नरसा नगला को लेपित मार्ग से जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड शाहाबाद के अन्तर्गत शहादत नगर से बहेड़ा रसूलपुर होते हुए टोडरपुर अन्तोरा रोड तक गड्ढायुक्त मार्ग का निर्माण

158–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड शाहाबाद के अन्तर्गत शहादत नगर से बहेड़ा रसूलपुर होते हुए टोडरपुर अन्तोरा रोड तक गड्ढायुक्त मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को

भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। मार्ग का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा लगभग 12 वर्ष पूर्व कराया गया था। इसका अनुरक्षण पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाना है। यह मार्ग लो0नि0वि0 के स्वामित्व में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने–जाने वाले महत्वपूर्ण सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

159–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले महत्वपूर्ण सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में ख्माननीय, मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0 एम0/वि0 को0/एम0/पी0जी0–10475664/2014 प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मा0 विधायक जी द्वारा प्रेषित पत्र में वर्णित 6 सम्पर्क मार्गों के मरम्मत की मांग की गई है। पत्र में वर्णित 04 मार्गों की मरम्मत का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है। शेष 02 मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में दो सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कृत कार्यवाही

160–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में दो सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम/पी0जी0–10477499/2014 जिलाधिकारी, जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित दोनों मार्ग का सम्बन्ध जनपद बहराइच से न होने के कारण कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में चार स्थानों पर विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कृत कार्यवाही

161—श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में चार स्थानों पर विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र संख्या—सी0एम0/वि0को0/एम/पी0जी0—10478325/2014 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

1—विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम पंचायत संचौली के मजरा कांधीकुइयां का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के 11वीं योजना (द्वितीय चरण) में चयनित है जिसका कार्य सितम्बर, 2015 तक कराया जाना लक्षित है।

2—विकास खण्ड पयागपुर ग्राम पंचायत पयागपुर के उत्तर टोले का विद्युतीकरण, सोहरियावां के मजरा पाण्डेपुरवा में विद्युतीकरण एवं 25 के0वी0 का परिवर्तक का कार्य तथा विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत दिगितपुरवा के मजरा देवानपुरवा में विद्युतीकरण एवं परिवर्तक लगाये जाने हेतु किसी भी योजना में चयनित नहीं हैं। भविष्य में किसी योजना में चयनित होने पर विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

300 से कम आबादी वाले मजरे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (11वीं योजना) में विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं हैं एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं योजना) जनपद बहराइच में लागू नहीं है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में चार स्थानों पर सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

162—श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में चार स्थानों पर सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र संख्या—सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0—10478329/2014 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

पत्र दिनांक 01–07–2014 में वर्णित 4 सड़कों के मरम्मत की मांग की गयी है जिसमें क्रम सं0–1 पर अंकित मार्ग का आंशिक भाग व क्रम सं0–3 पर अंकित मार्ग की मरम्मत/उच्चीकरण का कार्य स्वीकृत है। क्रम सं0–1 पर अंकित मार्ग का शेष भाग तथा क्रम सं0–2 व 4 पर अंकित मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में कोट बाजार तथा भूपगंज बाजार में विद्युत परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र तथा की गई कार्यवाही की जानकारी

163–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में कोट बाजार तथा भूपगंज बाजार में विद्युत परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम/ पी0जी0–10462489/2014 प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में कोट बाजार तथा भूपगंज बाजार में स्थापित परिवर्तकों के क्षमतावृद्धि का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के मथुरा विकास खण्ड में 04 जर्जर मार्गों की मरम्मत कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र तथा की गई कार्यवाही की जानकारी

164–श्री प्रदीप माथुर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के मथुरा विकास खण्ड में 04 जर्जर मार्गों की मरम्मत कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5, नं0 201971, दिनांक 27 जून, 2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्गों के मरम्मत कार्य हेतु लागत का आंकलन करा लिया गया है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012–13 व वर्ष 2013–14 में जिन लोगों ने विद्युत नलकूप सिंचाई के लिए आवश्यक धनराशि जमा करके रसीद कटवायी है, को प्राथमिकता पर विद्युत कनेक्शन देना

165–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012–13 व वर्ष 2013–14 में जिन लोगों ने विद्युत नलकूप कनेक्शन सिंचाई के लिए आवश्यक धनराशि जमा करके रसीद कटवायी है, को प्राथमिकता के आधार पर सरकार विद्युत कनेक्शन देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्राथमिकता के आधार पर विद्युत नलकूप कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

166–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्मा0 न्यायालय के विचारधीन होने के कारण निरस्त,

शाहजहांपुर के ददरौल तथा भावलखेड़ा ब्लाकों में वर्ष 2012 व वर्ष 2013 में नलकूप कनेक्शनों के ऊर्जीकरण हेतु पंजीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत लगाये जाने वाले नलकूपों पर सब्सिडी रेट पर ऊर्जीकरण कराये जाने विषयक

167–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के ददरौल तथा भावलखेड़ा ब्लाकों में कितने सिंचाई नलकूप कनेक्शनों के ऊर्जीकरण का पंजीकरण वर्ष 2012 व वर्ष 2013 में हुआ है ? उसमें से कितनों का सब्सिडाइज रेट पर कनेक्शन ऊर्जीकृत हो गया तथा शेष पंजीकृत सिंचाई नलकूपों को कनेक्शन कब तक ऊर्जीकृत करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत वर्ष 2012 में ददरौल ब्लाक में 77 एवं भावलखेड़ा ब्लाकों में 34 तथा वर्ष 2013 में ददरौल ब्लाक में 46 तथा भावलखेड़ा में 51 नलकूप कनेक्शनों का ऊर्जीकरण हेतु पंजीकरण हुआ है।

उक्त सभी नलकूपों को सब्सिडाइज रेट पर ऊर्जीकृत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में नलकूप मिस्त्रियों को द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ देने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

168–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कितने ऐसे नलकूप मिस्त्री हैं जिन्हें द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ प्रमुख

अभियन्ता (अधिष्ठान) द्वारा दिसम्बर, 2009 में दिये गये आदेश के उपरान्त भी नहीं दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इसी विषय से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का दिनांक 02 जुलाई, 2014 का पत्र प्रमुख सचिव, सिंचाई को संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर में द्वितीय ए0सी0पी0 के लाभ हेतु 05 नलकूप मिस्त्री पात्र थे, जिन्हें द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ दिया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई कार्यरत नलकूप मिस्त्री द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने हेतु पात्र नहीं है।

जी हां।

प्रमुख अभियन्ता (अधिष्ठान–प्प अनुभाग), सिंचाई विभाग उ0 प्र0 लखनऊ के नलकूप मिस्त्री को 24 वर्ष की सेवा पर द्वितीय ए0सी0पी0 रु0 8000–275–13500 दिये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 15–12–2009 को आदेश दिनांक 30–07–2010 द्वारा स्थगित किये जाने एवं आदेश दिनांक 26–08–2014 द्वारा निरस्तीकरण के दृष्टिगत पत्र में उल्लिखित श्री राम विलास वर्मा को द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के जिला चिकित्सालय में पुरुष व महिला डाक्टरों तथा विशेषज्ञ डाक्टरों की स्वीकृत पदों के सापेक्ष की गई नियुक्ति की जानकारी तथा भयंकर बीमारी उपचार हेतु चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराने विषयक

169–डा0 अरुण कुमार–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के जिला चिकित्सालय में पुरुष व महिला डाक्टरों, विशेषज्ञ/सर्जन डाक्टरों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने डाक्टर नियुक्त हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त अस्पताल में गम्भीर रोगों जैसे डायलिसिस, न्यूरो, हार्ट एवं लीवर आदि के उपचार हेतु चिकित्सीय उपकरण भी नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में डाक्टर्स के रिक्त पदों को भरते हुए आवश्यक चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जिला चिकित्सालय, बरेली में डाक्टरों, विशेषज्ञ/सर्जन के 43 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 33 विशेषज्ञ/सर्जन कार्यरत हैं। 10 पद रिक्त हैं। महिला चिकित्साधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

जी हां।

उपलब्धता के आधार पर रिक्त पदों पर चिकित्सकों की तैनाती की जाती है।

स्वास्थ्य विभाग में जिला चिकित्सालयों के लिये निर्धारित उपकरणों यथा हृदय विभाग में कार्डियेक मानिटर, ई0सी0जी0 मशीन, टी0एम0टी0 डिफैबरीलेटर उपलब्ध है।

विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों को स्थापित किया जाना प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में निर्माणाधीन 300 बेड वाले अस्पताल में मरीजों को बेहतर चिकित्सा प्रदान करने हेतु ट्रामा सेन्टर का निर्माण

170—डा0 अरुण कुमार—

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपद बरेली में निर्माणाधीन 300 बेड वाले अस्पताल में मरीजों को बेहतर चिकित्सा प्रदान करने के लिए ट्रामा सेन्टर का निर्माण सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन—

जी नहीं।

ट्रामा सेन्टर को स्थापित किया जाना विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, अन्य तकनीकी स्टाफ एवं प्रदेश सरकार की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

मा0 सदस्य का पत्र संख्या—क—5—नं0—270507, दिनांक 19—09—2014 अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, बरेली को प्राप्त नहीं हुआ है। अपितु मा0 सदस्य का समविषयक—पत्र संख्या—क—5—नं0—247998, दिनांक 15—10—2014 अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, बरेली को प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्यवाही करते हुए अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, बरेली के पत्र सं0—6908/नमब/मा0 जनप्रतिनिधि, दिनांक 30—10—2014 के माध्यम से डा0 राम मनोहर लोहिया 3000 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना (सामान्य/विशेष घटक) के अन्तर्गत 47 नलकूप, डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत 168 नलकूपों का आधुनिकीकरण तथा डा0 राम मनोहर लोहिया पुनर्निर्माण परियोजना के अन्तर्गत 04 नलकूपों के पुनर्निर्माण की सूचना मा0 सदस्य को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में डा0 राममनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना, डा0 राममनोहर लोहिया नलकूप आधुनिकीकरण परियोजना एवं डा0 राममनोहर लोहिया राजकीय नलकूप पुनर्निर्माण योजना में लगाये गये, आधुनिकीकृत एवं पुनर्निर्माण किये गये नलकूपों विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

171—डा0 अरुण कुमार—

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में डा0 राममनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना, डा0 राममनोहर लोहिया नलकूप आधुनिकीकरण परियोजना एवं डा0 राममनोहर लोहिया राजकीय नलकूप पुनर्निर्माण योजना में लगाये गये, आधुनिकीकृत एवं पुनर्निर्माण किये गये नलकूपों विषयक

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5–नं0–270507, दिनांक 19–09–2014 अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जनपद बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मा0 सदस्य का पत्र संख्या–क–5–नं0–270507, दिनांक 19–09–2014 अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, बरेली को प्राप्त नहीं हुआ है। अपितु मा0 सदस्य का समविषयक पत्र संख्या–क–5–नं0–247998, दिनांक 15–10–2014 अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, बरेली को प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्यवाही करते हुए अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, बरेली के पत्र सं0–6908/नमब/मा0 जनप्रतिनिधि, दिनांक 30–10–2014 के माध्यम से डा0 राम मनोहर लोहिया 3000 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना (सामान्य/विशेष घटक) के अन्तर्गत 47 नलकूप, डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत 168 नलकूपों का आधुनिकीकरण तथा डा0 राम मनोहर लोहिया पुनर्निर्माण परियोजना के अन्तर्गत 04 नलकूपों के पुनर्निर्माण की सूचना मा0 सदस्य को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अर्द्धनिर्मित सड़कों को निर्मित कराने की योजना

172–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अर्द्धनिर्मित सड़कों को निर्मित कराने की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवंला तहसील, जनपद बरेली के अर्द्धनिर्मित सिरौली–रामनगर–आंवला–भमोरा मार्ग का निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

173–श्री मनीष असीजा–

ख्ाले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद फिरोजाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भारत विख्यात जैन मन्दिर में स्थापित ग्रेनाइट पत्थर की 60 फीट ऊंची भगवान महावीर की मूर्ति का रख–रखाव तथा प्रचार–प्रसार पर्यटन स्तर पर करने सम्बन्धी मांग

174–श्री मनीष असीजा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भारत विख्यात जैन मन्दिर में स्थापित देश की दूसरी सबसे विशाल भगवान

बाहुबली महाराज की ग्रेनाइट पत्थर (एक पत्थर) की स्थापित प्रतिमा जो 60 फीट ऊंची है, को दृष्टिगत रखते हुए इसे प्रदेश के पर्यटन मानचित्र में स्थान देने एवं इंगित कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश–

जी नहीं।

यह प्रतिमा फिरोजाबाद के सेठ श्री छदामी लाल जैन द्वारा लगवाई गयी थी, जिसकी देख–रेख एक प्राइवेट ट्रस्ट ''सेठ छदामी लाल जैन ट्रस्ट'' द्वारा की जाती है। यदि उक्त ट्रस्ट इस प्रतिमा के प्रचार–प्रसार के लिये सरकार से अनुरोध करते हुए अपनी सहमति देती है तो विभाग द्वारा उसके प्रचार–प्रसार के लिये विचार किया जा सकता है।

जनपद फिरोजाबाद स्थित 63 नम्बर रेलवे क्रासिंग जहां लाखों की संख्या में लेबर रहते हैं पर उपरिगामी पुल बनवाये जाने की मांग

175–श्री मनीष असीजा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेबर कालोनी रेलवे फाटक–देहली–हावड़ा रेल मार्ग में फिरोजाबाद स्थित 63 नम्बर क्रासिंग पर लाखों की संख्या की आबादी दोनों तरफ रहती है ? क्या यह भी सही है कि उक्त रेल क्रासिंग पर ऊपरिगामी सेतु न होने के कारण नागरिकों को भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त 63 नम्बर रेल क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में अनुमोदन एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

कानपुर महानगर स्थित महाराजपुर से भदासा राजापुर तथा महाराजपुर स्थित जी0टी0 रोड हाथीपुर तिलसहरी मुख्य मार्ग का निर्माण

176–श्री सतीश महाना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर स्थित महाराजपुर से भदासा राजापुर तथा महाराजपुर स्थित जी0टी0 रोड से हाथीपुर तिलसहरी मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की प्राथमिकता पर मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

महाराजपुर से भदासा राजापुर मार्ग का आंशिक भाग लोक निर्माण विभाग का है। जिसके मरम्मत का कार्य मार्च, 2015 तक लक्षित है। इस मार्ग के आंशिक भाग का

स्वामित्व मण्डी परिषद् का है। जी0टी0 रोड से हाथीपुर तिलसहरी मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त दोनों मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर के महाराजपुर स्थित छतमरा से सुभौली गंगागंज मुख्य मार्ग का निर्माण

177—श्री सतीश महाना—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के महाराजपुर स्थित छतमरा से सुभौली गंगागंज मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की प्राथमिकता पर मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

महाराजपुर स्थित छतमरा से सुभौली गंगागंज का आंशिक भाग लोक निर्माण विभाग का है। जिसके मरम्मत का कार्य मार्च, 2015 तक लक्षित है। इस मार्ग के आंशिक भाग का स्वामित्व मण्डी परिषद् का है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के अन्तर्गत घाघरा नदी की बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए बांध को बनाया जाना

178—श्री जय प्रकाश अंचल—

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया अन्तर्गत घाघरा नदी पर टीलापुर से वशिष्टनगर, गोपालनगर, मानगढ़, सिवाल, मठिया, चाईछपरा, विशुनपुरा, चांद दियर एन0एच0—31 तक बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए रिंग बांध का निर्माण कराया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त रिंग बांध को बनाये जाने हेतु धन स्वीकृत कर निर्माण कार्य शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

प्रश्नगत गांव फ्लड पुलेन जोन में स्थित होने के कारण रिंग बांध बनाना मानकों एवं तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में गंगा—घाघरा नदी से ब्लाक बेलहरी, रेवती बैरिया, मुरलीछपरा में सिंचाई का अन्य साधन न होने से एक नहर/पम्प कैनाल का निर्माण

179—श्री जय प्रकाश अंचल—

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया में गंगा–घाघरा नदी से ब्लाक बेलहरी, रेवती बैरिया, मुरलीछपरा में सिंचाई हेतु कोई अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में एक नहर/पम्प कैनाल निकाले जाने की समुचित योजना बना कर तथा सर्वे करा कर कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया विधान सभा बैरिया में महराज बाबा, खपड़िया बाबा आदि प्रसिद्ध साधुओं की समाधि स्थल तथा मन्दिरों को पर्यटक स्थल घोषित करने विषयक

180–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया में महराज बाबा, खपड़िया बाबा, लगटू बाबा, बलुइया बाबा, सुदिष्ट बाबा, हरिहरनाथ बाबा के प्रसिद्ध मन्दिर हैं और स्थानीय लोगों की इन मंदिरों की समाधियों में श्रद्धा होने के कारण प्रत्येक वर्ष बीच–बीच में मेला व अन्य कार्यक्रम होते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल घोषित कर सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश–

जी हां।

जी नहीं। पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश में किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है तथा प्रश्नगत स्थलों के सौन्दर्यीकरण का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

(12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(भारतीय राष्ट्रीय काग्रेंस तथा वेल में पहले से मौजूद राष्ट्रीय लोकदल के माननीय सदस्यों द्वारा नारे लगाने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज जिस तरीके से एक किसान विरोधी अध्यादेश पर सपा, भाजपा तथा कांग्रेस ने इस काले कानून पर उत्तर आने से रोकने का जो घोर पाप किया है इससे प्रदेश का किसान आहत है, बहुजन समाज पार्टी इस किसान विरोधी विधेयक के विरोध में सदन से बहिर्गमन करती है।

(बहुजन समाज पार्टी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन से चले गये)

ख12.21 बजे, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11–03–2015 को नियम 301 के अन्तर्गत कुल 39 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 16 सूचनायें स्वीकार की गई । पहली सूचना श्री जगपाल की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र पुॅवारका अन्तर्गत ग्राम देवला से टोपरी तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री उपेन्द्र तिवारी की उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में सीधी भर्ती द्वारा की गई नियुक्तियों की जांच कराये जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन के अन्तर्गत आने वाली नगर पंचायत जलालाबाद में व्याप्त लो–वोल्टेज की समस्या का निराकरण कराये जाने के संबंध में है। चौथी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा) की वाराणसी नगर में व्याप्त भीषण गन्दगी को दृष्टिगत रखते हुये विशेष सफाई अभियान चलाये जाने के संबंध में है । पाचंवी सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 87 स्थित तहसील बिलासपुर में जाम की समस्या का निराकरण कराये जाने के संबंध में है। छठी सूचना श्री धर्मराज की जनपद लखनऊ में प्रस्तावित मेट्रो ट्रेन का विस्तार कर बाराबंकी तक किये जाने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री मनबोध की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर अन्तर्गत राजू नगर से महुआबारी इंटर कालेज तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की जनपद सिद्वार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के सिरसिया में स्थित 132 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन पर लगे 20–20 एम0बी0ए0 के ट्रांसफारमर की क्षमता बढ़ाकर 40–40 एम0बी0ए0 किये जाने के संबंध में है। नवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत निगोही–तिलहर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। दसवीं सूचना डा0 धर्म सिंह सैनी की जनपद सहारनपुर अन्तर्गत सहारनपुर मण्डी से चिलकाना के मध्य स्थित पुल की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री अखिलेश प्रताप सिंह की जनपद बस्ती में बंद पड़ी बजाज ग्रुप की नई यूनिट फेनिल शुगर्स मिल लि0 को पुनः चलाये जाने एवं कर्मचारियों के वेतन व अन्य बकायों का भुगतान कराये जाने के संबंध में है।

(वेल में मौजूद सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी करते रहने पर)

यह क्या नारा लगा रहे हैं, आप लोग बैठिये न, चलिये न आप अपनी सीटों पर ।

बारहवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की विशिष्ट बी0टी0सी0 चयन प्रक्रिया द्वारा नई पेंशन नीति लागू होने से पहले चयनित प्रशिक्षित शिक्षिकों को पुरानी पेंशन नीति से आच्छादित किये जाने के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ में रिंग बांध का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। चौदहवीं सूचना श्री

सुखदेव प्रसाद वर्मा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी की कतिपय ग्राम पंचायतों को पक्की सड़क से जोड़े जाने के संबंध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री पंकज मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर निवासिनी एशियाई खेल विजेता को घोषणा के अनुरूप प्रोत्साहन राशि दिलाये जाने के संबंध में है। सोलहवीं सूचना श्री दिलनवाज खान की जनपद लखनऊ में कुर्सी रोड से सीतापुर रोड को जोड़ने वाले नहरिया मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण किये जाने के संबंध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई । श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय गामा, श्री योगेन्द्र उपाध्याय, श्रीमती विमला सिंह सोलंकी, श्री राजबली जैसल, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री मोहम्मद इरफान, श्री पूरन प्रकाश, श्री मदन चौहान, ठाकुर दलवीर सिंह, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री काली चरण सुमन, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, सुश्री रजनी तिवारी, श्री मनीष रावत, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनीसुर्रहमान, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री राजनारायण बुधौलिया, श्रीमती लालमुन्नी सिंह, डा0 अरूण कुमार ।

(सदन की महमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवारका अन्तर्गत ग्राम देवला से टोपरी तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगपाल सिंह–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ब्लाक पुंवारका, जिला–सहारनपुर में ग्राम देवला से सरकडी खुमार होते हुए ग्राम टोपरी तक सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और उससे ग्रामवासियों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामवासियों द्वारा कई बार वहां के उच्च अधिकारियों से क्षतिग्रस्त सड़क को बनाये जाने का अनुरोध किया गया, परन्तु ग्राम– देवला से सरकडी खुमार होते हुए ग्राम–टोपरी तक क्षतिग्रस्त हुए सड़क की मरम्मत नहीं की गई। क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत न होने के कारण ग्रामवासियों में सरकार के प्रति काफी जनाक्रोश है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से ग्राम–देवला से सरकडी खुमार होते हुए ग्राम–टोपरी तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की अपेक्षित कार्रवाई की मांग करता हूं।,

उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में सीधी भर्ती द्वारा की गई नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपेन्द्र तिवारी–

ख्महोदय, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त वि0 इलाहाबाद में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा शासनादेश संख्या–314/70–4/2006–9(1)/99, दिनांक 3 फरवरी, 2006 को शिक्षक/शिक्षणेत्तर पदों का सृजन किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन सं0

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ओ0यू0/232/2006, दिनांक 22 मई, 2006 को शिक्षणेत्तर के 36 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया गया।

विश्वविद्यालय द्वारा उक्त विज्ञापन के आधार पर वर्ष 2007 में नियुक्ति का कार्य प्रारम्भ किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में 27–05–2007 को लिखित परीक्षा कराई गई। परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगा इसको संज्ञान में लेकर शासन ने 10 जुलाई, 2007 को लिखित परीक्षा निरस्त कर दिया तथा पुनः परीक्षा हेतु निर्देशित किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा 26 अगस्त, 2007 को पुनः लिखित परीक्षा आयोजित कराई गई।

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में पुनः अनियमिता का आरोप लगा तथा शासन स्तर पर शिकायत की गई। शासन ने अपने शासनादेश संख्या–2390/7–4–2007–9 (3)/2007 दिनांक 25 सितम्बर, 2007 के द्वारा समस्त लिपिकीय परीक्षा परिणाम अग्रिम आदेश तक घोषित न करेन का आदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया गया।

तत्कालीन कुलपति द्वारा शासनादेश/निर्देश की अनदेखी करते हुए 25 सितम्बर, 2007 को ही लिखित परीक्षा में नियम विरुद्ध उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करा दिया गया।

विश्वविद्यालय द्वारा 36 पदों में से 28 पदों के परिणाम को लिफाफे में बन्द करने के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। याचिका का निस्तारण मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 16–04–2012 को कर दिया। लिफाफा खुलने के बाद निरीक्षण में पाया गया कि 04 अभ्यर्थियों को तत्कालीन कुलपति ने अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट दिया गया था। 04 अभ्यर्थियों को आयु सीमा में नियम विरुद्ध दी गई छूट को गलत बताते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय से शिकायत की गई। राज्यपाल महोदय के सचिवालय के पत्र दिनांक 25–08–2012 के द्वारा आयु सीमा में छूट को अवैध बताया गया तथा विश्वविद्यालय को 4 अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

तत्कालीन कुलपति द्वारा विज्ञापन सं0 ओ0यू0–04/07–08 दिनांक 27–02–2008 के द्वारा 35 पदों शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन में नियमानुसार कार्य न करते हुए बिना लिखित परीक्षा के ही 15 पदों पर नियुक्ति दे दी गई जो सीधी भर्ती के नियमों के विरुद्ध है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त दोनों विज्ञापनों के माध्यम से नियम विरुद्ध की गई भर्ती को निरस्त करने हेतु प्रकरण को आश्वासन समिति के सुपुर्द करने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।,

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत आने वाली नगर पंचायत जलालाबाद में व्याप्त लो–वोल्टेज की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राणा–

ख्महोदय, शामली जनपद के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत आने वाली नगर पंचायत जलालाबाद में मोहल्ला कटैहड़ा में लो–वोल्टेज के कारण आये दिन स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे द्वारा भी कई बार अधिकारियों से वार्ता की गई है, स्थानीय नागरिकों द्वारा आन्दोलन किये गये हैं उसके बाद भी समस्या का निदान नहीं हुआ है। वर्तमान में छात्रों की बोर्ड परीक्षायें भी चल रही हैं। लो वोल्टेज के कारण छात्र–छात्राओं को भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नागरिकों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

वाराणसी नगर में व्याप्त भीषण गन्दगी को दृष्टिगत रखते हुए विशेष सफाई अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

महोदय, वाराणसी नगर अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी यहां की सफाई दुर्व्यवस्था बहुत दयनीय है। बहुत से क्षेत्र तो ऐसे भी हैं जहां महीनें और 15 दिन में झाड़ू लगाया जाता है। देशी–विदेशी पर्यटकों का आगमन होता ही रहता है और उनके समक्ष स्थान–स्थान पर कूछे का जमाव तथा गन्दगी बहुत खराब दृष्य उपस्थित करता है। सफाई कर्मचारियों का घोर अभाव है। कोई वैकल्पिक कर्मचारी भी नहीं रखे जाते हैं जिस कारण इस समस्या से निजात पाने का कोई विकल्प भी नहीं दिखाई दे रहा है। सीवर ओवरफ्लो और जाम की समस्या से प्रत्येक मोहल्ले के निवासी परेशान हैं तथा इस कारण उन्हें प्रदूषित पेयजल से अलग कष्ट उठाना पड़ रहा है। अनेकों मोहल्ले ऐसे हैं जहां पेयजल आपूर्ति का भी घोर कष्ट है। ए–टू जेड नामक संस्था जो पहले कूड़ा उठाने का काम करती थी अब उससे किन्हीं मुद्दों पर नगर निगम और संस्था के बीच विवाद के चलते वह काम भी बन्द चल रहा है। उक्त विवाद का कोई अन्त भी नहीं दिख रहा है ताकि सफाई की दिशा में कोई परिवर्तन दिखाई पड़े। इन परिस्थितियों के कारण आम जनता में कष्ट के साथ ही आक्रोष भी व्याप्त है। यदि इसका शीघ्र ही कोई निराकरण नहीं किया गया तो गर्मी बढ़ने के साथ ही संक्रामक रोग फैलने की भी सम्भावना रहेगी। इन सभी परिस्थितियों के दृष्टिगत वाराणसी नगर को साफ और सुथरा रखने हेतु शासन द्वारा सभी प्रभावी पहल और कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना पर शासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद रामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग–87 स्थित तहसील बिलासपुर में जाम की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री संजय कपूर–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की राष्ट्रीय राजमार्ग 87 पर स्थित तहसील बिलासपुर में मुख्य चौराहे पर जाम से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। यह तहसील उत्तर प्रदेश की सीमा पर है तथा यह मार्ग उत्तराखण्ड राज्य के पर्यटक स्थल नैनीताल, अल्मोड़ा आदि जनपदों को जाने वाला प्रमुख मार्ग है यहां पर बिलासपुर के चौराहे की चौड़ाई बहुत कम है जिसके कारण रोज जाम लगा रहता है क्योंकि यह उत्तराखण्ड राज्य के सिटकुल को जाने वाला भी एक मात्र मार्ग है जिस पर हजारों की संख्या में रोज ट्रक ट्राले आदि निकलते हैं तथा यह मार्ग उत्तराखण्ड राज्य के कुमायूं मण्डल को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है तथा अक्सर मरीज जाम में फंसकर इलाज में देरी के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं यहां पर सड़क के किनारे नहर की आराजी है जिस पर पानी नहीं चलता है यदि चौराहे के दोनों ओर दो–दो सौ मीटर नहर की पटरी पर सड़क बन जाये तो चौड़ाई बढ़ने से जाम से निजाद मिल सकती है इस क्षेत्र की जनसंख्या इस चौराहे की चौड़ाई बढ़ाने के लिये रोज धरने व प्रदर्शन करती रहती हैं तथा जनता की मांग है कि सड़क की चौड़ाई अविलम्ब बढ़ाई जाये इसकी चौड़ाई न बढ़ने के कारण क्षेत्र की जनता में बहुत रोष व नाराजगी व्याप्त है अगर इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई सार्थक प्रयास न किया गया तो कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है यह चौराहा नगर पालिका बिलासपुर के अन्तर्गत आता है।

अतः इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद लखनऊ में प्रस्तावित मेट्रो ट्रेन का विस्तार कर बाराबंकी तक किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मराज–

ख्महोदय, सदन के माध्यम से आपका ध्यान अति लोक महत्व एवं जनहित की सूचना की तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए लखनऊ शहर में मेट्रो ट्रेन चालू करने के लिये जो कदम उठाया है वह अति सराहनीय कदम है इससे प्रदेश के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिल जायेगी तथा सड़कों पर लगने वाले जाम भी कम हो जायेंगे जिससे आवागमन आसान हो जायेगा चूंकि लखनऊ राज्य की राजधानी है यहां पर प्रदेश भर के लोगों का आवागमन बना रहता है। इसी कड़ी में मैं मांग करता हूं कि मेट्रो का विस्तार करके इसे जनपद–बाराबंकी शहर तक अगर जोड़ दिया जाये तो इसका महत्व और बढ़ जायेगा तथा बाराबंकी के निवासियों को भी आवागमन की सुविधा मिल जायेगी बाराबंकी की जनता की मांग है कि मेट्रो ट्रेन की लाइन बाराबंकी तक विस्तार किया जाये विस्तार न किये जाने से जनपद बाराबंकी की जनता में सरकार के प्रति आक्रोश भी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मेरा आपसे आग्रह है कि इस लोक महत्व एवं जनहित की सूचना मेट्रो ट्रेन का विस्तार करके लखनऊ शहर से बाराबंकी तक किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर अन्तर्गत राजू नगर से महुआबारी इण्टर कालेज तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनबोध–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर जनपद देवरिया के अन्तर्गत बरहज भागलपुर सड़क पर राजू नगर से महुआबारी इण्टर कालेज तक लगभग 6 कि0मी0 सड़क जो जर्जर एवं क्षतिग्रस्त (तब्दील) हो गई है तथा कुण्डौली के लक्ष्मण चौराहा से धरमेल होते हुए जिरासों चौराहा तक जर्जर एवं गड्ढ़े में तब्दील हो गई है। उपरोक्त दोनों मार्गों पर यातायात बाधित है। तथा आवागमन में बड़ी कठिनाई होती है इन दोनों सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। यह जनहित से जुड़ा हुआ प्रश्न है लोकमहत्व का है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के सिरसिया में स्थित 132 के0वी0ए0 विद्युत सब–स्टेशन पर लगे 20–20 एम0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाकर 40–40 एम0वी0ए0 किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

ख्मान्यवर, उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि विकास खण्ड–भनवापुर के ग्राम सिरसिया में स्थित 132 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन माननीय नेता जी तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के कर कमलों द्वारा वर्ष 2004 में आपके अथक प्रयासों से किया गया था। इस सब स्टेशन से 33/11 के विद्युत सब स्टेशन इटवा, डुमरियागंज, खान्तारा, तरहर, खुनियांव, ढेबरुवा एवं चौधरी चरण सिंह पम्प हाउस बिथरिया को सप्लाई की जाती है। क्योंकि सप्लाई का अधिभार काफी अधिक है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त के अतिरिक्त तहसील मुख्यालय इटवा, डुमरियागंज एवं जनपद बस्ती के तहसील मुख्यालय भानपुर में जो अतिरिक्त 33/11 के नये सब स्टेशन सरकार द्वारा निर्मित कराया गया है जो निकट भविष्य में चालू होना

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रस्तावित है इसलिये सिरसिया में स्थित 132 के0वी0ए0 में क्षमता विस्तारीकरण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सिरसिया में स्थित 132 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन पर लगे 20–20 एम0बी0ए0 ट्रान्सफार्मर के स्थान पर 40–40 एम0बी0ए0 का ट्रान्सफार्मर दो अदद लगाये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।,

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत निगोही–तिलहर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा–

ख्मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद–शाहजहांपुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत निगोही तिलहर मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त अवस्था में है उक्त मार्ग में बड़े–बड़े गड्ढ़े हो गये हैं उक्त मार्ग के किनारे बसे हुए ग्रामों से निकलने वाला पानी उक्त सड़क पर एकत्र होता है जिससे सड़क पर जल भराव हो जाता है। उक्त सड़क से क्षेत्रीय जनता को ब्लाक मुख्यालय एवं तहसील जाना होता है। उसी जर्जर/क्षतिग्रस्त सड़क से किसानों की गन्ने एवं अनाज से लदी ट्रालियों का आवागमन होता है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन गन्ने एवं अनाज से लदी ट्रैक्टर ट्रालियां पलट जाती हैं। विगत वर्षों में आई भीषण बाढ़ से उक्त निगोही तिलहर मार्ग पर स्थित ग्राम बिरसिंहपुर के आगे की सड़क ने कट कर तालाब का रूप ले लिया है, जिससे वर्षा के मौसम में तहसील मुख्यालय जाने का रास्ता पूर्णरूप से बन्द हो जाता है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता के साथ आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त मार्ग की मरम्मत करने हेतु कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से भी कई बार अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत नहीं कराई जा सकी है जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त क्षतिग्रस्त सड़क का यथाशीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सहारनपुर अन्तर्गत सहरनपुर मण्डी से चिलकाना के मध्य स्थित पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्मसिंह सैनी–

ख्महोदय, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र नकुड़, जनपद सहारनपुर में सहारनपुर में सहारनपुर मण्डी से कस्बा चिलकाना के मध्य नहर पर जो पुल है वह क्षतिग्रस्त है और कस्बा चिलकाना तथा पढेड के मध्य नदी पर बना पुल भी क्षतिग्रस्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चूंकि दोनों पुलों के क्षतिग्रस्त होने के कारण कस्बा चिलकाना, सहारनपुर मण्डी मढेड़, रायपुर, बेहट और माता शाकुम्बरी देवी मन्दिर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माता शाकुम्बरी देवी के दर्शन के लिये प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु आते हैं। दोनों पुलों के क्षतिग्रस्त होने के कारण कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। इन पुलों की पुनर्निर्माण के लिये किसानों, ग्रामीणों एवं नगरवासियों ने धरना–प्रदर्शन से लेकर लिखित, मौखिक सभी तरह से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया, जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा भी शासन को लिखित प्रस्ताव भेजा गया, परन्तु उक्त दोनों पुलों की पुनर्निर्माण की तरफ सरकार का कभी भी ध्यान नहीं गया जिससे वहां के रहने वाले किसानों, ग्रामवासियों एवं नगरवासियों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सहारनपुर मण्डी से कस्बा चिलकाना के मध्य नहर पर बने क्षतिग्रस्त पुल तथा कस्बा चिलकाना से पढेड़ के मध्य नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण की मांग करता हूं।,

जनपद बस्ती में बन्द पड़ी बजाज ग्रुप की नई यूनिट फेनिल शुगर्स मिल लि0 को पुनः चलाये जाने एवं कर्मचारियों के वेतन व अन्य बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

अवगत कराना है कि जनपद बस्ती बजाज ग्रुप की यूनिट (फेनिल शुगर्स मिल लि0) जो कि वर्तमान में बन्द है। जिसके बन्द हो जाने के कारण लाखों जनता, मजदूर एवं कर्मचारी तथा व्यापारी भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। समाजवादी पार्टी ने विधान सभा चुनावी घोषणा–पत्र में मुन्डेरवा व बन्द चीनी मिल को चलाने का वादा किया था। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिल को चलवाने हेतु किसानों द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन हुआ। वर्तमान में भी शुगर मिल चलवाने तथा श्रमिकों के बकाया भुगतान हेतु रात–दिन लगातार धरना–प्रदर्शन मिल गेट पर चल रहा है। धरने का 534वां दिन हो रहा है परन्तु उ0प्र0 सरकार एवं प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी के कार्यालय से भी उत्तर प्रदेश सरकार से बस्ती जनपद के जिलाधिकारी से मिल चलवाने तथा बकाया धनराशि दिलवाने की आख्या मांगी गई है। उप श्रमायुक्त, मण्डल बस्ती ने 08 मांगों को सही मानकर श्रमिकों के पक्ष में रिपोर्ट दिया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर उक्त चीनी मिल के श्रमिकों के बकाये का भुगतान दिलवाने का आदेश मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा बार–बार होता आ रहा है परन्तु आज तक श्रमिकों का भुगतान नहीं हुआ। जिला प्रशासन एवं श्रम विभाग मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश की अनदेखी कर रहा है। श्रमिकों की मांग इस प्रकार है :– 1–बस्ती शुगर मिल (ए फेनिल शुगर्स मिल लि0) बस्ती पूर्व की भांति चलाई जाय। 2–महामहिम राज्यपाल की राजाज्ञा सं0 514–36–2005–237 (एस0एम0) 90 टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 23 फरवरी, 2006, अनुभाग–2, उ0प्र0 का अनुपालन शीघ्र कराकर सन् 2009–10 से आज तक 5 वर्ष का बकाया 20 प्रतिशत बोनस का भुगतान शीघ्र श्रम विभाग एवं प्रशासन द्वारा कराया जाय। 3–सीजनल

कर्मचारी का वेतन सन् 2013–14 का रिट्रेनिंग एलाउन्स का भुगतान दिलाया जाय। 4–सन् 2011 माह फरवरी का 5 दिन का बकाया वेतन का भुगतान शीघ्र कराया जाय। 5–अस्थाई एवं मृतक आश्रितों जिनकी संख्या 450 है उनकी छटनी कर दिया गया है उन्हें ड्यूटी दिया जाय या उचित मुआवजा दिया जाय। 6–सन् 2008–09 का बोनस, एरियर बाकी है, दिलाया जाय। 7–मिल कर्मचारी का शोषण करके बिजली, पानी व दवा की कटौती की जा रही है, रोका जाय। 8–बस्ती शुगर मिल का लॉक–आउट का आदेश श्रम विभाग द्वारा न दिया जाय, उसे रोका जाय। किसानों की उक्त सभी मांग को मानते हुए जनपद बस्ती की बन्द पड़ी शुगर मिल को चलाये जाने तथा श्रमिकों के बकाया वेतन का भुगतान जनहित में अविलम्ब किये जाने हेतु सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

विशिष्ट बी0टी0सी0 चयन प्रक्रिया द्वारा नई पेंशन नीति लागू होने से पहले चयनित प्रशिक्षित शिक्षकों को पुरानी पेंशन नीति से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

ख्महोदय, 22 जनवरी, 2014 को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0 ने 46,189 विशिष्ट बी0टी0सी0 शिक्षकों के प्रशिक्षण व नियुक्ति हेतु विज्ञापन किया। चयन के बाद अगस्त, 2004 से प्रशिक्षण भी प्रारम्भ करके संशोधित शासनादेश दिनांकित 20–02–2004 के प्रस्तर 2(12) के अनुपालन में निर्धारित स्टाइपेण्ट (मानदेय) रु0 2500/– प्रतिमाह प्रशिक्षण से नियुक्ति तक दिया गया।

उ0प्र0 में राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों हेतु 28–03–2005 को अधिसूचना द्वारा नई भर्तियों पर दिनांक 01–04–2005 से नई पेंशन योजना (अंशदान) लागू की गई तथा शासनादेश 14–08–2008 को जारी किया गया।

केन्द्र सरकार व नवीन पेंशन योजना 01 जनवरी, 2004 से लागू की थी। भारत सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय संख्या–38/58/06–पी ऐंड पीडब्लू (ए) दिनांक 05 मार्च, 2008 में स्पष्ट किया गया है कि नवीन पेंशन योजना लागू होने से पहले यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति का प्रशिक्षण प्रारम्भ हो गया है तथा स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है तो उसे पुरानी पेंशन योजना से ही आच्छादित माना जायेगा।

अभी तक शासन द्वारा कोई निर्णय नही लेने से प्रदेश के हजारों शिक्षक तथा उनका परिवार अपने भविष्य के प्रति असुरक्षित महसूस कर रहा है। असमंजस की स्थिति में असंतोष उत्पन्न हो रहा है। समय–समय पर धरना–प्रदर्शन होता रहता है। अभी इलाहाबाद मुख्यालय पर भी प्रदर्शन एवं धरना आयोजित है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर अविलम्ब नई पेंशन नीति (01 अप्रैल, 2005) से पहले से चयनित, प्रशिक्षण एवं स्टाइपेंड प्राप्त कर रहे शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने की मांग करता हूं।,

जनपद मऊ में रिंग बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय–

ख्महोदय, कृ0 संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद मऊ के बाढ़ खण्ड सिंचाई विभाग आजमगढ़ द्वारा हमारे विधान सभा क्षेत्र मधुवन के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत चिऊटीडाह से लेकर राम नगर तक रिंग बांध को बचाने के लिये पिचिंग एवं अपरन कार्य हेतु 18 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था जो कि प्रस्ताव स्वीकृत होकर के वित्त विभाग में काफी समय से लम्बित है, परन्तु अभी तक धनराशि अवमुक्त नहीं की जा रही है। अगर समय रहते उक्त धनराशि जनपद आजमगढ़ के सिंचाई विभाग को नहीं दी गई तो किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि पुनः नदी में कट कर विलीन हो जायेगी तथा आजमगढ़ और दोहरीघाट मार्ग जो कि गोरखपुर को जोड़ता है, वह मार्ग भी कटान के कारण नदी में विलीन हो जायेगा। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों एवं शासन से यथाशीघ्र प्रस्ताव पर धनराशि जारी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक शासन द्वारा धनराशि जारी नहीं किया गया गया है जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रस्ताव पर स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी की कतिपय ग्राम पंचायतों को पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर–

ख्मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना है कि जनपद–फतेहपुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र 239, बिन्दकी के अन्तर्गत कई ग्राम पंचायतों को अभी तक पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। जिसमें विकास खण्ड–खजुहा के अन्तर्गत मुख्यतः ग्राम गोभा से ग्राम जरौली, खजुरिहा मोड़ से ग्राम गोभा, आलमगंज रेाड से नाथू खेड़ा होते हुए ग्राम हसोले खेड़ा, ग्राम सेलावन से सैमिसी गांव तथा विकास खण्ड तिलियानी के अन्तर्गत सुपा सनियांव रोड से अधारीपुर, शिवपुर गड़रियन से खलरिहन पुरवा (कुर्मिनपुरवा), हसनापुर मोड़ से फुटाहागंज, तिलिपानी गांव से गड़रियन पुरवा, सूपा गांव से सेमरहा गांव एवं विकास खण्ड मलवां के अन्तर्गत गुनीर रोड से गड़रियन पुरवा होते हुए काछिन पुरवा तक आदि ग्रामों पंचायतों की आबादी लगभग 500 है किन्तु अभी तक उक्त ग्राम पंचायतों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पक्की सड़कों से नहीं जोड़ गया जिससे उक्त ग्राम पंचायतों के निवासियों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय ग्राम पंचायत की जनता द्वारा कई बार उक्त ग्राम पंचायतों को पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी तक उक्त ग्राम पंचायतों को पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः जनहित में इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद मुजफ्फरनगर निवासिनी एशियाई खेल विजेता को घोषणा के अनुरूप प्रोत्साहन राशि दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक–

ख्महोदय, लोक महत्व एवं जनहित के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि लालबाग, मुजफ्फरनगर निवासी तथा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता एथलीट प्रियंका पवार को प्रदेश सरकार द्वारा गोल्ड मेडल के लिये 20 लाख रुपये तथा सैफ खेलों में दो पदकों के लिये 05 लाख रुपये घोषणा किये जाने के कई महीने बाद भी अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता को 50 लाख रुपये दिये जाने की घोषणा की गई है किन्तु उन्हें मात्र 30 लाख रुपये ही दिये गये। उक्त खिलाड़ी की चाइना में होने वाली चैम्पियनशिप की तैयारियों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने हेतु तैयारी करने के लिये समुचित धन न मिल पाने के कारण तैयारी बाधित हो रही है। वह इसके लिये कई बार लखनऊ एवं दिल्ली का चक्कर काट चुकी हैं। उक्त खिलाड़ी को मा0 मुख्य मंत्री जी भी भरोसा दिला चुके हैं कि जल्द से जल्द अवशेष धनराशि प्रदान कर दी जायेगी। लोकहित में उक्त खिलाड़ी प्रियंका पवार को उ0प्र0 सरकार द्वारा घोषित सम्पूर्ण धनराशि तत्काल प्रदान किया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त एशियाई पदक विजेता प्रियंका पवार को घोषणानुसार शीघ्र अवशेष धनराशि प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद लखनऊ में कुर्सी रोड से सीतापुर रोड को जोड़ने वाले नहरिया मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलनवाज खां–

ख्मान्यवर, निवेदन है कि जनपद लखनऊ के कुर्सी रोड पर स्थित सेन्ट मेरी पालीक्लीनिक के बगल से सीतापुर रोड को जोड़ने वाली मुख्य नहरिया मार्ग (मौर्या भट्ठा रोड) अत्यन्त जर्जर स्थिति में है। उक्त मार्ग पर जानकीपुरम् कालोनी व बहुत से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम स्थित हैं। उक्त मार्ग से भारी वाहनों का आवागमन होता है। उक्त मार्ग अत्यन्त जर्जर होने के कारण आये दिन रोड दुर्घटना होती रहती है।

अतः मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि लखनऊ के कुर्सी रोड पर स्थित सेन्ट मेरी पालीक्लीनिक से सीतापुर रोड को जोड़ने वाली मुख्य नहरिया मार्ग (मौर्या भट्ठा मार्ग) का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कराये जाने हेतु शासन को निदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अतः मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।,

ख12.24, औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11 मार्च, 2015 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 01 सूचना प्राप्त हुयी । यह सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की उत्तर प्रदेश राज्य की भाषा हिन्दी को अंगीकार किये जाने के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों के बावजूद मुख्य मंत्री कार्यालय से अंग्रेंजी में एस0एम0एस0 भेजे जाने तथा सौजन्यता एवं शिष्टाचार का अभाव बरकरार रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। यह सूचना सुनी नहीं जायेगी ।

(नारेबाजी से व्यवधान जारी रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

अरे चलिये, अब हो गया, अब आगे बढ़ा जाय ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 10 मार्च, 2015 को वापस प्राप्त हो गया ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–3 में कुछ नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने स्थान पर चलें अन्यथा हम ऐसे ही एजेण्डा लेते रहेंगे और आप चिल्लाते रहेंगे।

ख12.25, जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नथुआपुर एवं ग्राम पंचायत बरौरा के मध्य वारा नाला पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विजय वर्मा आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रोशन लाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नथुआपुर एवं ग्राम पंचायत बरौरा के मध्य वारा नाला पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विजय वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत निगोही तिलहर मार्ग पर गर्रा नदी पुल के आगे सड़क एवं पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रोशन लाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत निगोही तिलहर मार्ग पर गर्रा नदी पुल के आगे सड़क एवं पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत बीसलपुर शाहजहांपुर मार्ग पर गुरुगवां से पराझरसा होते हुए बरैचा तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रोशन लाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत बीसलपुर शाहजहांपुर मार्ग पर गुरुगवां से पराझरसा होते हुए बरैचा तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के विकास खण्ड डुमरियागंज में मोतीगंज–औसान– कुइयां मार्ग से रीवा होते कुसुम्ही गांव के पी0एम0जी0एस0वाई0 तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत एवं विकास खण्ड मिठवल के बस्ती बासी मार्ग के करही चौराहे से गौरागढ़ होते हुए तिगोड़वा तक 8 किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मो0 आमिर आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के विकास खण्ड डुमरियागंज में मोतीगंज–औसानकुइयां मार्ग से रीवा होते हुए कुसुम्ही गांव के पी0एम0जी0एस0वाई0 तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत एवं विकास

खण्ड मिठवल के बस्ती बांसी मार्ग के करही चौराहे से गौरागढ़ होते हुए तिगोड़वा तक 8 किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मो0 आमिर व श्री राम प्रसाद दुबे निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

ख12.26, जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तिलैथा कोलवा धुधुवा फुटेरा (बरुवा सागर) गौरामछिया तैदौल धुधुवा के मजरों पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री बलवीर यादव आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद झांसी विकास खण्ड बड़ागांव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तिलैथा कोलवा धुधुवा फुटेरा (बरुवा सागर) गोरामछिया तैदौल धुधुवा के मजरों पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने विषयक श्री बलवीर यादव व श्री सुरेन्द्र सिंह यादव निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

ख12.30, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मद सं0–7, 8 एवं 9 में कुछ नहीं है अब मद संख्या–10

(श्री सुरेश कुमार खन्ना, नेता, भारतीय जनता पार्टी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

इसमें क्या सुना जाए क्योंकि कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न था।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, आप सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, जो व्यक्ति इस हाउस का मेम्बर नहीं है उसके खिलाफ नारा लगाना ठीक नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी सदन के वेल में आ करके नारेबाजी करने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11–03–2015 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना (1) श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री धर्मपाल सिंह, श्री सुरेश राणा, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 अरुण कुमार (2) श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण

सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री अजय कपूर, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री मो0 मुस्लिम, श्री विजय कुमार दुबे, श्री गयादीन अनुरागी, श्रीमती उमाकान्ती, श्री दिलनवाज खां, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री संजय प्रताप जयसवाल, श्री राधेश्याम, श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना' (3) श्री श्यामदेव राय चौधरी की प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अस्पतालों में दवाइयों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री नीरज कुशवाहा 'मौर्य', श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया, चौधरी गजेन्द्र सिंह, श्री कालीचरन सुमन, श्री बब्बन सिंह, श्री मो0 इकबाल, श्री अली यूसुफ अली, श्री सन्तराम कुशवाहा, श्री वहाब चौधरी, श्री सुल्तान बेग, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री त्रिभुवन राम, श्री सुनील कुमार सिंह यादव, श्री उदयलाल मौर्य, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री वेदराम भाटी, श्री जगपाल सिंह, श्री राजेन्द्र, श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की जनपद पीलीभीत में दिनांक 07–03–2015 को कोतवाली दियोरिया के अन्तर्गत नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप कर मार डालने की घटना सहित प्रदेश के कतिपय जनपदों में महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री सतीश महाना की प्रदेश के स्कूल एवं कालेजों के पास बिकने वाले मादक पदार्थों के कारण किशोर नवयुवकों एवं नवयुवतियों में नशे की बढ़ी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में है।

मा0 सदस्य, आप लोग अपने आसन पर चलें, क्या आप चाहते हैं कि सदन स्थगित हो जाए।

चौथी सूचना ठा0 दलवीर सिंह, श्री भगवती प्रसाद की जनपद अलीगढ़ के गांव पढ़ील, थाना इगलास में 10 मार्च, 2015 को छज्जा टूट कर गिर जाने से हुई बच्चों की मृत्यु व घायलों के उपचार में की गई लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

पांचवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की है इस पर ध्यान आकर्षण हुआ है। जनपद फैजाबाद के रुदौली विधान सभा क्षेत्र के थाना मवई के बिहारा ग्राम निवासी श्री राम किशुन पुत्र श्री नकछेद पाल की दिनांक 10.3.2015 को सांड द्वारा आक्रमण किये जाने से हुई मृत्यु के उपरान्त किसान दुर्घटना न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में।

श्री सुरेश खन्ना जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप अपनी सूचनाओं पर बोलेंगे।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हम अपनी सूचना पर बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आपके लोग भी हैं और लोग भी हैं हम किसको–किसको वेल से निकालेंगे।

मैं अगली मद ले रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी यह जो नियम–56 के अन्तर्गत सूचनाएं ली गई हैं तो या तो सदन को व्यवस्थित करके हमारी बातों को सुनें अगर आप सुनते नहीं हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस सूचना को कल की तारीख में स्वीकृत कर लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इनको कल ले लेंगे।

यह लोग सदन को आज नहीं चलने देना चाहते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, अब आगे की कार्यवाही ले लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा[*]

श्री अध्यक्ष–

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर चर्चा जारी रहेगी।

नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी कु0 ललिता बोस द्वारा दायर रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2013 को पारित आदेशों के अनुपालन में फैजाबाद निवासी रहे गुमनामी बाबा उर्फ भगवन जी के सम्बन्ध में आयोग का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कु0 कौशल सिंह आदि सदस्यगण विधान सभा द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11–3–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 56 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं :–

पहली सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की जनपद–महोबा विधान सभा क्षेत्र में अत्यधिक आपराधिक वारदातों तथा जहर खुरानों द्वारा लगातार हो रही लूट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा

[*] दिनांक 09 मार्च, 2015 की कार्यवाही से।

दूसरी सूचना श्री सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी की जनपद–जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जाफराबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि से निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं :–

पहली सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद–शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन नगर पंचायत में 33/11 के0वी0ए0 के बिजली घर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में,

दूसरी सूचना श्री सिबगतुल्ला अंसारी की जनपद–गाजीपुर में संचालित बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर अनुचरों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में,

तीसरी सूचना कुं0 कौशल सिंह की जनपद–महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां के कतिपय ब्लाकों में चयनित प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों में अधूरे निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,

चौथी सूचना डा0 मो0 अय्यूब की जनपद–बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड साऊ घाट के ग्राम कडरखास में कब्रिस्तान से सम्बन्धित मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं सिविल जज के आदेशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में,

पांचवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद–बलिया में बन्द पड़ी सहकारी चीनी मिल रसड़ा को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

छठीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद–हाथरस के श्री गोपाल आदर्श विद्यालय सोसाइटी की भूमि को श्री गोपाल आदर्श इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम करवाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

सातवीं सूचना श्री दीपक पटेल की जनपद–इलाहाबाद के करछना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा–बेन्दौं में दिनांक 01–03–2015 को श्री बलराम पटेल पुत्र श्री छक्कन पटेल की निर्मम हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तथा

आठवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद–चंदौली के मुगलसरायं क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड–नियामताबाद के कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

जनपद प्रतापगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटनी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

रोटी कपड़ा और मकान की तरह ही मानव जीवन में....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्स्वास्थ्य सुविधाओं का होना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं परम आवश्यक है, बिना बेहतर चिकित्सीय सुविधा के मानव का जीवन स्वस्थ एवं सुखमय नहीं हो सकता है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़–एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जो रायबरेली एवं अमेठी जनपदों की सीमा से लगा हुआ है मेरे निर्वाचन क्षेत्र से प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय भी लगभग 60 किमी0 है तथा रायबरेली एवं अमेठी जनपद मुख्यालय भी लगभग 60–70 किमी0 की दूरी पर स्थित है। जनहित को मद्देनजर रखते हुए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटनी, प्रतापगढ़ को उच्चीकृत करके 30 शैय्याओं वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाना अति आवश्यक है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर लोगों का समुचित उपचार हो सके। चूंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र अत्यन्त ग्रामीण क्षेत्र है जहां से उपरोक्त जनपदों के मुख्यालय की दूरी 60–70 किमी0 के लगभग है, ऐसी में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित लोगों को समुचित चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पाती है। उक्त चिकित्सालय में आने वाले 75ः से अधिक मरीज भर्ती होने के काबिल रहते हैं जिसमें प्रसूति एवं अन्य गम्भीर बीमारियों से पीड़ित लोग होते हैं। अतः उपरोक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटनी जनपद प्रतापगढ़ को उच्चीकृत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाना जनहित में अति आवश्यक है जिससे आवश्यकता पड़ने पर लोगों का उचित इलाज हो सके, और उनको असमय मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सके। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटनी, प्रतापगढ़ को अभी तक उच्चीकृत न किये जाने के कारण तथा लोगों का समुचित इलाज न होने से क्षेत्रीय लोगों में चिन्ता, कुण्ठा तथा रोष व्याप्त है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करती हूं।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटनी, प्रतापगढ़ के निकट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारुपुर, प्रतापगढ निर्मित है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में नये प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना विषयक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निर्धारित नीति के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित नहीं है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि भी अनुपलब्ध है।

अतएव उपर्युक्त स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटनी, प्रतापगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उच्चीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।,

कानपुर नगर के यशोदा नगर, गोपाल नगर, गांधी ग्राम में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत पीने के पानी की लाइन चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 9–3–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

खविधान सभा क्षेत्र महराजपुर, कानपुर नगर के यशोदानगर, गोपाल नगर, गांधी ग्राम में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत पीने का पानी की लाइन चालू कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गई है।

2–उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कानपुर नगर में कुल 110 वार्ड हैं, जिनमें उल्लिखित क्षेत्र से सम्बन्धित 03 वार्ड क्रमशः वार्ड संख्या–67 यशोदानगर (पूर्वी), वार्ड संख्या–91 यशोदानगर (पश्चिमी) एवं वार्ड संख्या–71 गांधी ग्राम सम्मिलित हैं, जिनकी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या क्रमशः 25908, 25954 एवं 20227 है। यशोदानगर (पूर्वी) बोर्ड में व्हाईट हाउस आर ब्लाक, देवकीनगर, शंकराचार्यनगर, गोपालनगर, शिमरा, करनपुर, जुगईपुर, यशोदानगर ओ ब्लाक, एन ब्लाक, पी ब्लाक, डी ब्लाक एवं सतवरी कालोनी मोहल्ले सम्मिलित हैं। यशोदानगर (पश्चिमी) में यशोदानगर एस ब्लाक, सी ब्लाक, के ब्लाक, हनुमन्तनगर, रविन्द्रपुरी एवं बजरंगपुरी मोहल्ले तथा गांधी ग्राम वार्ड में टटियानाका, पटेल नगर, एच0ए0एल0 कालोनी एवं शिवकटरा आंशिक सम्मिलित हैं।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के तहत कानपुर पेयजल परियोजना फेज–प्प के अन्तर्गत तीनों वार्डों में अलग–अलग जोनल पम्पिंग स्टेशन प्रस्तावित किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

यशोदानगर पश्चिमी वार्ड में एक जोनल पम्पिंग स्टेशन प्रस्तावित किया गया है, जिसके अन्तर्गत 1000 किली0 क्षमता का भूमिगत जलाशय एवं 1700 किली0 क्षमता का शिरोपरि जलाशय, वितरण प्रणाली एवं तत्संबंधित कार्य कराये गये हैं। गोपालनगर मोहल्ला इसी वार्ड में सम्मिलित हैं।

यशोदानगर पूर्वी वार्ड में एक जोनल पम्पिंग स्टेशन प्रस्तावित किया गया है, जिसके अन्तर्गत 1000 किली0 क्षमता का भूमिगत जलाशय एवं 1700 किली0 क्षमता का शिरोपरि जलाशय, वितरण प्रणाली एवं तत्संबंधित कार्य कराये गये हैं।

गांधीग्राम वार्ड में एक जोनल पम्पिंग स्टेशन प्रस्तावित किया गया है, जिसके अन्तर्गत 540 किली0 क्षमता का भूमिगत जलाशय वितरण प्रणाली एवं तत्संबंधित कार्य कराये गये हैं।

3–अवगत कराना है कि उक्त वर्णित क्षेत्रों में वितरण प्रणाली को चालू नहीं किया जा सका है, जिसका मुख्य कारण कैन्ट एरिया एवं आर्मी एरिया में 6.11 किमी0 फीडरमेन बिछाये जाने के अनुमति सम्बन्धी प्रकरण रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में लम्बित होना है। प्रश्नगत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा हर सम्भव प्रयास किये जा रहे

हैं। प्रस्तावित 6.11 किमी0 फीडरमेन को बिछाये जाने की स्वीकृति रक्षा मंत्रालय से प्राप्त होने एवं उसको बिछाने के पश्चात् इस क्षेत्र के नागरिकों को बिछायी गई वितरण प्रणाली के माध्यम से मानक के अनुरूप जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी।

प्रदेश में 2011–2012 के समस्त बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र भड़ाना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि समस्त बी0टी0सी0 (टी0ई0टी0 पास) प्रशिक्षु–2011–12 में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं...

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्जबकि सरकार ने हाल ही में 15 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिये जी0ओ0 निकाला था। तब केवल 2011 के लिये भर्ती निकाली गई थी लेकिन बाद में 2012 वालों को भी सम्मिलित कर लिया गया। शिक्षा विभाग के उचित मानकों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 1,65,000 पद भी रिक्त हैं। उ0प्र0 में शिक्षा की दशा अत्यन्त शोचनीय है। आज प्रदेश में बी0टी0सी0, बी0टेक0, एम0टेक0, एम0काम0, एम0बी0ए0, बी0सी0ए0, एम0सी0ए0 आदि जैसी विशेष योग्यता रखने वाले हजारों छात्र हैं। यू0पी0 टी0ई0टी0, सी0टी0ई0टी0 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जनहित में 15 हजार से अधिक पद बढ़ाना आवश्यक है।

मा0 सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कर वक्तव्य दिलाये जाने की मांग की गई है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के पत्र/प्रस्ताव दिनांक 07–08–2014/2–12–2014 द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 15,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अनुमति मांगी गई थी, जिसके क्रम में शासन के पत्र दिनांक 9–12–2014 द्वारा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 15,000 रिक्त पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु आदेश दिया गया था। शासन द्वारा निर्गत उक्त पत्र में किसी वर्ष विशेष में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के लिये चयन की कार्यवाही किये जाने का उल्लेख नहीं था, अपितु आवेदन–पत्र दिये जाने की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अन्तिम तिथि तक पात्र/अर्ह अभ्यर्थी नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। उक्त 15,000 विज्ञापित पदों के अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन तथा लगभग 1,70,000 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन की कार्यवाही गतिमान है। अतः उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में सहायक अध्यापकों के उक्त विज्ञापित 15,000 पदों को बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है।,

जनपद बरेली के ग्राम महमूदपुर एवं चकरपुर के बीच अरिल नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्री धर्मपाल सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 9–3–2015 को प्रमख सचिव, विधान सभा...

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

ख्ज0प्र0 को दी गई सूचना के माध्यम से निम्नानुसार मांग की गई है :–

''आंवला विधान सभा, जनपद बरेली के ग्राम चकरपुर व ग्राम महमूदपुर के बीच अरिल नदी बहती है। यह क्षेत्र ब्लाक रामनगर में आता है। इस रास्ते से लगभग 50 ग्रामों के लोगों का रेलवे स्टेशन करेंगी आना–जाना पड़ता है और बरेली, चन्दौसी–मुरादाबाद–दिल्ली जाने के लिये यह मार्ग महत्वपूर्ण है। बरसात के दिनों में नदी भर जाने से पानी की अधिकता के कारण मार्ग बन्द हो जाता है इससे आवागमन प्रभावित रहता है। शेष महीनों में भी स्त्री, पुरुष, बच्चों आदि को भारी मुसीबत होती है।

इस स्थान पर पुल अथवा काजवे बनना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से पुल बनाये जाने हेतु वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।''

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तावित स्थल के अप स्ट्रीम में लगभग 6.00 किमी0 की दूरी पर 36.00 मी0 स्पान का सेतु तथा डाउन स्ट्रीम में लगभग 10.00 किमी0 की दूरी पर 60.00 मी0 स्पान का सेतु निर्मित है। सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में 10.00 किमी0 अपस्ट्रीम अथवा डाउन स्ट्रीम में पूर्व से सेतु निर्मित होने की स्थिति में नये सेतु का निर्माण नहीं किया जाता है। अतः प्रस्तावित स्थल पर सेतु का निर्माण औचित्यपूर्ण नहीं है।,

जनपद मऊ में स्थित प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा–1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की पिछले दो वर्षों की छात्रवृत्ति का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में यह अवगत कराया गया है कि जनपद–मऊ में स्थित प्राथमिक विद्यालय एवं...

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा–1 से कक्षा–8 अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती थी। उक्त छात्रवृत्ति को विगत पिछले दो वर्षों से बन्द कर दिया गया। जिसके कारण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा–1 से कक्षा–8 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है। विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाये जाने हेतु कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से भी अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक कक्षा–1 से कक्षा–8 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाये जाने हेतु शासन द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता एवं अभिभावकों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम द्वारा सरकार से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र–छात्राओं को विहित शर्तों एवं मानकों के अधीन छात्रवृत्ति दी जाती है। बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय अधिकारियों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु अर्ह छात्र–छात्राओं की सूची सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराने का दायित्व है एवं उस विभाग द्वारा छात्र–छात्राओं के मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि विद्यालय के खाते में स्थानान्तरित की जाती है। उक्त से स्पष्ट है कि छात्रवृत्ति की धनराशि आवंटित किये जाने में बेसिक शिक्षा विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

जनपद मऊ में किस विद्यालय हेतु किस वर्ग के छात्र–छात्राओं हेतु कितनी–कितनी छात्रवृत्ति की धनराशि आवंटित की गई, यह जानकारी सम्बन्धित विभाग द्वारा ही दी जा सकती है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मऊ को यह आदेश दिये गये

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैं कि विगत दो वर्षों में विद्यालयवार छात्र–छात्राओं को वितरित की गई छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में खण्ड शिक्षा अधिकारियों से जांच कराकर एक माह में आख्या उपलब्ध करायें।,

जनपद बलिया के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय अजनेरा में हत्याभियुक्त एवं माननीय न्यायालय से पाये आजीवन कारावास की सजा के उपरान्त भी डा0 श्रीप्रकाश सिंह की तैनाती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदयलाल मौर्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्री उदयलाल मौर्य, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत मा0 सदन को दी गई सूचना में यह कहा गया है कि....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख''राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय अजनेरा, जनपद–बलिया में आठ वर्षों से तैनात हत्याभियुक्त एवं माननीय न्यायालय से आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित, 12 दिन जेल में बन्द रहे, विभाग एवं शासन से उक्त तथ्य 10 वर्ष तक छिपाकर कार्यरत जेल अवधि का भी वेतन प्राप्त कर चुके, अप्रैल, 2014 में साक्ष्य सहित जानकारी प्राप्त कराने के बाद भी जुलाई, 2014 में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बलिया का तथा 9 अक्टूबर, 2014 को जनपद–गाजीपुर का भी प्रभार देख रहे, डा0 श्रीप्रकाश सिंह द्वारा निदेशक आयुर्वेद को संलिप्त कर शासन को बिना सूचित किये, उक्त अधिकारी को लोकसेवक पद के तीन–तीन पद पर तैनाती के कारण क्षेत्रीय जनता एवं संवर्ग के वरिष्ठ चिकित्सक काफी चिन्तित एवं आक्रोशित हैं।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा किये गये अनैतिक/अवैधानिक कार्यों के जांच/कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी से वक्तव्य की मांग की गयी है।''

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डा0 श्रीप्रकाश सिंह के दिनांक 29–11–2004 से 10–12–2004 तक न्यायिक अभिरक्षा की अवधि के त्रुटिपूर्ण आहरित किये गये वेतन के सम्बन्ध में शासन के अशासकीय पत्र संख्या–569/71–आयुष–1–15–149/2014, दिनांक 26 फरवरी, 2015 के द्वारा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फैजाबाद से स्पष्टीकरण/कारण बताओ नोटिस मांगा गया था। जिसके क्रम में निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं के पत्र दिनांक 03–03–2015 के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माध्यम से क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फैजाबाद की आख्या प्राप्त हुई है जिसमें तत्कालीन सेवानिवृत्त क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फैजाबाद के अभ्यावेदन पर यथोचित कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अभ्यावेदन परीक्षणाधीन है। जांच आख्या एवं उक्त प्राप्त अभ्यावेदन के परीक्षणोपरान्त डा0 सिंह आदि के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं द्वारा यह अवगत कराया गया है कि डा0 श्रीप्रकाश सिंह को अप्रैल, 2014 में तत्समय जनपद में वरिष्ठतम् चिकित्साधिकारी होने के कारण क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बलिया का कार्यवाहक प्रभार दिया गया था। निदेशालय के आदेश दिनांक 09–10–2014 द्वारा डा0 श्रीप्रकाश सिंह को जनपद गाजीपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आहरण करने हेतु प्राधिकृत किया गया। इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गाजीपुर के कार्यवाहक पद पर डा0 सुशीला दुबे तैनात हैं।,

जनपद अलीगढ़ मण्डल में मान्यता प्राप्त एक नया विश्वविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी गई थी कि ''प्रदेश के दो मण्डलों आगरा एवं अलीगढ़ में मान्यता प्रदान करने के लिये मात्र एक ही....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

खविश्वविद्यालय है जो कि डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नाम से आगरा में स्थित है एवं इस विश्वविद्यालय द्वारा जनपद कासगंज, एटा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में हजारों की संख्या में मान्यता प्रदान की जा चुकी है एवं आगे भी मान्यता दिये जाने हेतु कार्य जारी है। जिससे इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में पढ़ रहे छात्रों को अनेक गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न तो समय से विश्वविद्यालय द्वारा कालेजों में परीक्षा कराई जा रही है और न ही समय पर परीक्षा परिणाम घोषित किये जा रहे हैं एवं छात्र–छात्राओं को अपनी मार्कशीट जो कि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किसी कारणवश कालेज में नहीं आ पाती है उसे विश्वविद्यालय से निकलवाने के लिये छात्रों को कई वर्ष तक विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिसके कारण इस क्षेत्र के युवा छात्र–छात्रायें किसी भी कम्पटीशन में बैठने से वंचित रह जाते हैं। संज्ञान में आया है कि पिछले 24 वर्ष से उक्त विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय पदों पर भी नियुक्तियां नहीं की गयी है। अलीगढ़ मण्डल में एक नया विश्वविद्यालय खोले जाने के लिये मण्डल के छात्र–छात्राओं द्वारा कई बार शासन एवं प्रशासन को लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है एवं कई बार छात्र–छात्राओं द्वारा भूख हड़ताल एवं धरना–प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध जता चुके हैं। जिससे क्षेत्रीय छात्र–छात्राओं में अत्याधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है जिससे यह स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। अतः मैं इस सदन के माध्यम से अलीगढ़ मण्डल में इसी तरह के एक दूसरे विश्वविद्यालय खोले जाने की शासन से मांग करता हूं एवं जब तक नया विश्वविद्यालय नहीं तैयार हो पा रहा तब तक डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की एक शाखा अलीगढ़ मण्डल में शुरू कराये जाने की मांग करता हूं।

अतः मा0 सदस्य द्वारा इस अति लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग की गयी।''

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में कुल 18 मण्डल हैं जिसमें 09 मण्डलों में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित हैं। वर्ष 2013 में बस्ती मण्डल के जनपद सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद मण्डल में इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था तथा तद्नुसार उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर की स्थापना हेतु 50 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग से उच्च शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित की गयी है तथा इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु नैनी, इलाहाबाद स्थित औद्योगिक विकास विभाग की भूमि में से 100 एकड़ भूमि उच्च शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग से अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि आगरा, मेरठ एवं बरेली परिक्षेत्र में राज्य विश्वविद्यालय के रूप में क्रमशः डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ व महात्मा ज्योतिबाफूलेनगर रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली तथा अलीगढ़ परिक्षेत्र के केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित हैं। राज्य विश्वविद्यालयों का कार्य मुख्यतः महाविद्यालयों की सम्बद्धता एवं परीक्षा से सम्बन्धित है। निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये शहरी

क्षेत्र में 40 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि का मानक निर्धारित है परन्तु राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का कोई मानक निर्धारित नहीं है। उक्त स्थिति एवं राज्य सरकार की कठिन वित्तीय अर्थोपाय के दृष्टिगत अलीगढ़ में विश्वविद्यालय खोले जाने तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की शाखा अलीगढ़ मण्डल में स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं है।,

जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत क्षेत्रीय किसानों की सिंचाई की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पम्प कैनाल हेतु विद्युत कनेक्शन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

''सादर अवगत कराना है कि जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत क्षेत्रीय किसानों की सिंचाई सम्बन्धित समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने यमुना...

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्नदी पर जोगापुर पम्प कैनाल के निर्माण हेतु वर्ष 2010 में स्वीकृति प्रदान की थी। नहर लगभग पूर्णतया बन चुकी है, परन्तु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी पम्प कैनाल में विद्युत कनेक्शन नहीं जोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। किसान आन्दोलित हो रहे हैं। पम्प कैनाल में विद्युत कनेक्शन कराकर यथाशीघ्र चलाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।''

2–श्री इन्द्रजीत सरोज, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09–03–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई उक्त सूचना में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

जनपद कौशाम्बी की तहसील मंझनपुर विकास खण्ड–कौशाम्बी के अन्तर्गत किशनपुर पम्प नहर प्रणाली की कनेली एवं विरोचा राजवाहा के टेल भाग में 1842 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हेतु यमुना नदी के बांए तट पर ग्राम गोपसहसा के समीप 43 क्यूसेक क्षमता की नाबार्ड वित्त पोषित जोगापुर पम्प नहर निर्माण परियोजना हेतु रु0

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1002.30 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–4895/10–सत्तासी–सिं0 (यां0)–25बी/09, दिनांक 07–12–2010 प्रदान की गई थी। परियोजना का निर्माण वर्ष 2010–11 में प्रारम्भ हुआ। उक्त परियोजना में 31 मार्च, 2013 तक लघु डाल नहर खण्ड, इलाहाबाद द्वारा रु0 892.24 लाख तथा सिंचाई खण्ड, कौशाम्बी द्वारा रु0 110.06 लाख व्यय करते हुए कुल रु0 1002.30 लाख का व्यय किया जा चुका है।

प्रश्नगत परियोजना में गोपसहसा 33 के0वी0 उपकेन्द्र से पम्प नहर का विद्युत संयोजन प्रस्तावित था। इसके स्थान पर तकनीकी कारणों से विद्युत विभाग द्वारा 132 के0वी0 उपकेन्द्र टेवां से 33 के0वी0 स्वतंत्र पोषक का निर्माण कर विद्युत संयोजन करने का सुझाव दिया गया है। इस कार्य हेतु विद्युत विभाग द्वारा वर्तमन दरों पर रु0 2,52,25,104.00 का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। पम्प नहर पर जल वितरण प्रणाली से सम्बन्धित कतिपय कार्य भी अवशेष है। उपरोक्त समस्त कार्यों को पूर्ण कराने हेतु नवीन परियोजना का गठन किया गया है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।,

जनपद मेरठ में स्थित श्री प्यारेलाल शर्मा राजकीय चिकित्सालय के भवन का स्थानान्तरण अन्यत्र किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मेरठ नगर में श्री प्यारे लाल शर्मा राजकीय चिकित्सालय अब सघन आबादी क्षेत्र में आ गया है मरीज के किसी भी आपातकालीन....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

खस्थिति में अतिक्रमण और जाम के कारण उसको जीवित अस्पताल पहुंचाकर उसकी चिकित्सा व्यवस्था करना असम्भव हो गया है। मेरठ–दिल्ली रोड पर पालीटेक्निक के सामने स्वास्थ्य विभाग की 18 हजार वर्ग गज जमीन खाली पड़ी है। इसके अतिरिक्त यहां स्वास्थ्य विभाग के दवाइयों का भण्डार एवं राजकीय कुष्ठ अस्पताल भी है। उचित होगा कि मूल अस्पताल की एक शाखा जो पूर्णतः सभी सुविधा व्यवस्था से परिपूर्ण हो, इस स्थान पर खोला जाना उपयुक्त होगा। इस सम्बन्ध में मेरा मत है कि मेरठ के मा0

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सांसद, मा0 विधायक को अंशदान करने की छूट दी जाए और उतने सरकार की ओर से धनराशि मिलायी जाय तो अस्पताल भवन को पूर्ण किया जा सकता है। यदि सरकार सहमत हो तो मेरठ के धनीमानी लोगों से चिकित्सालय भवन के निर्माण में सहयोग हो सकता है। सम्पूर्ण जनपद के रोगियों के हित में यह महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने एवं उसके सम्बन्ध में वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद मेरठ में दिल्ली रोड पर पालीटेक्निक के सामने स्थित स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर रिजनल ड्रग वेयर हाउस एवं कुष्ठ आश्रम बना हुआ है। इस परिसर में स्थित रिक्त भूमि प्रश्नगत चिकित्सालय के निर्माण हेतु अपर्याप्त है तथा प्रश्नगत स्थल श्री प्यारे लाल शर्मा राजकीय चिकित्सालय, मेरठ से मात्र 8 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है।

अतएव उपर्युक्त स्थिति में मेरठ नगर में स्थित श्री प्यारे लाल शर्मा राजकीय चिकित्सालय के भवन को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का औचित्य नहीं है।,

जनपद चित्रकूट के अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0 द्वारा अम्बेडकर ग्राम सम्पर्क मार्गों के निर्माण में की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान सिंह पटेल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 9–3–2015 को सदन में यह सूचना दी गई है कि....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग द्वारा अम्बेडकर ग्राम सम्पर्क मार्ग के ठेकेदारों द्वारा डाले गये टेण्डरों की बचत धनराशि को फर्जी वर्क आर्डरों एवं सप्लाई आर्डर से निकालना ऐसे भ्रष्टाचार से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लिफ्त जैसे स्टोर, बैलास्ट स्टोन, ग्रिट, डस्ट, लकड़ी, कट स्टोन, लोकल सैन्ड आदि का बाण्ड बनाकर जरिये वर्क आर्डर त्रिपाठी कान्ट्रक्शन, श्री शिवचन्द, श्री दिनेश कुमार गोस्वामी, अविन्द, जय प्रकाश, अनिल, सन्तोष कुमार, दिनेश चन्द्र, राममिलन, गौरी शंकर, मतगेन्द्र नाथ कान्सट्रेक्शन, मे0 अंकित कान्सट्रेक्शन आदि लोगों के मिलीभगत से तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री बी0के0 त्रिपाठी सभी फर्जी वर्कआर्डर एक ही जाति विशेष के ठेकेदारों के नाम भुगतान किया गया है, जिससे भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है, जिससे सरकारी धन का स्वजातीय ठेकेदारों के माध्यम से बंदरबांट करने का काम किया है और बी0के0 त्रिपाठी का स्थानान्तरण चित्रकूट मण्डल से दूर किया जाना अतिआवश्यक है। जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार से छुटकारा हो सके इनके इस कृत्य से लोगों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।

2–उक्त के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से प्राप्त आख्या के अनुसार श्री बी0के0 त्रिपाठी द्वारा अपने अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल दिनांक 02–05–2012 से 25–05–2012 तथा 03–08–2012 से 31–05–2013 तक की अवधि में सप्लाई आर्डर नं0–81 रु0 75,67,313.00 तथा वर्क आर्डर नं0–81 रु0 15,33,728.00 के निर्गत एवं भुगतान किये गये जिसमें मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र में उल्लिखित 12 ठेकेदारों के नाम 26 नं0 सप्लाई आर्डर लागत रु0 23,74,157.00 तथा वर्क आर्डर 17 नं0 रु0 3,26,812.00 के गठित किये गये हैं जो कुल गठित सप्लाई आर्डर/वर्क आर्डर के सापेक्ष क्रमशः 31.37 प्रतिशत एवं 21.03 प्रतिशत है।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा किसी विशेष सप्लाई आर्डर/वर्क आर्डर की अनियमितता को इंगित न करते हुए सामान्य रूप से सप्लाई आर्डर/वर्क आर्डर के फर्जी होने का आरोप तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एवं उक्त ठेकेदारों की मिलीभगत से लगाया गया है। अतः समस्त सप्लाई आर्डर/वर्क आर्डर की जांच का कोई औचित्य एवं आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

जहां तक मा0 सदस्य द्वारा श्री बी0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट के स्थानान्तरण का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में उल्लिखित करना है कि श्री त्रिपाठी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर शासन के कार्यालय–ज्ञाप सं0–1443/23–4– 14–टी (10)/13टी0सी0, दिनांक

30—05—2014 द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ कर दिया गया है।,

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 34 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 11 मार्च, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 9 पर)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०—(एन)04/0007/2003—14 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—14

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2014/पौष 10, 1936 (शक)
No. 50] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2014/PAUSA 10, 1936 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 31*st December,* 2014/*Pausa* 10, 1936 (*Saka*)

THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2014

No. 9 OF 2014

Promulgated by the President in the Sixty-fifth Year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

WHEREAS Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:–

1. (1) This Ordinance may be called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2014. Short title and commencement.

(2) It shall come into force at once.

Substitution of certain expression throughout the Act.

2. In the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "private company" wherever they occur, the words "private entity" shall be substituted. 30 of 20

Amendment of section 2.

3.In the principal Act, in section 2, –

(i) in sub-section (1),in clause (b), in sub-clause (i), the words "private hospitals, private educational institutions and" shall be omitted;

(ii) in sub-section (2), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided also that the acquisition of land, for the projects listed in section 10A and the purposes specified therein, shall be exempted from the provisions of the first proviso to this sub-section.".

Amendment of section 3.

4.In the principal Act, in section 3,–

(i) in clause (j), in sub-clause (i), for the words and figures "the Companies Act, 1956", the words and figures "the Companies Act, 2013" shall be substituted; 1 of 1956. 18 of 2013.

(ii) after clause (y), the following clause shall be inserted, namely:–

'(yy)"private entity" means any entity other than a Government entity or undertaking and includes a proprietorship, partnership, company, corporation, non-profit organisation or other entity under any law for the time being in force.'.

Insertion of new Chapter IIIA.

5. In the principal Act, after Chapter III, the following Chapter shall be inserted, namely:–

"CHAPTER IIIA

PROVISIONS OF CHAPTER II AND CHAPTER III NOT TO APPLY TO CERTAIN PROJECTS

Power of appropriate Government to exempt certain projects.

10A. The appropriate Government may, in the public interest, by notification, exempt any of the following projects from the application of the provisions of Chapter II and Chapter III of this Act, namely: –

(a) such projects vital to national security or defence of India and every part thereof, including preparation for defence; or defence production;

(b) rural infrastructure including electrification;

(c) affordable housing and housing for the poor people;

(d) industrial corridors ; and

(e) infrastructure and social infrastructure projects including projects under public private partnership where the ownership of land continues to vest with the Government.".

Amendment of section 24.

6. In the principal Act, in section 24, in sub-section (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided further that in computing the period referred to in this sub-section, any period or periods during which the proceedings for acquisition of the land were held up on account of any stay or injunction issued by any court or the period specified in the award of a Tribunal for taking possession or such period where possession has been taken but the compensation lying deposited in a court or in any account maintained for this purpose shall be excluded.".

Amendment of section 46.

7. In the principal Act, in section 46, in sub-section (6), in the *Explanation*, in clause (b), the words "any person other than" shall be omitted.

Substitution of section 87.

8. In the principal Act, for section 87, the following section shall be substituted, namely: –

Offences by Government officials.

"87. Where an offence under this Act has been committed by any person who is or was employed in the Central Government or the State Government, as the case may be, at the time of commission of such alleged offence, no court shall take cognizance of such offence except with the previous sanction of the appropriate Government, in the manner provided in section 197 of the Code of Criminal Procedure.".

of 1974.

Amendment of section 101.

9. In the principal Act, in section 101, for the words, "*a* period of five years" the words, "a period specified for setting up of any project or for five years, whichever is later, " shall be substituted.

Amendment of section 105.

10. In the principal Act, in section 105,–

(i) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely: –

"(3) The provisions of this Act relating to the determination of compensation in accordance with the First Schedule, rehabilitation and resettlement in accordance with the Second Schedule and infrastructure amenities in accordance with the Third Schedule shall apply to the enactments relating to land acquisition specified in the Fourth Schedule with effect from 1st January, 2015.";

(ii) sub-section (4) shall be omitted.

Amendment of section 113.

11. In the principal Act, in section 113, in sub-section (1), –

(i) for the words "the provisions of this Part", the words "the provisions of this Act" shall be substituted;

(ii) in the proviso, for the words "a period of two years", the words "a period of five years" shall be substituted.

PRANAB MUKHERJEE,
President.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 16 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2015 के 2सरे बुधवार के लिये निर्धारित श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–02 (अल्पसूचित से तारांकित) के उत्तर की अनुपूरक सूचना

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 7530 किलोमीटर लम्बाई में राज्य मार्ग, 7549 किलोमीटर लम्बाई में प्रमुख जिला मार्ग एवं 39249 किलोमीटर लम्बाई में अन्य जिला मार्गों एवं 138709 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण मार्गों अर्थात् कुल 193037 कि0मी0 लम्बाई के मार्गों के अनुरक्षण का कार्य है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों, अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों के अनुरक्षण/मरम्मत/सुधार कार्यों हेतु कुल रु0 3142 करोड़ का अनुपूरक सहित बजट प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में 15000 कि0मी0 लम्बाई में सतह नवीनीकरण किया जाना लक्षित है। जिसके सापेक्ष अब तक कुल 1252 कि0मी0 लम्बाई के राज्य मार्गों, 1552 कि0मी0 लम्बाई में प्रमुख जिला मार्गों एवं 3806 कि0मी0 लम्बाई के अन्य जिला मार्गों एवं 2790 कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण मार्गों अर्थात् कुल 9400 कि0मी0 लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों, अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों को इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत शत–प्रतिशत गड्ढामुक्त किया जाना भी लक्षित है।

वर्ष 2014–15 में समस्त श्रेणी के मार्गों में से बहुत खराब सड़कों को चिन्हित कर राइडिंग क्वालिटी के सुधार हेतु सुदृढ़ीकरण का कार्य भी स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है।

मार्गों पर दाग बनना व उसकी मरम्मत किया जाना सतत प्रक्रिया है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार मरम्मत का कार्य सदैव किया जाता रहता है। अतः मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

संख्या–2392 / 23–1–2013–72सा0 / 12

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव,
वित्त / ग्रामीण अभियंत्रण /
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास /
पंचायती राज / कृषि विपणन एवं
कृषि विदेश व्यापार / ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2–प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 22 नवम्बर, 2013

विषय :–प्रदेश के समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु ''उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013'' का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश में ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास, त्वरित आवागमन, कृषि व औद्योगिक उत्पादों के उचित विपणन तथा सुचारु वितरण हेतु सुदृढ़ मार्ग व्यवस्था अपरिहार्य है। इसके लिये प्रदेश में ग्राम सम्पर्क मार्गों को मुख्य मार्गों से जोड़ना एवं इनका नियमित रख–रखाव एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में स्थित ग्राम सम्पर्क मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग (राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्) तथा पंचायती राज विभाग (जिला पंचायत) द्वारा कराया जाता है। वर्तमान में ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु कोई समेकित एवं व्यापक नीति विद्यमान नहीं है तथा ग्राम सम्पर्क मार्गों की कुल लम्बाई के अनुसार समुचित वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों के नियमित अनुरक्षण हेतु 'उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013' निम्नवत् निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

'उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013'

1–परिभाषाएं (1) **''प्रदेश''** से अभिप्राय उत्तर प्रदेश से है।

(2) **"ग्राम सम्पर्क मार्ग"** से अभिप्राय ऐसे मार्गों से है, जो ग्रामों अथवा ग्राम–समूहों को एक दूसरे से तथा उन्हें समीपवर्ती किसी उच्चतर श्रेणी के मार्ग से जोड़ता हो।

(3) **"अनुरक्षण"** से अभिप्राय ग्राम सम्पर्क मार्गों की सामान्य मरम्मत/विशेष मरम्मत/सतह नवीनीकरण से है जिसमें मिट्टी के कार्य द्वारा तटबन्ध एवं पटरी सुधार भी सम्मिलित है।

2–उद्देश्य

(1) प्रदेश के समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों को मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार निरन्तर अनुरक्षित किया जाना तथा निर्धारित समय चक्रानुक्रम के आधार पर मार्ग की सतह का नवीनीकरण किया जाना

3–नीतिगत सिद्धान्त

(1) जिस विभाग द्वारा ग्राम सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जायेगा (ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को छोड़कर), उक्त मार्ग उसी विभाग के पारम्परिक स्वामित्व का माना जायेगा तथा मार्ग के अनुरक्षण का दायित्व भी उसी विभाग का होगा।

(2) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा विभागों/संस्थाओं के बजट से निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्गों पर पंचायती राज विभाग का स्वामित्व माना जायेगा।

(3) विशेष परिस्थिति में अपवाद स्वरूप यदि किसी विभाग द्वारा पूर्व निर्मित मार्ग पर दूसरे विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य कराया जाना है तो इस सम्बन्ध में दो विकल्प होंगे ––

;पद्ध दोनों विभागों द्वारा पारस्परिक सहमति से पैतृक विभाग से मार्ग का हस्तान्तरण होने के पश्चात् अनुरक्षण कार्य कराया जायेगा

अथवा

;पपद्ध पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् दूसरे विभाग द्वारा मार्ग का अनुरक्षण कार्य कराया जा सकेगा।

(4) सुगम यातायात हेतु समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों को निरन्तर अनुरक्षित रखा जायेगा। मार्गों के अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित 'मेटेनेन्स मैनुअल' के अनुसार कार्य कराया जायेगा। ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण के लिये यदि 'मेटेनेन्स मैनुअल' में संशोधन की आवश्यकता होगी तो लोक निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक कर आवश्यक संशोधन किये जा सकेंगे जिसमें अन्य चारों विभागों के तकनीकी विशेषज्ञ विशेष आमंत्री के रूप में सम्मिलित रहेंगे।

(5) ग्राम सम्पर्क मार्गों पर सतह नवीनीकरण का कार्य सामान्यतः 8 वर्ष के चक्रानुक्रम के अनुसार किया जायेगा परन्तु काफी समय

से पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध न हो पाने के कारण ग्राम सम्पर्क मार्गों की स्थिति जीर्ण–शीर्ण है। अतः ग्राम सम्पर्क मार्गों के सतह नवीनीकरण/विशेष मरम्मत हेतु विभागवार निम्नवत् आंकलन किया जायेगा :–

;पद्ध विभागों द्वारा निर्मित मार्ग जो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं, खड़न्जा स्तर के हैं अथवा सीमेन्ट कंक्रीट स्तर तक निर्मित हैं, उनको कुल लम्बाई में से घटाते हुए नवीनीकरण/विशेष मरम्मत की लम्बाई निर्धारित की जायेगी।

;पपद्ध उपर्युक्तानुसार नवीनीकरण/विशेष मरम्मत हेतु निर्धारित लम्बाई में से सामान्यतः 2/3 लम्बाई में सतह नवीनीकरण एवं शेष 1/3 लम्बाई में विशेष मरम्मत का कार्य कराया जायेगा।

;पपपद्ध विभागों द्वारा ऐसे पूर्व निर्मित मार्ग जो उपर्युक्त प्रस्तर–3(5);पद्ध से आच्छादित हैं, का सम्बन्धित विभाग द्वारा यथावश्यक पुनर्निर्माण कराया जायेगा।

(6) ग्राम सम्पर्क मार्गों के सतह नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत का कार्य निम्नलिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा :–

;पद्ध यदि ग्राम सम्पर्क मार्ग पर पूर्व निर्मित सतह प्रीमिक्स कारपेट की है तो निर्धारित समयावधि अर्थात् 08 वर्ष के पश्चात् मार्ग पर प्रथम सतह एवं द्वितीय सतह लेपन द्वारा ही नवीनीकरण का कार्य कराया जायेगा।

;पपद्ध यदि मार्ग पूर्व से ही द्वितीय सतह लेपन तक निर्मित है तो नवीनीकरण का कार्य भी द्वितीय सतह लेपन द्वारा किया जायेगा।

;पपपद्ध यदि पूर्व निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त है तो विशेष मरम्मत के अन्तर्गत उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के पश्चात् क्षतिग्रस्त भाग पर लेवलिंग कोट देते हुए प्रथम सतह लेपन करने के पश्चात् द्वितीय सतह लेपन द्वारा कार्य कराया जायेगा। कार्य करने के पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् मार्ग के फोटोग्राफ भी सम्बन्धित अभिलेखों में रखे जायेंगे।

;पअद्ध ग्राम सम्पर्क मार्गों पर नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्य का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 02 वर्ष होगा।

;अद्ध ग्राम सम्पर्क मार्गों की जिस लम्बाई में नवीनीकरण/विशेष मरम्मत का कार्य कराया जायेगा, उस भाग पर आगामी 02 वर्षों तक सामान्य मरम्मत हेतु कोई धनराशि अनुमन्य नहीं

होगी।

;अपद्ध ग्राम सम्पर्क मार्गों की जिस लम्बाई में नवीनीकरण/विशेष मरम्मत का कार्य कराया गया है, उस भाग पर 02 वर्षों के पश्चात् आवश्यकतानुसार प्रत्येक वर्ष अधिकतम 10 प्रतिशत लम्बाई में मरम्मत आदि के कार्य अनुमन्य होंगे।

;अपपद्ध प्रशासकीय विभागों द्वारा अनुरक्षण कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्य योजना बनाते हुए सतत अनुश्रवण किया जायेगा।

4—वित्तीय संसाधन

(1) ;पद्ध कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग (राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्) द्वारा अपने ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण का कार्य परिषद् के वित्तीय संसाधनों से कराया जायेगा।

;पपद्ध ग्राम सम्पर्क मार्गों की सामान्य मरम्मत का कार्य चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ना विकास समितियों/परिषदों के धन से ही कराया जायेगा। मार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु आंकलित/अनुमानित धनराशि का 20 प्रतिशत गन्ना समितियों/लाभार्थी संस्थाओं से वित्त पोषित किया जायेगा तथा शेष 80 प्रतिशत धनराशि पूंजीगत पक्ष से राज्यांश के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

;पपपद्ध पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्गों का अनुरक्षण पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से संक्रमित धनराशि से किया जायेगा।

;पअद्ध ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा विभागों/संस्थाओं के बजट से निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्गों पर पंचायती राज विभाग का स्वामित्व माना जायेगा तथा उक्त मार्गों का अनुरक्षण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग के माध्यम से प्राप्त धनराशि से डिपाजिट कार्य के रूप में किया जायेगा।

;अद्ध लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य केन्द्रीय वित्त आयोग एवं प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय संसाधनों से कराया जायेगा।

;अपद्ध प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुरक्षण हेतु जो कार्य स्वीकृत किये जायेंगे उनसे सम्बन्धित पूर्ण धनराशि यथासम्भव एक बार में

ही अवमुक्त की जायेगी जिससे 'टाइम ओवर रन' एवं 'कास्ट ओवर रन' न हो।

5—ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण प्रबन्धन प्रणाली

(1) ;पद्ध ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा व जनपद स्तर पर प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग नोडल खण्ड होगा। प्रत्येक विभाग द्वारा किसी भी नये ग्राम सम्पर्क मार्ग के निर्माण अथवा पूर्व निर्मित ग्राम सम्पर्क मार्ग के सुधार/सुदृढ़ीकरण कार्य की सूचना जनपदीय प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ताकि कार्यों की दोहरी स्वीकृति की सम्भावना न रहे।

;पपद्ध समस्त विभागों द्वारा खण्ड/इकाई तथा राज्य स्तर पर ग्राम सम्पर्क मार्गों की इन्वेन्ट्री को इलेक्ट्रानिकली सुरक्षित अर्थात् कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक के रूप में रखा जायेगा तथा समय–समय पर इसे अपडेट किया जायेगा। प्रत्येक विभाग द्वारा जनपद स्तर पर प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग को उक्त कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक (इन्वेट्री) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक विभाग द्वारा ऐसी अपडेटेड कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक (इन्वेन्ट्री) केन्द्रीय रूप से लोक निर्माण विभाग मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त डाटा बैंक को केन्द्रीकृत कर रखा जायेगा। उक्त डाटा बैंक में मार्ग का नाम, मार्ग की सतह का प्रकार, मार्ग की लम्बाई, मार्ग के लेपित सतह की चौड़ाई, मार्ग की क्रस्ट की मोटाई, सबग्रेड में मिट्टी के इंजीनियरिंग गुण, स्थाई भूमि, पुल/पुलियों का विवरण, मार्ग का निर्माण/नवीनीकरण का माह व वर्ष, मार्ग की वर्तमान दशा, मार्ग पर यातायात घनत्व आदि विवरण रहेंगे।

;पपपद्ध ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु मार्गों का चयन लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित 'रोड कंडीशन इन्डेक्स' (आर0सी0आई0) पर आधारित मार्गों की स्थिति, स्थानीय आवश्यकताओं एवं जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर किया जायेगा।

;पअद्ध विभागों द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 08 वर्षीय चक्रानुक्रम के आधार पर माह मार्च तक नवीनीकरण सम्बन्धी कार्य योजना अन्तिम की जायेगी तथा विशेष मरम्मत सम्बन्धी कार्य योजना दो चरणों में माह मार्च तथा माह अक्टूबर में अन्तिम की जायेगी।

;अद्ध प्रत्येक विभाग द्वारा अपने ग्राम सम्पर्क मार्गों को क्लब करते

हुए उपलब्ध संसाधनों तथा आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र विशेष निर्धारित करते हुए 'बैच मेंटेनेन्स कान्ट्रैक्ट' जैसी व्यवस्था लागू की जायेगी।

;अपद्ध उक्त कार्यों के समुचित अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुरक्षण समिति का गठन किया जायेगा जिसकी बैठक प्रत्येक 03 माह में अनिवार्य रूप से आहूत की जायेगी। यह समिति मार्गों के अनुरक्षण हेतु तैयार की गई कार्य योजना तत्सम्बन्धी निर्गत शासनादेश, उपलब्ध वित्तीय स्वीकृतियों आदि के सम्बन्ध में अनुश्रवण करेगी।

;अपपद्ध शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया जायेगा जो विभागों द्वारा ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु बनाई गई कार्य योजना एवं उसके समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। इस समिति की बैठक प्रत्येक 06 माह में अनिवार्य रूप से आहूत की जायेगी।

;अपपपद्ध इस नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उत्पन्न भ्रम की स्थिति में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति निर्णय लेगी जो समस्त सम्बन्धित विभागों पर लागू होगा। इस नीति में आवश्यक संशोधन उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर किये जा सकेंगे।

6–कार्य क्षेत्र (1) ;पद्ध यह नीति समस्त सम्बन्धित विभागों पर लागू होगी।

;पपद्ध यह नीति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अन्तर्गत निर्मित मार्गों पर निर्धारित अनुरक्षण अनुबन्ध अवधि तक लागू नहीं होगी। इन मार्गों के लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण होने के उपरान्त लोक निर्माण विभाग द्वारा इस नीति के अन्तर्गत अनुरक्षण किया जायेगा।

2–कृपया प्रदेश के समस्त ग्राम सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु उपर्युक्त निर्धारित नीति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संख्या–2392 (1)/23–1–13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार प्रथम (निर्माण), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,

2–प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,

4–वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग को इस आशय से प्रेषित की विभाग की वेब साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें,

5—लोक निर्माण विभाग के समस्त अनुभाग,
6—वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—8,
7—गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रजनीश दुबे,

प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0—एल0 56 विधान सभा (96)—15—7—2015—813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।